



Government of India

एमएसएमई योजनाएँ



MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित एक संगठन)



एक कदम स्वच्छता की ओर

एमएसएमई योजनाएँ



सत्यमेव जयते

भारत सरकार



MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित संगठन)

उद्यमी हेल्पलाइन

1800 - 180 - 6763

1800 - 180 - एमएसएमई [टोल फ्री]

सितम्बर 2015

प्रतियाँ 1000

संकलक एवं प्रकाशक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011.

कलराज मिश्र
KALRAJ MISHRA



सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110011
Minister
of

Micro, Small & Medium Enterprises
Government Of India
New Delhi-110011

संदेश

भारतीय अर्थव्यवस्था उद्यमिता सृजन के माध्यम से पनपती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाले घटकों में से एक है। इस दिशा में, 'मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया' अभियान देशभर में उद्यमिता विकास के लिए शुरू किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं।


सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व्यापार के नये प्रयोगों के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति का प्रसार करने में योगदान दे रहे हैं। इन उद्यमों की अनोखी विशेषता यह है कि वे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैले हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के साथ ही विश्वबाजार के अनुरूप वैविध्यपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन और विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत, विनिर्माण उपज में 45 प्रतिशत और देश के निर्यात में 40 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं। उनकी अनोखी विशेषता यह है कि वह अत्यल्प लागत में अधिक मुनाफा अर्जित करते हैं। कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में इस क्षेत्र का दूसरा स्थान है। इस प्रकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्व-रोजगार के माध्यम से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं रखते हैं।

उद्यम सृजन में सर्वसमावेशी संकल्पना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस प्रयास में यह संकलन पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों, विकलांगों, पूर्व सैनिकों और अधिकारहीन समुदायों आदि को उद्यमों की स्थापना करने के लिए सक्षम बनाने में लाभदायक सिद्ध होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से खास तौर पर लघु व्यवसायियों को मदद और सहायता करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समर्पित होने के कारण ही बड़ी संख्या में योजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है, बल्कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की ओर से भी यह उद्देश्य हासिल करने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है। इस जानकारी के लाभ से वर्तमान और संभाव्य उद्यमियों को अपने व्यापार की संभावनाओं को उत्तरोत्तर विस्तारित करना संभव होगा।

संकलित जानकारी का मूल्यांकन करने, उसे समझने और उसका उपयोग करने के लिए सभी उद्यमियों (उभरते और वर्तमान), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, उद्यमिता और कौशल विकास आदि में संलग्न संस्थानों (सरकारी और निजी) आदि से गुजारिश है कि वे इस रोजगार सृजन का लाभ उठाएँ। यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बनने के साथ ही सभी को सम्मिलित करने का माध्यम बन गया है।

मुझे विश्वास है और मैं यह मानता हूँ कि हर कोई उद्यमिता की संस्कृति का विस्तार करने और उद्योगों का सृजन करने के मामले में अगुवाई करेगा।


कलराज मिश्र

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



राज्य मंत्री
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110011
Minister of State
Micro, Small & Medium Enterprises
Government Of India
New Delhi-110011

संदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाओं और कार्यक्रमों को निरूपित कर रहा है। मंत्रालय की नई पहलों और बाज़ार संचालित अर्थव्यवस्था के कारण उत्पादों की श्रेणियों में वृद्धि हो रही है। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से कौशल विकास कार्यक्रम, बाज़ार विकास सहायता, प्रौद्योगिकी के बारे में सहायता, ऋण प्रवाह, सार्वजनिक (प्रोक्योरमेंट) नीतियों, देश के भीतर और विदेशों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में सहभागिता आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र उद्यमिता संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया में हमारे समूचे कार्य बल का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा, उद्यम विकास को बढ़ाने के लिए अभिनव कदम उठाये जा रहे हैं। प्रस्तुत संकलन पहली पीढ़ी के उद्यमियों को ढेर सारी व्यापार कल्पनाओं और विचारों का उपयोग करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जो उनके मार्गदर्शन के लिए जानकारी के सही स्रोत की तलाश की जुगत कम करने के साथ ही उन्हें बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में सहायक सिद्ध होगा। मौजूदा उद्यमी विस्तार और वैविधीकरण की योजना बना सकते हैं।

उद्यम क्षेत्र में सूक्ष्म से लघु और मध्यम उद्यमों में परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह संसाधनों के समुचित उपयोग और समर्थन से ही साध्य होता है, जिसे भारत सरकार स्वयं तैयार कर अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से संप्रभावित कर रही है।

मेरा सभी से निवेदन है कि इस संकलन का पूरा लाभ उठाकर एक-दूसरे का हाथ थामें और सम्पन्नता हासिल करें।

गिरिराज सिंह

अनूप के. पुजारी

एल. एल. बी. (दिल्ली), पी. एच.डी. (बोस्टन), आई ए एस
सचिव

ANUP K. PUJARI

LL.B. (Delhi), Ph.D. (Boston), IAS

Secretary



MSME

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Udyog Bhawan, New Delhi-110011

Tel. : 23063283

संदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को लक्ष्य रखकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग योजनाएँ चला रहे हैं। हमारे मंत्रालय द्वारा यह संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने की बेहतरीन पहल की गई है। इस प्रयास के लिए मैं राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान को बधाई देता हूँ।

सूचना एक ऊर्जा है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के लिए इस प्रकार की जानकारी मुहैया कराई जाती है, वे शायद ही कभी इसे हासिल कर पाते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अक्षम होने की मुख्य वजह उद्यमियों द्वारा इस तरह के उद्यम अनिवार्य रूप से एक अथवा दो सहायकों के साथ चलाये जाते हैं। इसके विपरीत लगातार जानकारी उपलब्ध करने के लिए विशेष कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम भारी उद्यम जिस प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं, वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नहीं मिल पाता। इसी कारण से भी यह संकलन काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबद्ध उद्यमियों के अलावा नीति निर्माताओं, शिक्षण क्षेत्र से संबंधित विद्वानों और आम लोगों के लिए भी यह संकलन काफी उपयुक्त साबित होगा।

मैं अपनी ओर से इसके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

अनूप के. पुजारी

सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी

अतिरिक्त सचिव

SURENDRA NATH TRIPATHI

Additional Secretary



MSME

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Udyog Bhawan, New Delhi-110011

Tel. : 23063283

संदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य उद्यमों का सफल संचालन करने की चाह रखने वाले उद्यमियों की आकांक्षा को पूरा करना है। इस भावना को संजोकर मंत्रालय उद्यमों के विस्तार और विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में उद्यमिता विकास के लिए नीतियों का एक ढाँचा तैयार किया है। जहाँ एक ओर मंत्रालय की शाखाएँ और क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारी इन नीतियों को जमीनी हकीकत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के अन्य मंत्रालय भी इस दिशा में अपना हर संभव योगदान दे रहे हैं।

इस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों की ओर से पेश की गई समर्थन सेवाओं का एकत्रिकरण करना प्रसंगोचित पाया गया, जिससे इस सामग्री का प्रचार-प्रसार खास तौर पर उन लोगों तक किया जा सके, जो अपना खुद का उद्यम शुरू करने की चाह रखते हैं। इसे साध्य करने के लिए इस संकलन में उद्यम विकास के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध है।

विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को एक साथ सामने प्रस्तुत करने की दिशा में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थान (निम्समे) की ओर से किये जा रहे प्रयासों के लिए मैं संस्थान की सराहना करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के हितधारकों को इस संकलन का पूरा लाभ मिलेगा, जो उद्यम निर्माण करने की प्रक्रिया से जुड़े हुये हैं। अब हर साझेदार को अपना उद्यम आगे बढ़ाने के लिए अगुवाई करनी चाहिए।

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

विषय सूची

अ.क्र.	पृष्ठ क्र.
1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाएँ	1
लघु एवं मध्यम उद्यम प्रभाग की योजनाएँ	2
1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2
2. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)	3
3. विपणन सहायता	4
विकास आयुक्त (डीसी-एमएसएमई) की योजनाएँ	5
1. ऋण गारंटी (क्रेडिट गारंटी)	5
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण गारंटी अनुदान	5
3. आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति	7
4. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम	8
5. माइक्रो फ़ाइनेंस कार्यक्रम	10
6. एमएसएमई बाज़ार विकास सहायता (एमडीए)	11
7. राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म, लघु उद्यम)	12
8. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धिता कार्यक्रम (एनएमसीपी)	14
1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता(बार कोड) / विपणन समर्थन	15
2. इन्व्यूबेटरों के ज़रिये लघु एवं मध्यम उद्यमों का उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास	17
3. विनिर्माण क्षेत्र को गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्ता तकनीक के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाना	18
4. बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाना	20
5. सूलम उद्यमों के लिए अपव्यय रहित विनिर्माण (लीन मैनुफैक्चरिंग) प्रतिस्पर्धिता	23
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विनिर्माण क्षेत्र हेतु डिज़ाइन विशेषज्ञता और डिज़ाइन क्लिनिक	24
7. विपणन सहायता और तकनीकी उन्नयन	26
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तकनीकी और गुणवत्ता उन्नयन योजना	30

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की योजनाएँ	32
1. कार्यप्रदर्शन और ऋण पात्रता-मूल्यांकन	32
2. बैंक ऋण सुविधा	33
3. कच्चे माल की सहायता	34
4. सिंगल पॉइंट पंजीकरण	35
5. सूचनात्मक सेवाएँ	36
6. मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स सेल (सेवाएँ)	38
7. बिल रियायत योजना	40
8. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) का आधारभूत ढाँचा	41
अ) प्रदर्शनी हॉल, हैदराबाद	41
आ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इनक्यूबेटर	42
इ) प्रदर्शनी-सह-विपणन विकास व्यापार पार्क	44
ई) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और बिजनेस पार्क	45
उ) प्रदर्शनी मैदान, नई दिल्ली	46
कृषि एवं ग्रामोद्योग (ए.आर.आई) प्रभाग की योजनाएँ	47
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	47
2. खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना	49
3. बाजार विकास सहायता (एमडीए)	50
4. विज्ञान और तकनीकी योजना	51
5. कॉयर उद्यमी योजना	52
6. कॉयर विकास योजना	52
अ. निर्यात बाजार प्रोत्साहन	52
आ. कौशल उन्नयन एवं और महिला कॉयर योजना	53
इ. उत्पादन आधारभूत सुविधाओं का विकास (डीपीआई)	54
ई. कॉयर श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	56
उ. व्यापार और उद्योग संबद्ध कार्यात्मक समर्थन सेवाएँ (टीआईआरएफएसएस)	57
ऊ. घरेलू बाजार प्रोत्साहन योजना	58
7. एस्पायर (नवीनता, उद्यमशीलता और कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना)	59
8. पारंपरिक उद्योगों के नवीनीकरण के लिए पुनरोत्थान निधि योजना (स्फूर्ति)	61

2.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएँ	63
	1. जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उड़ान'	64
	2. राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और आर्थिक पुरस्कार योजना (स्टार योजना)	64
	3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	66
3.	श्रम और रोजगार योजना मंत्रालय की योजनाएँ	69
	1. शिक्षुता प्रशिक्षण	70
	2. क्राफ्ट्स मैन प्रशिक्षण (आईटीआई)	70
	3. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास	71
	4. कौशल विकास पहल (एसडीआई)	71
	5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 आईटीआई का उन्नयन	72
4.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की योजनाएँ	73
	1. पूँजीगत वस्तु योजना	74
	2. समाज कल्याण के कार्यों पर उत्पाद शुल्क रियायत	75
	3. उत्पाद शुल्क रियायत	77
5.	युवा मामले और क्रिडा मंत्रालय की योजनाएँ	79
	1. युवा संबंधी गतिविधियों और प्रशिक्षण के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता (एफएपीवाईएटी)	80
	2. युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.वाई.ए.डी.)	81
	3. राष्ट्रीय युवा कोर (एन.वाई.सी.)	82
6.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाएँ	85
	1. वॉटर मिल्स (डब्ल्यू एम) और माइक्रो हायडेल प्रोजेक्ट (एमएचपी) का विकास / उन्नयन	86
	2. सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास	87
	3. अनुसंधान, डिज़ाइन, विकास, प्रदर्शन (आरडीडी एंड डी) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन।	87
	4. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के तहत खुले/नए क्षेत्रों में पवन संसाधन आकलन	89

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास योजना मंत्रालय की योजनाएँ	91
1. क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता (सीबी एंड टीए)	92
2. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई)	93
अ) कार्पोरेट वित्तापूर्ति	93
आ) उपकरण वित्तापूर्ति	93
इ) कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के विकास के लिए पहल (आईडिया)	94
ई) माइक्रो फ़ाइनेंस	94
उ) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) इक्विटी फंड	95
ऊ) लघु उद्यमों के लिए एनईडीएफआई अवसर योजना (एनओएसएसई)	96
ए) पूर्वोत्तर उद्यमी विकास (नीड)	96
ऐ) पूर्वोत्तर हथकरघा हस्तकला (एस.एन.ई.एच.एच.)	97
ओ) रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	97
औ) सक्रिय पूंजी सावधि ऋण	98
अं) अनुबंध वित्तापूर्ति के लिए डब्ल्यूसीटीएल	99
अः) महिला उद्यमी विकास (डब्ल्यूईडी)	99
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम	100
4. पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (नेर्लेप)	100
5. विज्ञापन और प्रचार	101
8. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएँ	103
1. नई रोशनी योजना - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए	104
2. अल्पसंख्यकों के लिए नालंदा परियोजना	105
3. अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए 'सीखो और कमाओ' योजना	105
4. विकास का अनुसंधान / अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	106
9. पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की योजनाएँ	109
1. सामूहिक प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपीएस)	110
2. स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एनईडीएफआई की ओर से सहायता के रूप में अनुदान	111
3. कचरा न्यूनीकरण एवं स्वच्छता तकनीकी	112

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाएँ	115
1. शिक्षता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना	116
2. प्रौद्योगिकी विकास अभियान	117
11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाएँ	119
1. आयुर्वेद, योग एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) क्लस्टरों का विकास	120
2. आयुष में अतिरिक्त म्यूरल रिसर्च	121
3. जन स्वास्थ्य पहलों में आयुष हस्तक्षेप संवर्धन	122
4. आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का उन्नयन	123
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार	124
12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजनाएँ	127
1. संचित निधि योजना (सीएफएस)	128
2. केरोसीन मुक्त दिल्ली योजना (डीकेएफएस)	128
3. राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी)	129
13. खान मंत्रालय की योजनाएँ	133
1. निर्माण सामग्री के खनन (गौण खनिज) के लिए खनन योजना	134
14. भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजनाएँ	135
1. सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता योजना	136
2. राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना (एनएचएआरएसएस)	137
15. उपभोक्ता मामलों, खाद्यान्न एवं जनवितरण प्रणाली मंत्रालय की योजनाएँ	139
1. अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)	140
2. निजी उदयमी गारंटी (पेग)	141
16. रक्षा मंत्रालय की योजनाएँ	143
1. पूर्व सैनिकों (ईएसएम) या विधवाओं को वर्ग- 5 'बी' सेना के अधिक वाहनों का आबंटन	144

2.	मदर डेयरी दूध बूथ और फल व सब्जियों (सफल) दुकानों का आबंटन	145
3.	एलपीजी वितरक 18 % कोटा के अंतर्गत नियमित आबंटन	145
4.	कोयले का लदान और परिवहन	146
5.	कोयला टिप्पर एटेचमेंट	147
6.	गोपालजी डेयरी दूध बूथ/दूध दुकान/ रिटेल आउटलेट	148
7.	जेसीओ/ओआर के लिए गोपालजी फार्म फ्रेश	148
8.	एनसीआर में सीएनजी स्टेशन प्रबंधन	149
17.	नीति आयोग की योजनाएँ	151
	स्वरोज्जगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु)	152
18.	कृषि मंत्रालय	153
	उद्यम विकास योजनाएँ	154
1.	विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क	154
2.	एगमार्क प्रेडिंग सुविधाओं का मज़बूतीकरण	154
3.	कृषि विपणन आधारभूत संरचना, श्रेणी निर्धारण और मानकीकरण का विकास और मज़बूतीकरण	154
4.	ग्रामीण भांडारण योजना : ग्रामीण गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण के लिए पूंजी निवेश पर अनुदान	155
5.	छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघों व कृषि-व्यापार की विकास योजना	155
6.	सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के कार्यक्रमों के लिए सहायता	156
7.	कृषि उपचार और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना	156
8.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	157
	अ) वाणिज्यिक बागवानी का विकास	157
1)	खुले परिसर में बागवानी	157
2)	संरक्षित आवरण में बागवानी	157
3)	फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजना के लिए बागवानी	157
आ)	बागवानी उत्पादों के लिए शीतगृह भांडार और भांडार गृहों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश अनुदान	158

1)	शीतगृह भांडार इकाई - मूलभूत तल्ला (मेज़नीन) संरचना	158
2)	शीतगृह भांडार इकाई - प्री- इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग (पीईबी) संरचना	158
3)	नियंत्रित वातावरण के लिए आवश्यक तकनीक युक्त शीतगृह इकाई	159
4)	शीतगृह शृंखला	159
5)	प्रशीतित परिवहन वाहन (रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हेइकल्स)	159
9.	प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन एवं मज़बूतीकरण	160
10.	फसल कटाई उपरांत तकनीकी एवं प्रबंधन	160
11.	भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विदेशों में जैविक उत्पादों का पंजीकरण करने के लिए क्षमता निर्माण	161
12.	डेयरी उद्यमिता विकास	161
13.	चारा और पशुखाद्य विकास	162
19.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	163
	पेट्रो-रसायन योजना विभाग	164
1.	पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र	164
2.	प्लास्टिक पाकों की स्थापना	164
	उर्वरक विभाग की योजना	164
1)	पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस)	164
	औषधि विभाग (डीओपी) की योजना	165
1)	औषधि (भेषज) विभाग के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम	165
20.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	167
	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजनाएँ	168
1)	निर्यातक ऋण बीमा	168
	अ) छोटे निर्यातकों के लिए नीति (एसईपी)	168
	आ) लघु और मध्यम निर्यातकों के लिए नीति	168

औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन योजना विभाग	169
2) भारतीय चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम	169
अ) बृहद् चर्मोद्योग क्लस्टर	169
आ) मार्केट एक्सेस (बाजार पहुंच) पहल (एमएआई)	169
चाय बोर्ड की योजनाएँ	169
3) चाय बोर्ड के साथ विदेशों में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में सहभागिता	169
4) भारतीय मूल के पैकेज्ड चाय को प्रोत्साहन	170
मसाला बोर्ड योजनाएँ	170
5) मसालों का निर्यात, विकास और संवर्धन	170
अ) विदेशों में भारतीय मसालों को प्रोत्साहन	170
आ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसालों का प्रसंस्करण	171
इ) अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले /बैठकें	171
21. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	173
1. अनुसंधान एवं विकास अनुदान	174
2. प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई)	174
3. गुणक अनुदान (मल्टीप्लायर ग्रांटस)	174
4. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (एसआईपी-ईआईटी) अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए सहयोग	175
5. ई-गवर्नेंस	175
अ) सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीएससी)	175
आ) क्षमता निर्माण	175
इ) स्टेट डाटा सेंटर	176
ई) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	176
6. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)	176
7. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)	177
8. इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)	177
9. एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी)	177
10. शुल्क छूट और माफी	178
11. अनुमानित निर्यात	178

12. निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास	178
13. आईएसईए परियोजना के तहत निजी संस्थानों की भागीदारी	179
22. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	181
1. दस्तावोज़ों को जमा करने (ई-फाइलिंग) की सुविधा के लिए पेशेवर योग्य लोगों / निकायों द्वारा संचालित किये जाने वाले प्रमाणित फाइलिंग केंद्र	182
2. ईईएस फाइलिंग और सूचना	182
3. निकासी का फास्ट ट्रैक मोड	182
23. संस्कृति मंत्रालय	185
1. संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों को फैलोशिप	186
2. संग्रहालय पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	186
3. स्टूडियो थियेटर्स सहित निर्माण के लिए अनुदान	186
24. वित्त मंत्रालय	187
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	188
सिडबी की योजनाएं	190
1. वृद्धि पूंजी और भागीदारी सहायता	191
2. लघु सड़क परिवहन ऑपरेटरों (एसआरटीओएस) के लिए पुनर्वित्तीयन (रीफाइनांस)	190
3. सामान्य पुनर्वित्तीयन (जनरल रीफाइनांस)	191
4. प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के तहत (आरटीयूएफ) वस्त्र उद्योग के लिए पुनर्वित्तीयन	191
5. एमएसई इकाइयों द्वारा आईएसओ श्रृंखला प्रमाणन की प्राप्ति	191
6. संयुक्त ऋण	191
7. एकल खिड़की	192
8. बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास	192
9. एमएसएमई क्षेत्र के लिए औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास	192
10. एकीकृत संरचनात्मक विकास (आईआईडी)	192
11. उपकरणों के बिलों पर पुनः छूट	193

12. उपकरण बिलों में पुनः छूट (अंतर्देशीय आपूर्ति बिल)	193
नाबार्ड की योजनाएँ	193
1. उत्पादक संगठन विकास कोष (पीओडीएफ)	193
2. डेयरी वेंचर कैपिटल फंड	194
3. ग्रामीण पिछवाड़े के आंगन में मुर्गी पालन के लिए कुक्कुट संपदा (पोल्ट्री एस्टेट्स) और मातृ इकाइयों की स्थापना	194
4. ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना / आधुनिकीकरण	194
5. जैविक आदानों (ऑर्गेनिक इनपुट) की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयाँ	195
6. पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड	195
7. क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी	195
8. स्व-रोज़गार क्रेडिट कार्ड	196
9. नाबार्ड भाण्डारण योजना	196
25. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	199
1. मेगा फूड पार्क	200
2. शीतगृह शृंखला (कोल्ड चेन)	200
3. बूचड़खानों का आधुनिकीकरण	200
4. अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स और प्रचार गतिविधियाँ	201
5. राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण अभियान (एनएमएफपी)	201
26. शहरी गरीबी उन्मूलन और आवास मंत्रालय	203
1. राजीव आवास योजना (आरएवाई)	204
2. राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)	204
3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	204
4. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	205
27. ग्रामीण विकास मंत्रालय	207
1. आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम	208
2. मनरेगा कार्यक्रम	209
3. इंदिरा आवास योजना	211

5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	212
6. प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास साथी (पीएमआरडीएफ)	212
7. ग्रामीण क्षेत्रों (पीयूआरए) को शहरी सुविधाओं का प्रावधान	212
8. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	213
28. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	215
1. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (आईएसटीसी)	216
2. विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद (एसईआरसी)	216
3. राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम (एसएसटीपी)	216
4. ग्रामीण विकास (स्टार्ड) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आवेदन	217
5. कमजोर वर्गों (एसटीएडब्ल्यूएस) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी	217
6. युवा वैज्ञानिकों (वाईएस)	217
7. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)	218
8. जटिल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (सीटीपी)	218
9. महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी	218
10. राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईबी)	219
अ) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र (आईईडीसी)	219
आ) उद्यमिता विकास सेल (ईडीसी)	219
इ) उद्यमिता विकास कार्यक्रम	219
ई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास (एसटीईडी)	220
उ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों / उद्यमिता पार्क (स्टेप)	220
ऊ) प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई)	220
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की योजनाएँ	221
11. जैव प्रौद्योगिकी	221
12. जैव प्रौद्योगिकी (बीटी) चरण-1	221
13. पशु / कृषि / समुद्री जैव प्रौद्योगिकी / जैव संसाधन कार्यक्रम	221
14. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग पार्टनरशिप कार्यक्रम (बीआईपीपी)	222
15. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग शोध सहायता कार्यक्रम (बीआईआरएपी)	222
16. जैव प्रौद्योगिकी प्रज्वलन अनुदान (बीआईजी)	222

29. सामाजिक न्याय मंत्रालय	223
1. राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (आरजीएनएफ)	224
2. अनुसूचित जाति कल्याण	224
3. अनुसूचित जाति संगठनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन	224
4. अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजना	224
30. कपड़ा मंत्रालय	227
1. एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए परिधान विनिर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान	228
2. परियोजना मोड में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	228
विकास आयुक्त (हथकरघा) योजनाएँ	228
1. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास (सीएचसीडी) - बृहद् हथकरघा क्लस्टर (12 वीं योजना)	228
2. व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडी)	229
3. यार्न की आपूर्ति	229
4. पश्मीना ऊन विकास	229
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) योजनाएँ	230
1. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन	231
2. बाबासाहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	231
3. मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	231
31. पर्यटन मंत्रालय	233
1. टाइम शेयर रिसॉर्ट्स (टीएसआर)	234
2. तंबूनुमा निवास सुविधा (टैन्टेड एकोमोडोशन)	234
अ) मोटेल आवास	234
आ) होटल निवास सुविधा	234
3. यात्रा व्यवसाय	235
4. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (संस्थान)	235
5. विपणन विकास सहायता (एमडीए)	235
6. प्रचार और विपणन	235
7. क्षेत्रीय स्तरीय गाइड्स के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	236

8.	राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना	236
9.	स्टैण्ड अलोन रेस्टोरेंट्स	236
10.	हुनर-से-रोजगार तक सेना के सहयोग से (रोजगार परक कौशल विकास के लिए)	237
32.	आदिवासी कल्याण मंत्रालय	239
1.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	240
2.	वनवासी जनजातियों का सशक्तिकरण	240
3.	स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम(एमसीएस)	240
33.	शहरी विकास मंत्रालय	241
1.	राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र (एनयूआईएस)	242
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	242
3.	साझा वित्त विकास निधि	242
34.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	243
	महिलाओं से संबंधित योजनाएं	244
1.	लिंगानुपात बजट निर्माण (जीबी)	244
2.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) को मदद	244



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाएँ



लघु एवं मध्यम उद्यम प्रभाग की योजनाएँ

संबंधित योजनाएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विवरण

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं :

- अ) प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण अथवा उन्नयन, संयुक्त उद्यमों के लिए सुविधाओं की आपूर्ति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों के लिए बाजार सुधार विदेशी सहयोग आदि संबंधी नए क्षेत्रों की खोज के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम व्यापार प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति।
- आ) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विदेशों के साथ ही भारत में क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी।
- इ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए हितकर विषयों और मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन।

सहायता का स्वरूप

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत उद्यमियों को हवाई यात्रा के 95 प्रतिशत तक टिकट के रूप में आर्थिक सहायता मुहैया की जाती है। यह सहायता आकार और प्रकार के आधार पर मुहैया की जाती है। यह प्रतिनिधि मंडल के भाडे, बीमा, स्थानीय परिवहन, सचिवीय / संचार सेवाएँ, सामान्य कैटलॉग आदि के लिए भी सहायता मुहैया करवाता है।

कौन आवेदन कर सकता है अ) राज्य/केंद्र सरकारी संगठन;

आ) उद्योग/उद्यम संघ; और

इ) पंजीकृत संस्थाएँ/न्यास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार तथा विकास से संबंधित संगठन

कैसे आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011 पते पर भेजे जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)

विवरण

प्रशिक्षण संस्थाओं को यह सहायता आधारभूत सुविधाओं के विकास/मज़बूतीकरण के लिए आर्थिक अनुदान और उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता।

सहायता का स्वरूप

आधारभूत ढाँचे के मज़बूतीकरण को साकार करने के लिए अधिकतम सहायता अनुकूलता के अनुसार 1.50 लाख रहेगी, परियोजना की कुल लागत की 50% से अधिक नहीं होगी। जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए (सिक्किम सहित) अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए अनुकूलता के अनुसार अधिकतम सहायता 2.70 लाख रुपये अथवा परियोजना के कुल मूल्य के 90% तक में से जो कम होगी देय होगी।

प्रति प्रशिक्षु के लिए उद्यमिता विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अधिकतम सहायता प्रति घंटा 50 रुपये (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों के लिए 60 रुपये) है।

कौन आवेदन कर सकता है

कोई भी राज्य/केंद्र शासित सरकार का प्रशिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य विकास एजेंसियाँ आधारभूत सुविधाओं के सृजन अथवा मज़बूती के लिए आवेदन कर सकती हैं।

जो भी संस्थान इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, उन्हें अपना पंजीकरण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान **निम्समे**, हैदराबाद के पास करना आवश्यक है।

आवेदन कैसे करें

जो संगठन आधारभूत ढाँचे के सृजन अथवा मज़बूतीकरण के लिए सहायता के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन निदेशक (उद्यमिता विकास संस्थान) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110107 को भेज सकते हैं।

जो प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना चाहते हैं अथवा जो व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना चाहते हैं, वे वेबसाइट <http://msmetraining.gov.in> पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उपरोक्त उद्यमिता विकास संस्थानों में से किसी एक से संपर्क कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

विपणन सहायता

सहायता निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मुहैया की जाती हैं:

- अ) विश्वभर में प्रदर्शनियों के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में सहभागिता।
- आ) अन्य संगठनों / उद्योग संघों, एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के सहप्रायोजन।
- इ) क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के आयोजन, सघन अभियानों और विपणन विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना।

सहायता का स्वरूप

उद्यमियों के लिए हवाई यात्रा टिकट और जगह किराए के लिए 95 प्रतिशत तक की सहायता। वित्तीय सहायता की प्रकृति उद्यम के प्रकार और आकार के आधार पर प्रदान की जाती है।

सह-प्रायोजन के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा खर्च के 40 प्रतिशत और अधिकतम 5 लाख रुपए तक सीमित रहेगी।

कौन आवेदन कर सकता है

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघ तथा अन्य सू.ल.म. उद्यम क्षेत्र से संबंधित अन्य संगठन।

आवेदन कैसे करें

योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदनों या प्रस्तावों को पूर्ण विवरण और औचित्य के साथ निकटतम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

विकास आयुक्त- सूलमउ (डीआई एमएसएमई) की योजनाएँ

संबंधित योजनाएँ ऋण गारंटी (क्रेडिट गारंटी)

विवरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ओर से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना पर अमल किया जा सके। इस ट्रस्ट के कोष में भारत सरकार और सिडबी की ओर से योगदान किया जा रहा है।

सहायता का स्वरूप

व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अधिकतम 50 लाख तक सहायता मुक्त ऋणपूर्ति।

कौन आवेदन कर सकते हैं

मौजूदा और नए उद्यम इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं

कैसे आवेदन करें

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों बैंकों / वित्तीय संस्थाओं, इस योजना के तहत पात्र हैं, जो या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दृष्टिकोण और चुन सकते हैं पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को लागू करने के लिए कैसे करें।

संबंधित योजनाएँ

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस)

विवरण

आमतौर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन का अर्थ विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा समान विशिष्ट प्रौद्योगिकी की स्थापना होता है। भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र में 7,500 से अधिक उत्पादों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकारों (मोज़ेक) में, प्रौद्योगिकी उन्नयन वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर से वास्तव में उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है, जिससे उत्पादकता में सुधार तथा / अथवा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और / या इकाई के माहौल,

जिसमें कार्यात्मक माहौल में सुधार का लक्ष्य साध्य किया जा सकता है। इसमें बेहतर पैकेजिंग तकनीक के साथ ही प्रदूषण विरोधी उपायों और ऊर्जा संरक्षण मशीनरी की स्थापना शामिल होती हैं। इसी तरह जिन उद्योग इकाइयों में भीतरी परीक्षण और ऑन लाइन गुणवत्ता नियंत्रण उन्नयन के उपाय प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, उनमें भी प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्थितियाँ समान होती हैं।

संपूर्ण उपकरण / प्रौद्योगिकी की समान उपकरण / प्रौद्योगिकी के स्थान पर स्थापना इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी और इतना ही नहीं, इकाई में सेकेंड हैंड मशीनरी की स्थापना के साथ उन्नयन के लिए इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सहायता का स्वरूप

संशोधित योजना का लक्ष्य छोटे, खादी, ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योग की औद्योगिक इकाइयों, सहित लघु उद्योग इकाइयों को उनके द्वारा लिये गये औद्योगिक वित्तीय सहायता पर 15% तक पूँजीगत (अप फ्रंट कैपिटल) सब्सिडी देकर सुविधा मुहैया करना है, जिससे उन्हें इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित उप क्षेत्रों / उत्पादों में सुस्थापित और नवीनतम सुधारों से युक्त प्रौद्योगिकी की स्थापना करना संभव हो सके।

ऋण सम्बद्ध पूँजी रियायत योजना में संशोधन निम्नलिखित रूप से किया किया गया है:

- क) योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है।
- ख) सब्सिडी की दर 12% से 15% तक बढ़ायी गयी है।
- ग) स्वीकार्य पूँजी सब्सिडी की गणना लाभार्थी इकाई के लिए वितरित सावधि के ऋण के बजाय संयंत्र और मशीनरी के खरीदी मूल्य के संदर्भ में की जाती है।
- घ) सब्सिडी के लिए लघु उद्योग इकाइयों की पात्रता का निर्धारण उनके वर्तमान निवेश के आधार पर अलग-

अलग स्लैब में वर्गीकृत कर किया जाता है; और

कौन आवेदन कर सकता है एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियाँ और निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों तथा सार्वजनिक निजी के साथ ही योग्य लाभार्थी में आवेदन कर सकते हैं। महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें

मानदंड की पूर्ति करने वाले उम्मीदवार सभी शेड्यूल्ड सहकारी बैंकों (सिडबी द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन कोषों (टीयूएफ) के अंतर्गत सहयोजित शहरी सहकारी बैंकों के साथ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य वित्त निगम (एसएफसी) और पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्था (एनईडीएफआई) से सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति

विवरण

लघु एवं मध्यम उद्यम गतिशील और जीवंत क्षेत्र के रूप में उभरने के साथ ही औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण और बाजार सुधारों की प्रक्रिया के कारण भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है। लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने उनके तकनीकी उन्नतीकरण / गुणवत्तापूर्ण सुधार और माहौल प्रबंधन से संबंधित एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उन लघु एवं मध्यम उद्यमों / सहायक उपक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिन्होंने आईएसओ 9000 / आईएसओ 14001 / एचएसीसीपी प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है। आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति को शामिल करने के लिए इस योजना के प्रारूप में विस्तार किया गया है।

सहायता का स्वरूप

इस योजना के अंतर्गत प्रति मामले में आईएसओ 9000/ आईएसओ 14001/ एचएसीसीपी प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए आने वाले व्यय की 75 प्रतिशत अथवा

अधिकतम 75,000 में से जो अधिकतम हो, की प्रतिपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

कौन आवेदन कर सकता है स्थायी पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ उठाने के पात्र होते हैं। इस योजना के लाभ के लिए वह सूक्ष्म और लघु उद्यम, सहायक इकाइयाँ तथा एसएसबी इकाइयाँ पात्र होती हैं, जो पहले से ही आईएसओ 9000/ आईएसओ 14001/ एचएसीसीपी प्रमाणीकरण हासिल कर चुकी हैं।

आवेदन कैसे करें

ईएम नंबर धारण कर चुके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के निदेशक, के पास निम्नलिखित वेबसाइट में दिये गये पते पर www.dcmsme.gov.in जमा करें।

संबंधित योजनाएँ

सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

विवरण

मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धिता के साथ ही क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी करने और देश में उनकी सामूहिकता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाया है। इकाइयों को क्लस्टर के रूप में संग्रहित करने से भी बैंकों और क्रेडिट एजेंसियों सहित विभिन्न अन्य सेवाओं के प्रदाताओं के लिए किफायती शुल्क पर सेवाएं मुहैया करना संभव होता है। इस तरह इन उद्यमों के लिए शुल्क में कटौती करने के साथ ही सेवाओं की उपलब्धता में बढ़ोतरी की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य:

- 1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अस्तित्व तथा विस्तार में सहायता के लिए तकनीकी, कौशल और गुणवत्ता उन्नतीकरण के साथ ही बाज़ार तक पहुँच एवं पूँजी प्राप्ति जैसे सामान्य मुद्दों को उभारना।

- 2) सामूहिक मदद कार्यों के लिए स्व-सहायता समूहों का गठन, भागीदारी, संघों का उन्नयन, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना इत्यादि।
- 3) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के नये / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों / समूहों में ढाँचागत सुविधाओं का उन्नयन करना।
- 4) सामान्य सुविधा केंद्रों का गठन (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चे माल के डिपो, प्रभावी प्रक्रिया, प्रवाह उपचार आदि के लिए)

सहायता का स्वरूप

- नैदानिक अध्ययन
- सॉफ्ट हस्तक्षेप
- ठोस हस्तक्षेप -सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (उन्नयन/नव स्थापना)

परियोजना का मूल्य और भारत सरकार की सहायता :

- नैदानिक अध्ययन - अधिकतम मूल्य 2.50 लाख
- सॉफ्ट हस्तक्षेप — परियोजना 25.0 लाख की अधिकतम लागत पर 75% भारत सरकार के योगदान के साथ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए और 50% से अधिक महिलाओं / सूक्ष्म/ ग्राम/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति इकाइयों के साथ समूहों के लिए 90%)
- ठोस हस्तक्षेप यानी सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना — पात्र परियोजना का अधिकतम मूल्य भारत सरकार के 70% योगदान के साथ 15.00 करोड़ रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 % से अधिक से महिलाओं / सूक्ष्म उद्यमों/ ग्रामोद्योगों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समूहों के लिए 90%)।

- नए / मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों/ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास; भारत सरकार के 60% योगदान के साथ (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए और 50% से अधिक महिलाओं / सूक्ष्म उद्योगों/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति इकाइयों के साथ समूहों के लिए 80%) पात्र परियोजना की अधिकतम लागत 10.00 करोड़।

कौन आवेदन कर सकते हैं औद्योगिक संघ/ साझेदार, क्लस्टर

आवेदन कैसे करें

01.04.2012 से प्रभावी केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाता है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकायों अथवा एमएसएमई मंत्रालय के फील्ड संस्थानों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। प्रस्तावों को एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति ने मंजूरी दी जाती है।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

माइक्रो फ़ाइनेंस कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्तापूर्ति (माइक्रो फाइनेंस) की एक योजना शुरू की गई है और सिडबी से ऋण प्राप्त करने एवं एमएफआई/ गैर सरकारी संगठनों के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा संबंधी योगदान के अंतर्गत मौजूदा कार्यक्रम के लिए सिडबी से समझौता किया है। यह योजना सेवाधीन ज़िलों तथा सेवाधीन विशेष क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

सहायता का स्वरूप

भारत सरकार सूक्ष्म वित्तापूर्ति के लिए सिडबी को निधि मुहैया करती है, जिसे 'पोर्टफोलियो रिस्क फंड' (पीआरएफ) कहा जाता है। वर्तमान में सिडबी ऋण राशि के 10% के बराबर सावधि जमा के रूप में लेता है। एमएफआई/ गैर सरकारी संगठनों का हिस्सा सऋण राशि के 2.5% (यानी, सुरक्षा जमा का 25%) होता है और शेष 7.5% (यानी, सुरक्षा जमा का 75%) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से समायोजित किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है एमएफआई/ गैर सरकारी संगठन

आवेदन कैसे करें

संबंधित योजनाएँ

विवरण

निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव सिडबी को सौंपें

एमएसएमई बाजार विकास सहायता (एमडीए)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए व्यापक नीति पैकेज के हिस्से के रूप में एमएसएमई-एमडीए योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सहभागी इकाइयों के प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना है। एमएसएमई-एमडीए योजना का प्रावधान हाल ही में संशोधित किया गया है। एमडीए निम्नलिखित तीन प्रारूपों में मुहैया की जाती है।

- 1) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों मेलों में सहभागिता – उद्यम निदेशालय / जिला उद्योग केंद्र के पास पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों के लिए।
- 2) बारकोडिंग में वैश्विक मानक (जीएस-1) का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता।
- 3) विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के माध्यम से मान्यता प्राप्त महत्व विकास आयुक्तालय के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए।

खरीद और मूल्य वरीयता नीति - यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजना के माध्यम से चलाई जाती है। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा 358 वस्तुएँ खास तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से खरीदी के लिए आरक्षित रखी गई हैं। रजिस्टर्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए - अन्य सुविधाओं में व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निःशुल्क निविदा दस्तावेज़, सुरक्षा जमा और बयाना से छूट तथा और केंद्र सरकार की खरीदी में 15% मूल्य वरीयता की सुविधा शामिल है।

सहायता की प्रकृति

इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडलों को विदेशी मेलों / व्यापार प्रतिनिधि मंडलों में शिरकत के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और एसोसिएशनों को आने-जाने संबंधी हवाई यात्रा के

किराये में से 75% शुल्क का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रचार सामग्री के प्रकाशन के लिए वित्तापूर्ति (2 लाख रुपए तक), क्षेत्रीय विशिष्ट अध्ययन (2 लाख रुपये तक) और विदेशी बाजारों में कम मूल्य पर विक्रय के मामलों की प्रतिस्पर्धा के लिए (50%, 1 लाख तक) वित्तीय सहायता की जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा उद्योग संघ आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें निर्धारित योग्यता मानदंडों की पूर्ति करने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन संबंधित एमएसएमई-विकास संस्थानों अथवा विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के माध्यम से भेज सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यक्तिगत सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम)

विवरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, निर्यात, नवाचार, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापना के मामले में अद्भुत विकास तथा प्रगति दर्ज की है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के अनुमानित उद्देश्यों से भी परे हैं। उद्यमशीलता के बारे में किये गये प्रयासों के कारण अब तक आयात की जाने वाली कई वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। काफी कुछ मामलों में ऐसा उत्पादित नए रूपांतरण उनके मूल संस्करण से भी अधिक अतिरिक्त विशेषताओं से युक्त होने के कारण उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। यह सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों की दूरदर्शी भावना के कारण संभव हो पाया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रयासों और योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष चयनित उद्यमियों और उद्योगों के राष्ट्रीय पुरस्कारों योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

क्र	श्रेणी	1 राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 1.00 लाख रु.)	2 राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 0.75 लाख रु.)	3 राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 0.50 लाख रु.)	महिलाओं के लिए विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 1.00 लाख)	अ.जा. ज.ज. के उद्यमियों को विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 1.00 लाख)	उ.प.क्षे. के उद्यमियों के लिए विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार (नकद पुरस्कार 1.00 लाख रु.)	80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एमएसएमई विशेष पहचान पुरस्कार उ.प.क्षे. के मामले में 50% (नकद पुरस्कार 0.20 लाख)
1.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में विशेष प्रयास (एमएसएमई)							
	1) विनिर्माण में संलग्न सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में उद्यमिता के उत्कृष्ट प्रयास	√	√	√	√	√	√	√
	2) एमएसएमई क्षेत्र की सेवाएं मुहैया करने में उत्कृष्ट प्रयास.	√	√					√
	3) विनिर्माण में संलग्न मध्यम उद्यमों में उद्यमिता के उत्कृष्ट प्रयास	√	√					√
2.	एमएसएमई में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास							
	1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में अनुसंधान तथा विकास के प्रयास	√	√					√
	2) मध्यम उद्यमों में अनुसंधान तथा विकास के प्रयास	√						√
3.	प्रत्येक चयनित उत्पाद समूह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद	√						√
4.	उद्यमिता सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	√						√

कौन आवेदन कर सकता है सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का संचालन करने वाले स्थायी पंजीकरण कर चुके योग्य उद्यमी/अधिसूचित अधिकारियों के पास उद्यमी का ज्ञापन भाग-2 दायर कर चुके उद्यमी। ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो कम से कम पिछले तीन वर्ष से लगातार उत्पादन / सेवा कार्य में संलग्न हो।

कैसे आवेदन करें योग्य उद्यमी, अपने नामांकन निर्धारित प्रपत्र (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) में भरकर उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिस राज्य में पंजीकृत हो/उन्होंने उद्योजक का ज्ञापन (ईएम) जमा किया हो वहाँ के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के निदेशक के पास जमा कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धिता कार्यक्रम (एनएमसीपी)

विवरण राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीपी) ने पांच साल के एक राष्ट्रीय विनिर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इसके अंतर्गत दस योजनाओं का रूपांकन किया गया है, जिनमें आईसीटी के विस्तार, मिनी टूल रूम, डिजाइन क्लिनिक और लघु तथा मध्यम उद्यमों को विपणन समर्थन शामिल है। इनका कार्यान्वयन पीपीटी माध्यम से किया जाएगा और वित्त पोषण के बारे में समझौता किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

- 1) विपणन समर्थन /सू.ल.म. उद्यमों को सहायता (बार कोड)
- 2) उष्मायकों के माध्यम से उद्यमिता और प्रबंधकीय समर्थन
- 3) गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्ता तकनीकी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को परिपूर्ण बनाना। उपकरण (गु.प्र.प्र./क्यूटीटी)

- 4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के बारे में जागरूकता लाना।
- 5 क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लीन (अपव्यय विरहित) विनिर्माण योजना
ख) सफलता की कहानियों का सार-संग्रह
- 6 क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए डिज़ाइन विशेषज्ञता के लिए डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम।
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम के अंतर्गत डिज़ाइन परियोजनाओं के मामलों का अध्ययन।
- 7 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में विपणन सहायता तथा तकनीकी उन्नयन।
- 8 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को तकनीकी और गुणवत्ता उन्नयन समर्थन।
- 9 भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में आईसीटी का विस्तार

सहायता का स्वरूप

प्रत्येक योजना के लिए भिन्न। निम्नलिखित वेबसाइट पर सम्पर्क करें। http://www.dcmsme.gov.in/schemes/nmcp_scm.htm

कौन आवेदन कर सकता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

कैसे आवेदन करें

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर उसमें प्रस्ताव जमा करें।

1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता (बार कोड)

विवरण

इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से बार-कोड का उपयोग करने के

लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें पंजीकरण शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

बार कोडिंग के लिए पंजीकरण शुल्क का पुनर्भुगतान (एकमुश्त और तीन वर्ष के लिए आवर्ती). 1 जनवरी 2002 के प्रभाव से एक बार पंजीकरण (एमसीए-एमडीए के तहत) शुल्क के 75% का पुनर्भुगतान और बार कोडिंग के उपयोग के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा जीएस1 इंडिया को पहले तीन वर्ष के लिए अदा किये गये वार्षिक आवर्ती शुल्क का पुनर्भुगतान, 1 जून 2007 के प्रभाव से।

कौन आवेदन कर सकता है

यह योजना उन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए लागू हैं, जिन्होंने बार कोडिंग के लिए जीएस 1 के पास उद्यमिता ज्ञापन 2 दायर किया है।

आवेदन कैसे करें

उत्पादों के लिए बारकोड के उपयोग के पंजीकरण होने पर शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करें : बार कोड पर प्रतिपूर्ति (वापस पाने) का दावा करने के लिए निर्धारित आवेदन फार्म भरे।

- आवेदन—पत्र के साथ सहायक दस्तावेजों का प्रारूप निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई) से प्राप्त किया जा सकता है अथवा <http://www.dcmsme.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन प्रपत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई) के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
- सू.ल.म.उ. विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई) के पते www.dcmsme.gov.in/MSME-DO/DCmsmeaddress.html वेबसाइट पर दिये गए हैं :

2) इनक्यूबेटरों के जरिये सू.ल.म.उद्यमों का उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास

विवरण

यह योजना अनोखी व्यापार तरकीबों, ((नई स्वदेशी तकनीक, प्रक्रियाओं, उत्पादों, प्रक्रियाओं आदि) जो एक वर्ष से कम अवधि में वाणिज्यिकृत की जा सकती हो, को प्रारंभिक चरण का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यापार इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

बिजिनेस इनक्यूबेटरों (बीआई) की स्थापना के लिए वित्तीय अनुदान संबंधित बिजिनेस इनक्यूबेटर(बीआई) के लिए 4 से 8 लाख तक हो सकती है। अनुदान की अधिकतम सीमा प्रत्येक बिजिनेस इनक्यूबेटर के लिए 62.5 लाख है। प्रत्येक बिजिनेस इनक्यूबेटर के लिए निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है -

- क) आधारभूत ढाँचे का उन्नतकीकरण 2.50 लाख रुपये
- ख) अनुकूलन/प्रशिक्षण 1.28 लाख रुपये
- ग) प्रशासनिक व्यय 0.22 लाख रुपये

इस प्रकार प्रति बिजिनेस इनक्यूबेटर के लिए सहायता 66.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

कौन आवेदन कर सकता है

व्यावसायीकरण के लिए तैयार मेजबान संस्थान (जैसे, भारतीय तकनीकी संस्थान, तकनीकी महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों आदि) संस्थानों की सूची इस वेब साइट पर देख सकते हैं -

http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Institution_s_Detail.pdf

कोई भी तकनीकी संस्थान (जैसे ईओआई में दर्शाया गया है) जो मेजबान संस्थान बनना चाहता हो, वह विकास आयुक्त सू.ल.म.उ. के कार्यालय अथवा निकट स्थित सू.ल.म.उ. विकास संस्थान से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।

कैसे आवेदन करें

मेजबान संस्थान बनने के इच्छुक तकनीकी संस्थान यह आवेदन कर सकते हैं, एक बार प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी)/ रुचि की अभिव्यक्ति जारी किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अथवा सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यम सीधे तौर पर नज़दीक के मेज़बान संस्थान के पास आवेदन कर सकता है। मेज़बान संस्थानों की सूची वेबसाइट :

http://www.dcmsme.gov.in/schemes/Institution_s_Detail.pdf पर दी गई है।

3) विनिर्माण क्षेत्र को गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्ता तकनीक उपकरणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाना

विवरण

यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नवीनतम गुणवत्ता प्रबंधन मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता तकनीकी उपकरण (क्यूटीटी) के बारे में समझ दिलाने के साथ उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य शुरू की गई।

सहायता का स्वरूप

- तकनीकी संस्थानों में सटीक पाठ्यक्रम मोड्यूलों को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के बारे में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता (आवेदक— विशेषज्ञ संगठन अथवा उद्योग संघ)
- प्रतियोगिता निगरानी (सी-वॉच), अध्ययन और विश्लेषण कार्य के लिए वित्तीय सहायता।
- चुनिंदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) और गुणवत्ता तकनीकी उपकरण (क्यूटीटी) की प्रस्तुति।
- अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अभियान में सहभागिता (निगरानी एवं सलाहकार समिति की ओर से चयनित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम)

- कार्यशालाओं तथा अन्य गतिविधियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री की प्रस्तुति, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 425 लाख रुपये का योगदान दिया जाएगा।
- सी-वाँच कार्यक्रम के अंतर्गत
- संकट से गुज़र रहे (श्रेटन्ड) उत्पादों पर तकनीकी व्यावसायिक अध्ययन के लिए भारत सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये का योगदान।
- तकनीकी प्रदर्शन दौरे के लिए 7.5 लाख रुपये भारत सरकार का योगदान।
- नमूनों की अधिप्राप्ति (खरीदी) के लिए भारत सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये का योगदान।
- उत्पाद विकास के लिए भारत सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का योगदान।
- सुधारित उत्पादों के लिए भारत सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये का योगदान।
- गुणवत्ता संबंधी तकनीकी उपकरणों /गुणवत्ता प्रबंधन मानकों को अमल में लाने और नैदानिक अध्ययन को कवर करने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रति इकाई 2.5 लाख रुपये का योगदान। सहभागी इकाइयों द्वारा 25 से 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए प्रति लघु एवं मध्यम इकाई के लिए भारत सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये का योगदान क्रमशः 25 और 50 % का योगदान प्रति सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की ओर से किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकता है भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), राष्ट्रीय कार्मिक भर्ती और प्रशिक्षण बोर्ड,

परामर्श विकास निगम, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, गुणवत्ता परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी, सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्थित एक संस्था), भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान (आईआईक्यूएम), गुणवत्ता प्रबंधन/ और गुणवत्ता तकनीकी उपकरण (क्यूटीटी), तकनीकी संस्थान जैसे विशेषज्ञ संगठन, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, टूल रूमस और उसके समान निकाय और सूक्ष्म तथा लघु उद्योग।

कैसे आवेदन करें

सूक्ष्म एवं लघु संस्थानों अथवा क्लस्टर, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। विकास आयुक्त का कार्यालय गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्ता तकनीकी उपकरण (क्यूएमएस /क्यूटीटी) पर जागरूकता का कार्यक्रम का संचालन करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्लस्टर का चयन करेगा।

4) बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता बढ़ाना (आईपीआर)

विवरण

इस योजना का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर)के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) के बीच जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वह अपने विचारों और व्यापार रणनीतियों की रक्षा के लिए कदम उठा सकें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावी उपयोग भी उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता के साथ ही उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने सहायक होगा।

सहायता का स्वरूप

निम्नलिखित के लिए वित्तीय अनुदान

- आईपीआर पर जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- उद्योगों के चयनित क्लस्टरों/ समूहों के लिए प्रायोगिक अध्ययन का संचालन (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)

- संवादमूलक संगोष्ठियों / कार्यशालाओं के आयोजन के लिए अनुदान सहायता (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता (आवेदक - विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- पेटेंट / जीआई पंजीकरण पर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- एमएसएमई इकाइयों के लिए बौद्धिक संपदा सहायता केंद्र(आईपीएफसी) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संवादात्मक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए (आवेदक - एमएसएमई संगठन और विशेषज्ञ एजेंसियाँ)
- प्रति जागरूकता कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की ओर 1 लाख की सहायता
- प्रायोगिक अध्ययन के लिए 2.5 लाख रुपये की भारत सरकार की सहायता
- संवादात्मक संगोष्ठी के लिए भारत सरकार की ओर से 2.0 लाख रुपए की सहायता
- लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति 6 लाख और दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रति 45 लाख रुपये भारत सरकार की ओर से सहायता
- पंजीकृत भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए, घरेलू पेटेंट के लिए 25,000 रुपये और विदेशी पेटेंट के लिए 2 लाख रुपए की सीमा तक और भौगोलिक संकेत माल अधिनियम (जिऑग्राफिकल

इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट) 1 लाख रुपये की सीमा तक एक बार वित्तीय सहायता।

- प्रत्येक बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार की ओर से 65 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, जिसमें एक बारगी अनुदान 45 लाख रुपये और 18 लाख रुपये तीन वर्ष तक का आवर्ती व्यय एवं 2 लाख रुपये विविध शुल्क के रूप में शामिल रहेंगे।
- घरेलु हस्तक्षेपों और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की ओर से क्रमशः 5 लाख रुपये और 7.50 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता।
- कौन आवेदन कर सकता है • पंजीकृत एमएसएमई ईकाइयाँ
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता करने के बारे में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले एमएसएमई उद्योग संघ, समाज, सहकारी समितियाँ, कंपनियाँ, ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन, संस्थाएँ और विश्वविद्यालय।
- परामर्श संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, व्यक्तिगत विशेषज्ञों या एजेंसियों की तरह की सक्षम एजेंसियाँ, जिन्हें कम से कम पांच साल तक प्रायोगिक अध्ययन का संचालन करने का पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं का अनुभव हो
- टीआईएफएसी, पेटेंट सुविधा केन्द्रों, एनआरडीसी, भारतीय पेटेंट कार्यालय, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, भौगोलिक संकेत के रजिस्ट्रार, डीबीटी, कॉपीराइट के रजिस्ट्रार, मानव संसाधन मंत्रालय, एनआईआईपीएम, आईआईटी, लॉ स्कूल, पेटेंट के वकील, व्यक्तिगत बौद्धिक संपदा अधिकारों के विशेषज्ञ, डब्ल्यूआईपीओ की तरह की विशेषज्ञ एजेंसियाँ, यूरोपीय संघ के टीआईडीपी,

यूएसपीटीओ, केआपीओ / केआईपीए, आईआईएफटी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एमएसएमई, डीएसआईआर और अन्य निकायों के मंत्रालय

- अर्ध सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निकाय
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघों की ओर से प्रायोजित निजी इकाइयाँ

आवेदन कैसे करें

प्रत्येक घटकों के लिए आवेदन प्रपत्र में योजना के दिशा-निर्देशों के साथ वेबसाइट : <http://www.dcmsme.gov.in/schemes/IPR10.pdf>, पर उपलब्ध किये गये हैं, जो डाउनलोड किये जा सकते हैं और उन्हें भरकर निकटतम एमएसएमई- विकास संस्थान को भेजे जा सकते हैं।

5) सुलम उद्यमों के लिए अपव्यय रहित निर्माण (लीन मैनुफैक्चरिंग) प्रतिस्पर्धिता

विवरण

यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच विभिन्न अनुपादक निर्माण (एलएम) तकनीकों के एप्लीकेशनों के माध्यम से विनिर्माण प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सहायता का स्वरूप

अनुपादक निर्माण तकनीकों के लिए वित्तीय सहायता, प्राथमिक तौर पर अनुपादक निर्माण परामर्शदाता का खर्च (भारत सरकार की ओर से 80% और लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत)

अनुपादक निर्माण परामर्शदाता (एलएमसीएस) एसपीवी को दी गई सेवाओं के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे, एसपीवी पहली किश्त के तौर पर एलएमसी को 20 प्रतिशत का भुगतान करेगा और उसकी प्रतिपूर्ति एनएमआईयू को भारत सरकार की ओर से की जाएगी। निधि का हस्तांतरण भारत सरकार की ओर से एनएमआईयू को किया जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीवी) की ओर से एलएमसी

को भुगतान 20 प्रतिशत की पाँच किश्तों के माइलस्टोन के रूप में किया जाएगा

कौन आवेदन कर सकता है यह योजना सभी सूक्ष्म, लघु एवं विनिर्माण उद्यमों के लिए है। यह ईकाई जिला उद्योग केंद्र अथवा अन्य एजेंसी (व्यावसायिक समिति, संघ, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि) के पास पंजीकृत (उद्यमी का ज्ञापन-2) होनी चाहिए। इन इकाइयों को एक प्रबंध समिति बनाना आवश्यक है, सामान्य तौर पर 10 ईकाइयाँ (कम से कम 6) जिनके द्वारा योजना में शामिल होने के बारे में एक समझौता (एमओयू) किया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

- सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की ओर से इस योजना के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है, जब वे या तो मान्यता प्राप्त स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीवी) से जुड़े हों, या फिर 10 या उससे अधिक ईकाइयों द्वारा एक क्लस्टर का गठन किया गया हो।
- कोई भी एसपीवी राष्ट्रीय निगराणी और कार्यान्वयन ईकाई (योजना के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद) के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है।
- अनुमोदन दो चरणों में दिया जाता है; पहले चरण के अन्तर्गत तात्कालिक अनुमोदन तथा एक बार तात्कालिक अनुमोदन के मानदंड की पूर्ति की जाती है, तो दूसरे चरण के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन दिया जाता है।

6) एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र हेतु डिज़ाइन विशेषज्ञता के लिए डिज़ाइन क्लिनिक (डिज़ाइन)

विवरण

यह योजना एमएसएमई के लिए बढ़ रही प्रतिस्पर्धा और उसके सीखने के महत्त्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सहायता की प्रकृति

- डिज़ाइन जागरूकता कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए वित्तीय सहायता।

- डिज़ाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता।
- भारत सरकार की ओर से प्रति संगोष्ठी के लिए 60,000 रुपये और प्रति कार्यशाला के लिए 75% योगदान किया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये है।
- व्यक्तिगत एमएसएमई या एमएसएमई समूह आवेदकों के समूह (तीन से अधिक नहीं) के मामले में कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 60% या 9 लाख रुपये, जो भी कम हो का भुगतान किया जाएगा।
- चार या अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आवेदकों के एक समूह के मामले में कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 60% या 15 लाख रुपये, जो भी कम हो।
- दोनों ही मामलों में एमएसएमई आवेदक द्वारा 40% योगदान किया जाना चाहिए।
- कौन आवेदन कर सकते हैं • संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए विशेषज्ञ संस्थाएँ (उद्योग संघ, तकनीकी संस्थानें या अन्य उपयुक्त निकाय)।
- एमएसएमई या एमएसएमई समूह, प्रधान आवेदक के तौर पर।
- एक नामित एमएसएमई (प्रमुख आवेदक) के साथ सह- आवेदकों के रूप में शैक्षणिक संस्थान / डिज़ाइन कंपनी/ डिज़ाइन सलाहकार आदि।
- शैक्षणिक संस्थान और एमएसएमई (प्रधान आवेदक) के सहयोग से सह व्यक्तिगत (जैसे, डिज़ाइन के छात्र) आवेदकों के रूप में।
- कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन के लिए,

आवेदन कैसे करें

विशेषज्ञ संस्था सीधे डिज़ाइन केन्द्रों में आवेदन कर सकती हैं।

- डिज़ाइन परियोजनाओं के लिए एमएसएमई द्वारा आवेदन डिज़ाइन संस्था के बिना या डिज़ाइन सलाहकार/ शैक्षणिक संस्थान के साथ मिलकर इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
- <http://www.designclinicsmsme.org> पर ऑनलाइन आवेदन करें।

7) विपणन सहायता और तकनीकी उन्नयन

विवरण

यह पहल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा आधुनिक विपणन तकनीकों को अपनाने, वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आपको ढालने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना आठ उप घटकों में विभाजित है, और भारत सरकार सहायता विभिन्न अनुपात में उपलब्ध है।

सहायता का स्वरूप

- नई पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता के संचालन के लिए वित्तीय सहायता। [एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई) करने वाले आवेदक]।
- क्लस्टर में पैकेजिंग की स्थिति और ज़रूरत पर सुधार (अंतर विश्लेषण) [एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई) करने वाले आवेदक]।
- आधुनिक विपणन तकनीकों के लिए कौशल सुधार/ विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता। [एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई) करने वाले आवेदक]।
- व्यापार प्रतियोगिता के अध्ययन के संचालन के लिए वित्तीय सहायता। [एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट (ईओआई) करने वाले आवेदक]।

- विपणन की घटनाओं में भाग लेने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से संबंधित एमएसएमई को वित्तीय सहायता। (उत्तर - पूर्व क्षेत्र एमएसएमई के लिए)।
- राज्य/जिला स्तर पर व्यापार मेले/वाणिज्य व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।
- (पंजीकृत एमएसएमई)
- कंपनी प्रशासन प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए लघु उद्योगों को (प्रतिपूर्ति के रूप में) वित्तीय सहायता (पंजीकृत एमएसएमई)।
- विपणन केन्द्रों की स्थापना के लिए समर्थन अनुदान।
- एमएसएमई के आईएसओ 18000/आईएसओ 22000/आईएसओ 27000 प्रमाणन के लिए प्रतिपूर्ति।
- जागरूकता कार्यक्रम के अनुसार 0.50 लाख रुपये की भारत सरकार सहायता (भारत सरकार : इकाई :: 80:20)।
- भारत सरकार द्वारा समूह में पैकेजिंग प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये की सहायता।
- भारत सरकार द्वारा 10 इकाइयों के एक समूह के इकाई आधारित हस्तक्षेप करने की दिशा में समूह में पैकेजिंग प्रक्रिया के लिए 9 लाख रुपये की सहायता (भारत सरकार : इकाई :: 80:20)।
- भारत सरकार द्वारा प्रति समूह के कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए 6 लाख रुपये की सहायता (भारत सरकार : यूनिट :: 80:20)।
- भारत सरकार द्वारा व्यापार प्रतियोगिता अध्ययन के

लिए 8 लाख रुपये की सहायता (भारत सरकार : यूनिट :: 80:20) ।

- प्रति इकाई (उत्तर- पूर्व) के जगह और परिवहन के प्रभार को 75,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति ।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/महिला / शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों के प्रति इकाई को 30,000 रुपये की संपूर्ण प्रतिपूर्ति, और 20,000 रुपये अन्य एमएसएमई इकाइयों के लिए प्रति व्यक्ति के राज्य और जिला स्तर पर व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय अनुदान ।
- कुल व्यय का 50% या अधिकतम 45,000 रुपये प्रतिपूर्ति प्रति एमएसएमई को कंपनी प्रशासन प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए की जाएगी ।
- 30 लाख रुपये विपणन केन्द्रों, 5 लाख रुपये फर्निचर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि और आवर्ती खर्च के लिए 15 लाख रुपये (80% भारत सरकार , 20% निजी इकाइयों) तक का अनुदान भारत सरकार द्वारा 2 साल के लिए दिया जाएगा ।
- आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मामले में 75% या अधिकतम 1 लाख रुपये विषय की सीमा तक व्यय की एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

कौन लागू कर सकते हैं

कोई भी सक्षम एजेंसी (जैसे की एमएसएमई, उद्योग संघ, गैर सरकारी संस्था) एक्सप्रेसन ऑफ इंटेरेस्ट(ईओआई) दिशा निर्देशों के अनुसार ।

आवेदन कैसे करें

राज्य / जिला स्तर पर व्यापार मेलों में एमएसएमई की भागीदारी के लिए :

- राज्य / जिला स्तर में स्थानीय / प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों भाग लेने के लिए विनिर्माण एमएसएमई क्लस्टर

/ इकाईयो से आवेदन स्वीकार करेंगे। डीसी-एमएसएमई के कार्यालय द्वारा समर्थित स्ट्रींगिंग—कम-सेलेक्शन (एसएससी) एमएसएमई—विकास संस्थानों, उद्योग संघों, और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्णय लेगा।

- कंपनी प्रशासन प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए, आवेदक एमएसएमई निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए स्थानीय एमएसएमई—विकास संस्थान के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- एमएसएमई - जिले, उद्योग संघों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त इस गतिविधि में भाग लेने के लिए एमएसएमई इकाईयों की पहचान अनुरोध के आधार पर विकास आयुक्त-एमएसएमई के कार्यालय में होगी।
- आवेदक एमएसएमई इकाई को निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए स्थानीय एमएसएमई—विकास संस्थान के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा।

कार्पोरेट गवर्नेंस व्यवहारों को अपनाने के लिए

- विकास आयुक्तालय एमएसएमई-विकास संस्थानों के माध्यम से प्राप्त निवेदनों के आधार पर गतिविधि में भाग ले रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान करेगा।

आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रतिपूर्ति के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमएसएमई विकास संस्थान कार्यालय में प्रमाणन की प्रतिपूर्ति के लिए दाखिल कर सकते हैं।

आवेदन-पत्र योजना के मार्गदर्शकों के साथ (<http://www.dcsmse.gov.in/schemes/MarkAssis.pdf>)पर उपलब्ध किया गया है।

अवेदन-पत्र क्षेत्रीय एमएसएमई-विकास संस्थान को सहायक दस्तावेजों के साथ भेजें।

8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए तकनीकी और गुणवत्ता उन्नयन योजना

विवरण

विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादन की लागत में कटौती और स्वच्छ विकास तंत्र के अंगीकार के लिए ईईटीएस की पहल के लिए भारत सरकार की ओर से यह योजना शुरू की गई है।

सहायता का स्वरूप

- ऊर्जा प्रभावशीलता/ स्वच्छ विकास और संबंधित तकनीकों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समूहों की निर्माण क्षमता (आवेदक — जागरूकता कार्यक्रम और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा मॉडल डीपीआरएस के लिए पसंद का इज़हार कर चुके उद्यमों में से, ऊर्जा अंकेक्षण, डीपीआरएस और विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा ईईटी परियोजनाओं के लिए संघ अथवा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम)
- एमएसएमई इकाइयों में ऊर्जा प्रभावशीलता प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए (आवेदक - पंजीकृत एमएसएमई इकाई, सिडबी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा है)।
- कार्बन भांडार संग्रहण केंद्रों की स्थापना -(संघ, तकनीकी संस्थानों और ईएससीओएस)।
- राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय निकायों से उत्पाद प्रमाणन / लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय निकायों से उत्पाद।

- प्रमाणन / लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
- प्रति जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 75% तक वित्तीय सहायता अथवा अधिकतम 75,000 रुपये।
- समूह स्तर ऊर्जा लेखा परीक्षा और मॉडल डीपीआर तैयार करने के लिए वास्तविक व्यय का 75%।
- ऊर्जा प्रभावशील तंत्र (ईईटी) परियोजनाओं पर अलग-अलग एमएसएमई के लिए डीपीआर के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में व्यय का 50% अथवा अधिकतम 1.5 लाख रुपये।
- भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में परियोजना की लागत का 25%, शेष राशि सिडबी / बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी; वित्तीय एजेंसी द्वारा अपेक्षित न्यूनतम योगदान एमएसएमई की ओर से किया जाएगा।
- कार्बन क्रेडिट प्रत्यायन केन्द्रों की स्थापना के लिए कुल खर्च का 75% अथवा अधिकतम 15 लाख रुपये में से जो भी कम हो।
- राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्पादों के लाइसेंस की दिशा में एमएसएमई के निर्माण के लिए 75% सब्सिडी; उत्पाद लाइसेंस प्राप्त करने और राष्ट्रीय अंकन प्राप्त करने के लिए 1.5 लाख रुपये, उत्पाद लाइसेंस प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय अंकन प्राप्त करने के लिए 2 लाख रुपये की अधिकतम सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।
- कौन आवेदन कर सकते हैं • विशेषज्ञ संगठन जैसे पीसीआरए, बीईई, टीईआरआई, आईआईटी, एनआईटी आदि।
- राज्य सरकारी संस्थाएं जैसे मिटकॉन, गोडा आदि।

आवेदन कैसे करें

- एमएसएमई के उद्योग आधारित संघ/समूह।
- गैर सरकारी संगठन और तकनीकी संस्थान।
- उत्पाद प्रमाणीकरण राष्ट्रीय मानकीकरण निकाए जैसे (बीआईएस और बी) या अंतरराष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र (सीई, उल, एएनएसआई आदि) प्राप्त करें।
- फीस की प्रतिपूर्ति के लिए, निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेजों (योजना के दिशा निर्देशों के अनुबंध- 4 में दी गई है) के साथ संबंधित एमएसएमई – विकास संस्थान को भेजा जा सकता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की योजनाएँ

संबंधित योजनाएँ

विवरण

1) कार्य प्रदर्शन और ऋण पात्रता-मूल्यांकन

यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों क्षमताओं और ऋण पात्रता के बारे में तीसरे पक्ष की राय पर भरोसा, स्वतंत्र सहयोगात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होता है। यह सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों के लिए रियायती दर्जा शुल्क संरचना, वैश्विक व्यापार में एमएसएमई शीघ्र मान्यता, सक्षम बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण की शीघ्र मंजूरी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विक्रेताओं / खरीदारों को सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों की क्षमता का आकलन करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना और सुधारात्मक सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों को आवश्यक उपायों के लिए उनकी क्षमता का अहसास दिलाने के साथ ही उनकी कमजोरियों की जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

मुख्य विशेषताएं:

यह योजना वित्तापूर्ति, व्यापार और प्रबंधन जोखिम के साथ

ही साथ और कार्य निष्पादन का मिश्रण है। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को सूची में शामिल क्रेडिट रेटिंग एजन्सिओ में से किसी एक के चयन करने की आज़ादी है। शुल्क संरचना कुल कारोबार पर आधारित है। योग्यता निर्धारण शुल्क की आंशिक प्रतिपूर्ति एनएसआईसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सहायता का स्वरूप

एमएसई का कुल कारोबार एनएसआईसी के माध्यम से शुल्क की प्रतिपूर्ति

50 लाख रुपये तक शुल्क का 75% या 25,000 रुपये (जो भी कम हो)

50 लाख रुपये से 200 लाख तक शुल्क का 75% या 30,000 रुपये (जो भी कम हो)

200 लाख रुपये से ज्यादा शुल्क का 75% या 40,000 रुपये (जो भी कम हो)

कौन आवेदन कर सकते हैं

एक सूक्ष्म या छोटे उद्यम के रूप में भारत में पंजीकृत कोई भी उद्यम आवेदन का पात्र होता है।

आवेदन कैसे करें

कोई भी सूक्ष्म या छोटा उद्यम, योग्यता निर्धारण के लिए आवेदन करने का इच्छुक हो, वह निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर वह एनएसआईसी की निकटतम शाखा में प्रस्तुत कर सकता है अथवा उसके द्वारा चयनित संस्था में या फिर सूची में शामिल संस्थाओं: केयर, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग्स, आईसीआरए, ओनिक्रा, स्मेरा, डन एंड ब्राडस्ट्रीट (डी एंड बी) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

2) बैंक ऋण सुविधा

एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनएसआईसी ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता किया है। इन बैंकों के सिंडिकेट में शामिल होकर एनएसआईसी बिना किसी शुल्क के लघु उद्योगों के लिए बैंकों से ऋण सहायता का

प्रबंध करता है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपने व्यापार और तकनीकी क्षमता के बारे में उन्नयन की निर्धारण स्वतंत्र, पेशेवर एवं व्यावसायिक योग्यता निर्धारण एजेंसी, जो एनएसआईसी, एमएसई द्वारा सूचीबद्ध की गई है, से मूल्यांकन करवा सकते हैं। यह सदा ही कारोबार बढ़ाने और बैंकों से वाजबी दर पर ऋण प्राप्त करने में मददगार साबित होता है।

सहायता का स्वरूप

बैंकों के पास ऋण प्रस्तावों की पूर्ति और वह जमा करने से संबंधित प्रलेखन का कार्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जाता है, ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के खर्च और समय की बचत हो।

कौन आवेदन कर सकते हैं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी।

आवेदन कैसे करें

बैंक ऋण सुविधा के लिए ऋण आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट पर जाएं।

संबंधित योजनाएँ

3) कच्चे माल की सहायता

विवरण

इस योजना का उद्देश्य कच्चे माल (स्वदेशी और आयातित दोनों) की खरीद के वित्तपोषण के माध्यम से एमएसई की मदद करना है। इस गुणवत्ता के उत्पादों के निर्माण पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने की एमएसई करने का अवसर देता है।

सहायता का स्वरूप

- 90 दिनों के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।
- एमएसई थोक खरीद, नकद छूट, आदि की तरह खरीद के अर्थशास्त्र का लाभ उठाने में मदद करती है।
- आयात के मामले में सभी प्रक्रियाओं, प्रलेखन और ऋण पत्र जारी करना।

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

आवेदन कैसे करें

उद्यमी आवेदन को डाउनलोड कर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में भरे हुए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

4) सिंगल पॉइंट पंजीकरण

सरकार एक मात्र ऐसी खरीदार है, जो बड़े पैमाने पर अलग-अलग किस्म की वस्तुओं की खरीददारी करती है। सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों से खरीदी का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने खरीदी कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ओर से सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए केवल एक ही जगह पंजीकरण (एसपीआरएस) के तहत एमएसई पंजीकृत कर सकता है।

सहायता की प्रकृति

पंजीकृत इकाइयों को निम्नलिखित लाभ पाने के हकदार हैं :

- टेंडर सेट निःशुल्क जारी करना।
- बयाना राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट।
- निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम शुल्क बंधन एल 1+15% के दायरे में बोली लगाते हैं उन्हें उनका मूल्य स्तर 1 तक नीचे लाकर कुल आवश्यकता के 20% की आपूर्ति करने की इजाजत दी जाएगी, जहाँ स्तर 1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए नहीं है
- प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई उत्पादों की कुल वार्षिक खरीद का 20% न्यूनतम की वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा या एमएसई से अनिवार्य 20% की खरीद से बाहर, 4% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व इकाइयों के लिए निर्धारित किया जायेगा।
- उपरोक्त के अलावा, 358 चीजें भी एमएसई क्षेत्र से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित।

- कौन आवेदन कर सकते हैं • जो एमएसई विनिर्माण / सेवा उद्यमों के रूप में उद्योगों के निदेशक (विकास संस्थान) / जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के साथ पंजीकृत हैं, या उद्यमी का ज्ञापन (ईएम) भाग-2 की प्रस्तुति कर चुके उद्यमी एसपीआरएस के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- जिस एमएसई पहले से ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया हो, लेकिन उसे अस्तित्व का एक वर्ष पूरा नहीं हुआ हो, उसे एसपीआरएस के तहत अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। 5 लाख रुपये की प्रबोधक सीमा के साथ अपेक्षित दस्तावेज एवं पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद ही यह जारी किया जाता है, जो जारी की जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

आवेदन कैसे करें

एमएसई को ऑन लाइन वेबसाइट पर www.nsicspronline.com या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संबंधित क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। नियम एवं शर्तें युक्त आवेदन फार्म निः शुल्क उपलब्ध है।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

5) सूचनात्मक सेवाएँ

वर्तमान समय में सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। गत वर्षों में इंटरस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के काम होने के कारण, जानकारी की मांग को नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सिंगल पॉइंट, महत्वपूर्ण सेवाओं की पेशकश है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, और यह भी भारतीय एसएमई के मूल दक्षताओं प्रदर्शन करेंगे। निगम अपने एमएसएमई वैश्विक मार्ट www.msmemart.com के माध्यम से सेवाओं की पेशकश कर रहा है। कारोबार से कारोबार (बी 2 बी) और कारोबार से ग्राहक (बी 2 सी) के अनुरूप

वेब पोर्टल है, यह सेवा वार्षिक सदस्यता के माध्यम से उपलब्ध हैं।

सहायता की प्रकृति

प्लेटिनम सदस्यता :

जो भी व्यक्ति यह सदस्यता लेता है, उसे बी 2 बी और बी 2 सी दोनों पोर्टल सुविधा मिलती है, वह सभी बी 2 बी और बी 2 सी सुविधाओं का असीमित उपयोग कर सकता है, और 10 उत्पादों की छवियों को अपलोड करने की अनुमति दी है।

- 1) शामिल होने के लिए, एक वर्ष के लिए शुल्क 10,000 रुपए + सेवा कर।
- 2) नवीकरण शुल्क 10,000 + सेवा कर का।
- 3) अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एक साल के लिए 250 अमेरिकी डॉलर।

स्वर्ण सदस्यता

जो भी व्यक्ति यह सदस्यता लेता है उसे केवल बी 2 बी या बी 2 सी पोर्टल की सुविधा मिलती है, और 10 उत्पादों की छवियों को अपलोड करने की अनुमति दी है।

- 1) शामिल होने के लिए, एक वर्ष के लिए शुल्क 5,000 रुपए + सेवा कर।
- 2) नवीकरण शुल्क 5,000 + सेवा कर का।
- 3) अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एक साल के लिए \$ 125।

मौलिक सदस्य : नि: शुल्क, बी 2 बी पोर्टल के लिए ही सीमित सुविधा के साथ।

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

आवेदन कैसे करें

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड करें।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट से भी महत्वपूर्ण सेवाओं की सदस्यता संशोधन अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करें।

भरे हुए आवेदन भेजें:

प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण सेवाओं और डेटा सेंटर (टीआईएसडीसी)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भवन, ओखला।

औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली — 110020

संबंधित योजनाएँ

विवरण

6) मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल

मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल मौजूदा और संभावित ग्राहकों, दोनों के लिए जानकारी का विश्लेषण करती है, बाजार को समझने के लिए, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और प्राथमिकताओं, व्यवहार और बाजार के व्यवहार का निर्धारण और बाजार के आकार और प्रकृति को प्रभावित कर सकता है कि कारोबारी माहौल में परिवर्तन का आकलन करता है, जानकारी शामिल है।

- थोक खरीदारों (उत्पाद के लिहाज से), सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खरीदारों की जानकारी।
- विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ठेके के दर की जानकारी।
- सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी निविदाओं पर सूचना।
- उत्पादों की सूची के साथ विभिन्न देशों के लिए भारतीय निर्यातकों के जानकारी।
- उत्पादों की सूची के साथ अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की जानकारी।

- एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं और परियोजनाओं की जानकारी।
- व्यापार सहयोगियों का मिलन।
- बाजार खुफिया रिपोर्टों के कई क्षेत्रों, प्रवृत्तियों के विश्लेषण और निर्यात से संबंधित आयात संबंधी आंकड़े वेब पोर्टल पर पाये जा सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रावधान: वैश्विक आयातकों डायरेक्टरी, क्षेत्र विशेष पुस्तिकाएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पत्रिका / डेटाबेस / पुस्तिकाएं, जानकारी गाइड।
- सरकारी खरीद, कच्चे माल की सहायता, प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजनाओं, एमएसएमई औद्योगिक संघों की सूची के लिए एनएसआईसी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सूची।

सहायता का स्वरूप

ऑनलाइन अनुरोध फॉर्म: एनएसआईसी के किसी भी विपणन खुफिया सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई इस फार्म को भर सकते हैं

- सरकार / सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में थोक खरीदारी।
- निर्यातक।
- अंतरराष्ट्रीय खरीदार।
- तकनीकी आपूर्तिकर्ता।
- सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजनाओं के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत इकाई योजना।
- डीजीएस और डी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता।

कौन आवेदन कर सकते हैं संभावित लाभार्थियों एमएसएमई व्यापार सहयोग और सह उत्पादन के अवसर, संयुक्त उद्यम, निर्यातकों और

आयातकों, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रयतनशील एमएसएमई हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आवेदन निचे दिए गए पते पर प्राप्त की और भेजे सकते है:

विपणन खुफिया सेल, ब्लॉक एफ, एनटीएससी के परिसर, एनएसआईसी, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली।

टेलीफोन:+91-11-26382047,64650781,64651703.

ई-मेल:mic@nsic.co.in , mangaermic@nsic.co.in

संबंधित योजना

विवरण

7) बिल रियायत योजना

इस योजना में व्यापार लेन-देन, प्रतिष्ठित सरकारी लिमिटेड कंपनियों के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा की गई आपूर्ति की खरीद / राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों / उपक्रमों यानी से उत्पन्न होने वाले बिलों की खरीद / भुनाई को शामिल है।

आपूर्ति के लिए छोटे पैमाने पर इकाइयों द्वारा तैयार विधेयकों एनएसआईसी के पक्ष में बैंक गारंटी की सुरक्षा के खिलाफ वित्तीय सहायता दी जाएगी।

खरीदार इकाई (एस) के निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार जानकारी प्रस्तुत द्वारा वार्षिक सीमा की मंजूरी के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से संपर्क कर सकते है।

सहायता की प्रकृति

ब्यारे

ब्याज की प्रभावी दर

(20/09/2011 से लागु)

- 1) एनएसआईसी की मूल्यांकन योजना के तहत एसई 1 ए रेटिंग वाली इकाइयां 12.40%
- 2) एनएसआईसी की मूल्यांकन योजना के तहत एसई 2 ए रेटिंग वाली इकाइयां 12.90%

3) एनएसआईसी की मूल्यांकन योजना के तहत एसई 1 बी रेटिंग वाली इकाइयाँ 12.90%

4) अन्य इकाइयाँ 13.40%

बीजी / एसडीआर / एफडीआर की सुरक्षा के तहत सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

आवेदन कैसे करें

विधेयक योजना भुनाई के तहत स्वीकृत की गई सीमा के लिए अनुरोध के लिए आवेदन विक्रेता इकाई द्वारा विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वह निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में फर्म / कंपनी का मालिक / साथी / निदेशक हो सकते हैं।

8. एनएसआईसी संसाधन

संबंधित योजनाएं

अ) प्रदर्शनी हॉल हैदराबाद - प्रदर्शनियों / सम्मेलनों के आयोजन के लिए एक बेहतर स्थान

विवरण

एमएसई की क्षमता को प्रदर्शित करने और बाजार की संभावनाओं को हासिल करने के लिए इस हॉल में प्रदर्शनी/उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रदर्शनी काम्प्लेक्स को सुनियोजित तरिके से स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ का क्षेत्र काफी रमणीय है। इस क्षेत्र के लिए परिवहन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है।

सहायता का स्वरूप

- 18,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी हॉल
- 100 व्यक्तियों की बैठने की क्षमतायुक्त सम्मेलन कक्ष
- दुपहिया और कार के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा
- 100 प्रतिशत पॉवर बैंक सुविधा

- फूड कोर्ट
- भूकम्प क्षमता रोधक संसाधन
- हवा और प्राकृतिक प्रकाश के लिए दो परिकोष्ठ
- सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी
- पीए सिस्टम
- आधुनिक अग्नि शमक तकनीकी प्रणाली
- भवन के अतराफ रमणीय हरित क्षेत्र
- आरओ प्रणाली से लेस 24 घंटे जलापूर्ति

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

आवेदन कैसे करें

आवेदन की प्रति संस्थान वेब साइट www.nsic.co.in से प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल: emdbhyd@nsic.co.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

आ) आईटी इनक्यूबेटर

उभरती तकनीक और ज्ञान आधारित वेंचरों के लिए व्यवसायिकों की आइडिया को पारम्परिक पूंजी वेंचरों के सहारे उसे और आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे वेंचरों में उद्यमियों को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सहयोगी वातावरण तैयार किया जाता है। इनक्यूबेशन केन्द्र इस आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।

यह योजना, आईसीटी के क्षेत्र विशेषकर पहली पीढ़ी उद्यमियों की आइडिया को पोषित कर उसे वाणिज्यिक व्यापार की परिधि में बदलने, वाणिज्यीकरण के अनुसंधान विकास आउटपुट को वाणिज्यिक वेंचरों में बदलकर उद्यमियों का सतत विकास करने के लिए बनायी गयी है।

यह योजना एनएसआईसी के विशेषज्ञों के लिए उद्यमियों को कम्पनी शुरू करवा कर एमएसएमई को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का एक उपकरण है। इसका कार्य अनुसंधान और उद्योग के बीच सम्पर्क साध कर, विशेषकर लाभार्थी को उनके लक्ष्य तक पहुँचाना है।

एनएसआईसी-टीबीआई के संसाधन एवं स्थल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साही उद्यमियों को एनएसआईसी को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना चाहिए। लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त व्यापार केन्द्र, टेलिफोन और इंटरनेट के मूल प्रभार का भी भुगतान करना होगा। विपणन, कानूनी, लेखा जैसी सेवा के लिए प्रभार देना होगा।

सहायता का स्वरूप

- मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर सुविधा, सॉफ्टवेयर, पुस्तकालय का उपयोग, इंटरनेट और व्यापार केन्द्र सुविधा युक्त निर्मित तैयार स्थान।
- प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण/ काउंसलिंग, व्यापारिक योजना को सही ढंग से लागू करने की सुविधा, विशेष प्रशिक्षण, दस्तावेजों में सहायता, विपणन के अवसर।
- वित्त/वेंचर कैपिटल के बीजारोपण के लिए अग्रिम स्तर की सुविधाएँ, बाजार सर्वेक्षण, कानूनी औपचारिकता में सहायता, दस्तावेजों में सहयोग, परिपक्व स्तर
- व्यापारिक साझेदारी के लिए स्रोत, जे.वी/ तकनीक स्थानांतरण, उद्यम को आरंभ करने की कानूनी और आवश्यक औपचारिकताएँ, चयन प्रक्रिया

कौन आवेदन कर सकता है उद्यमी बनने के इच्छुक या ऐसे उद्यमी; जो विश्वविद्यालय के अतराफ शोधकर्ता का समूह को औद्योगिक प्रभारी द्वारा आंशिक निधि उपलब्ध करवाकर साझेदार की आवश्यकतानुसार उत्पाद का विकास करें; विधार्थी या क्षमतायुक्त कर्मचारी जो कार्य आरंभ करने के लिए उद्योग में थोड़े अभ्यासिक प्रशिक्षण के इच्छुक हो; ऐसे लोग जिन्होंने उद्योग में प्रतिष्ठा हासिल कर अपने बूते पर उत्पाद का विकास करने इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे निवेशक जिन्होंने शोधकर्ता समूह को वित्तीय सहायता

के साथ साथ इनक्यूबेटर को आरंभ करने की हामी भरी हो; उपभोक्ता और बिक्री साझेदार जो शोधकर्ता समूह के साथ सहयोग कर इनक्यूबेटर में कार्य आरंभ करने के इच्छुक हो; वे औद्योगिक उद्यमी, विश्वविद्यालय और निजी प्रशिक्षण संस्थान जो अपने ज्ञान और तकनीक को योग्य इनक्यूबेटर में स्थानान्तरित करना चाहते हैं और उपभोक्ता के साथ मध्यस्ता करना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आवेदन इनको भेजें:

प्रॉजेक्ट प्रबंधक- एनएसआईसी टीबीआई- ओखला,
एनटीएससी प्रांगण, ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, नई दिल्ली-
110020, दूरभाष: 011-26926513

ईमेल: itincubator@nsic.co.in

संबंधित योजना

इ) प्रदर्शनी सह-विपणन विकास व्यापार पार्क

कार्पोरेट और व्यापार उद्यमियों के परिचालन की आवश्यकता को देखते हुए व्यापारिक परिवेश की आवश्यकता बढ़ रही है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 8 एकड़ की विस्तारित भूमि पर प्रदर्शनी-सह-विपणन विकास व्यापार पार्क की पांच मंजिला 1,50,000 वर्ग फुट क्षेत्र का एनएसआईसी-टीएससी कॉम्प्लेक्स, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद में बनाया गया है, जिसके प्रथम तल पर प्रदर्शनी के लिए स्थल और ऊपरी माले पर कार्यालय का निर्माण किया गया है।

- एसीपी, काँच की अवरचना, फ़व्वारे आदि से लैस सुन्दर भवन
- 100 प्रतिशत पॉवर बैक अप सुविधा
- पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह
- कैपसूल नुमा एलिवेटर
- कार्यालय क्षेत्र में विशाल रिक्त स्थान

- 100 व्यक्ति के बैठने की क्षमता से युक्त सम्मेलन कक्ष
- 18,000 वर्ग फुट पर प्रदर्शनी हॉल
- फूड कोर्ट
- भूकम्प रोधक संसाधन
- सभी सामान्य क्षेत्रों के पॉलिश ग्रेनाइट युक्त फर्श
- हवा और प्राकृतिक प्रकाश के लिए दो परिकोष्ठ
- सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी
- पीए सिस्टम
- आधुनिक अग्नि शामक तकनीक
- भवन के अतराफ हरित आकर्षित क्षेत्र
- वर्षा जल संरक्षण
- सुगम यातायात के लिए चौड़ी सड़क
- भवन के भीतर विशाल कोरिडोर

आवेदन कौन कर सकते हैं कॉर्पोरेट और व्यापार उद्यमी

आवेदन कैसे करें

आवश्यक सहायता के लिए आवेदन / प्रस्ताव एनएसआईसी को पूर्ण विवरण एवं तर्क के साथ भेजे जा सकते हैं

संबंधित योजनाएं

ई) सॉफ्टवेयर तकनीक और व्यापार पार्क

विवरण

एनएसआईसी ने लघु और मध्यम उद्यमियों और एसटीपीआई में गैर पंजीकृत आईटी/आईटीईएस/एमएसएमई इकाई या ऐसी इकाई, जो एमएसएमई की परिभाषा में नहीं आती, उनके सॉफ्टवेयर विकास के लिए नई दिल्ली और चेन्नई में सॉफ्टवेयर तकनीक- सह व्यापार पार्क की स्थापना की गयी है। एमएसएमई के अतिरिक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों/ बैंकों/पीएसयू/वित्त संस्थानों भी विचार किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

400 से 4000 वर्ग फुट के बीच निर्मित मॉड्यूल/हॉल की सुविधा उपलब्ध है, ताकि इकाई निर्धारित न्यूनतम समय में परिचालन कर सकें।

तुरंत पाँवर कनेक्शन की सुविधा 100 प्रतिशत पाँवर बैक अप के साथ ।

स्पीड डाटा लिंक: सेटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से तीव्र गति के डाटा कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। सदस्य इकाई 64केबीपीएस से 2 एमबीपीएस के लीज चैनल द्वारा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। टीसीपी/आईपी कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रत्येक सदस्य को व्यापार की उन्नति के लिए एक टेलिफोन लाइन उपलब्ध करवायी जायेगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

कैसे आवेदन कर सकते हैं स्थल के आवेदन के लिए एनएसआईसी-एसटीपी पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन करें:

कार्यालय प्रभारी, एसएसआईसी- एसटीबीपी कॉम्प्लेक्स
ओखला इंडस्ट्रीयल स्टेट, नई दिल्ली 110 020

या

कार्यालय प्रभारी
एनएसआईसी-एसटीबीपी, चेन्नई

संबंधित योजना

विवरण

उ) प्रदर्शनी मैदान, नई दिल्ली

लघु स्तर के उद्यमियों की क्षमता को उजागर करने और विपणन की संभावनाओं को हासिल करने के लिए एनएसआईसी ने कॉर्पोरेट कार्यालय के बगल में उन्नत कला युक्त प्रदर्शनी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। योजनाबद्ध तरीके से दक्षिण दिल्ली में बना यह प्रदर्शनी कॉम्प्लेक्स हरित क्षेत्र से घिरा हुआ है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व कनाॅट पैलेस और नेहरू पैलेस जैसे वाणिज्यिक स्थल से जुड़ा हुआ है। कुछ अच्छे होटल भी इसके अतराफ उपलब्ध हैं।

सहायता का स्वरूप

पूर्ण रूप से वातानुकूलित 1500 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र

खड़े रहने के लिए 16,000 वर्ग फुट की खुली जगह ओपन थियेटर के साथ कैफेटेरिया की सुविधा प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग द्वार 1000 कार पार्क करने के लिए व्यापक पार्किंग स्थल डीजी सेट के द्वारा 500 केवीए निर्बाध बिजली आपूर्ति 24 घंटे जलापूर्ति सम्मेलन एवं व्यापारिक बैठकों के लिए सुविधा उपलब्ध

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्यमी

कैसे आवेदन करें

आवेदन करें:

उप-महाप्रबंधक, एनएसआईसी

वेबसाइट: www.nsic.co.in

कृषि एवं ग्रामोद्योग (ए.आर.आई.) प्रभाग की योजनाएँ

संबंधित योजनाएँ

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

विवरण

यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य स्तर पर, यह योजना राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चीह्वित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों / उद्यमियों को उनके बैंक खातों में अंतिम रूप से वितरित किया जाता है।

सहायता का प्रकार

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत निधि आवंटन के लिए विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख तथा व्यापार / सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

पीएमईजीपी के लाभार्थी का

अनुदान की दर

अंतर्गत लाभार्थियों योगदान

(परियोजना

की श्रेणियाँ	(परियोजना का)	मूल्य की)	
क्षेत्र (परियोजना / इकाई का स्थान)		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10 %	15%	25 %
विशेष (अ.जा./ अ.ज.जा/अ.पि.जा./ अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र आदि)	05 %	25%	35%

कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों के ज़रिये सक्रिय पूँजी तथा मियादी ऋण के रूप में दी जाएगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक अथवा व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए लाभार्थी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना निवार्य है। पीएमईजीपी के अंतर्गत मंजूरी के लिए मात्र नई परियोजनाओं के बारे में ही विचार किया जाएगा। स्वसहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित समूहों सहित वे, जिन्होंने अन्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त ना किये हों), संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, सहकारी संस्थाएँ और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए योग्य हैं।

भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुकी मौजूदा इकाइयाँ और अन्य इकाइयाँ (प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की अन्य योजना अथवा कार्यक्रम) इस

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होंगी।

कैसे आवेदन करें

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य / मंडलीय निदेशकों के साथ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा संबंधित राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देकर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग की स्थापना/ सेवा इकाई की शुरुआत करने के इच्छुक संभावित लाभार्थियों से आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्ताव आंत्रित किये जाएंगे।

लाभार्थी अपने आवेदन <http://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegponlineapp> पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और संबंधित आवेदन का प्रिंट लेकर उसे अपने संबंधित कार्यालय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

खादी कलाकारों के लिए जनश्री बीमा योजना

खादी कलाकारों को बीमा सुरक्षा मुहैया करने के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के नाम से एक सामूह बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना का प्रारंभ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (एलआईसी) द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से बनाई गई है।

सहायता का प्रकार

मृत्यु : (1) प्राकृतिक कारणों से होने पर 20,000 (2) दुर्घटना से होने पर 50,000 रुपये

स्थायी विकलांगता के लिए (दोनों आंखें अथवा दोनों पैर) 50,000 रुपये।

आंशिक विकलांगता (एक आंख अथवा एक पैर) — 25,000 रुपये। निःशुल्क पूरक लाभ : खादी कारीगरों के नौवीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रति तिमाही 300 रुपये की छात्रवृत्ति। परिवार के मात्र दो बच्चों तक।

कौन आवेदन कर सकते हैं खादी कारीगर (कताईकार एवं बुनकर), जिनकी आयु 18-59 वर्ष के बीच है। खादी कारीगर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला अथवा गरीबी रेखा से आंशिक ऊपर जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें मृतक खादी कारीगर के नामित व्यक्ति को मूल मृत्यु प्रमाणपत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को उस खादी संस्थान के ज़रिये जमा करवाना चाहिए, जिसका मृतक सदस्य था।

संबंधित योजनाएँ

बाज़ार विकास सहायता

विवरण

लचीली, वृद्धि अभिमुख तथा कारीगर अभिमुख बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) योजना विगत की छूट योजना के स्थान पर शुरू की गई है। एमडीए के अंतर्गत संस्थानों को खादी एवं पॉलिएस्टर उत्पादों के मूल्य के 20 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कारीगरों, उत्पादक संस्थानों तथे बिक्री करने वाले संस्थानों के बीच 25: 30: 45 की दर से विभाजित की करनी होती है। एमडीए के अंतर्गत संस्थानों को आर्थिक सहायता का उपयोग अपने बिक्री केंद्रों, उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के अलावा ग्राहकों को आर्थिक मुआवाज़ा आदि देने की भी स्वायत्तता दी जाती है।

सहायता का प्रकार

बाज़ार विकास सहायता की राशि में से 20 % का उपयोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्टैंडिंग फाइनांस कमीटी (एसएफसी) द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित की गई सीमा तक खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) तथा पॉलिएस्टर उत्पादों के मूल्य पर करने की अनुमति दी जा सकती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं मात्र वे खादी संस्थान, जो ए+, ए, बी श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हों तथा जिनके पास वैध खादी प्रामाणपत्र हो, वे ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग से बाज़ार विकास सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

बाज़ार विकास सहायता से संबंधित कुल राशि के लिए

दावा उत्पादक संस्थान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की ओर से करना होगा और उसका वितरण संबंधित साझेदारों अर्थात् सूतकार, बुनकर, उत्पादक संस्थान एवं बिक्री संस्थानों के बीच क्रमशः 25%, 30% एवं 45% के अनुपात में किया जाएगा। उत्पादक संस्थान को बाज़ार विकास सहायता के बारे में तिमाही दावा वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान प्राप्त किये गये वास्तविक उत्पाद के आधार पर करना होगा। यदि किसी भी प्रकार का अंतर हो, तो उसका समायोजन वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। बाज़ार विकास सहायता का पुनर्भुगतान तिमाही आधार पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य /विभागीय कार्यालय के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाएगा।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

विज्ञान एवं तकनीकी योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान के प्रयोगशाला स्तर पर पाए गए नतीजे को फील्ड स्तर पर लागू करने और उसके परीक्षण एवं सेवा का विस्तार करने के बारे में विचार किया जाता है। बोर्ड की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को दो अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। इनमें केंद्रीय कॉयर अनुसंधान, कलवुर और केंद्रीय कॉयर तकनीकी संस्थान बेंगलोर शामिल हैं।

सहायता का प्रकार

तकनीकी हस्तांतरण, उष्मायन, परीक्षण एवं सेवा सुविधाएँ

कौन आवेदन कर सकते हैं

अनुसंधान के नतीजे भारत के साथ ही विश्वभर के कॉयर उद्योग के लिए लाभदायक हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

व्यापारी/ उत्पादक/उद्यमी / कॉयर श्रमिक तकनीकी हस्तांतरण, परीक्षण एवं सेवा सुविधाओं के बारे में सहायता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान केंद्र से सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

काँयर उद्यमी योजना (विगत में काँयर उद्योग के पुनर्नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए योजनाएँ के रूप में मान्यता प्राप्त)

विवरण

यह 10 लाख रुपये तथा परियोजना के कुल मूल्य के 25% प्रतिशत तक की एक चक्रण सक्रिय पूँजी वाली परियोजना की स्थापना के लिए एक ऋण सम्बद्ध अनुदान योजना है। सक्रिय पूँजी अनुदान के रूप में ग्राह्य नहीं होगी।

सहायता के प्रकार

परियोजना का अधिकतम स्वीकार्य मूल्य 10 लाख रुपये तथा सक्रिय पूँजी, जो परियोजना के कुल मूल्य से 25% से अधिक नहीं होगा।

लाभार्थी का योगदान परियोजना शुल्क के 5% तक होगा।

बैंक ऋण दर 55 %

अनुदान दर परियोजना के कुल मूल्य के 40% होगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं

व्यक्तिगत लोग, कंपनियाँ, स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, संस्था पंजीकरण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, सहकारी उत्पादन संस्थाएँ, संयुक्त देयता समूह एवं धर्मार्थ न्यास।

आवेदन कैसे करें

आवेदन काँयर बोर्ड के कार्यालयों, ज़िला उद्योग केंद्रों, काँयर परियोजना अधिकारियों, पंचायत राज संस्थानों और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसियों प्राप्त किये जा सकते हैं और इन्हें काँयर बोर्ड के फील्ड अधिकारियों के पास सीधे तौर पर अथवा ज़िला उद्योग केंद्रों के माध्यम से जमा करवाये जा सकते हैं।

काँयर विकास योजना

संबंधित योजनाएँ

अ) निर्यात बाज़ार प्रोत्साहन

विवरण

काँयर बोर्ड भारतीय काँयर क्षेत्र के निर्यात कार्य प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रतिनिधि दलों को प्रायोजित करना, संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय

मेलों में सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, विभिन्न देशों में प्रजातिगत प्रचार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा निर्यातकों को निर्यात, घरेलु व्यापार, अनुसंधान एवं विकास, इकाइयों एवं संस्थाओं के संचालन आदि के बारे में उल्लेखनीय सेवाओं में किये जाने वाले बेहतर प्रदर्शन के लिए वार्षिक आधार पर कॉयर उद्योग पुरस्कार से सम्मान जैसी विभिन्न निर्यात बाजार प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय स्तर की एक निर्यात बाजार प्रोत्साहन योजना चला रहा है।

सहायता का प्रकार

1. प्रतिनिधि मंडल, परामर्श एवं सूचना स्रोतीकरण 2. सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में सहभागिता 3. अंतर्राष्ट्रीय मेलों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों 4. विदेशों में प्रचार 5. अतिरिक्त बाजार विकास सहायता 6. कॉयर उद्योग पुरस्कार

कौन आवेदन कर सकते हैं विनिर्माता, उद्यमी एवं कॉयर निर्यातक

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र कॉयर बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

आ. कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना (एमसीवाई)

विवरण

कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) कॉयर विकास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे पूर्व में कॉयर प्लान (सामान्य) के नाम से जाना जाता था, जिसके माध्यम से घरेलु तथा निर्यात बाजारों, कौशल विकास प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण, रोजगार / उद्यमिता सृजन एवं विकास, कच्ची सामग्री का उपयोग, व्यापार से संबंधित सेवाएँ कॉयर कर्मियों के कल्याण की गतिविधियाँ आदि के लिए सहायता मुहैया की जाती थी। महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) का लक्ष्य खास तौर पर सटीक कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद स्पिनिंग मशीनों की अनुदानित दर पर महिलाओं को आपूर्ति था।

सहायता के प्रकार

कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी शिक्षा वृत्ति 1000/- रुपये प्रति छात्र और एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुपात के आधार पर दिया जाएगा। प्रशिक्षक के लिए मानधन प्रतिमाह 6000/- रुपये रहेगा। प्रशिक्षण प्रायोजक एजेंसी को प्रशिक्षण संचालन के लिए कच्ची सामग्री, बिजली शुल्क, अन्य प्रासंगिक आदि खर्चों की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति मासिक 400/- रुपये दिये जाएंगे।

एमसीवाई के अन्तर्गत कॉयर बोर्ड द्वारा मोटरीकृत रैट /पारम्परिक रैट के लिए 75% मूल्य एकबारगी सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसके लिए मोटरीकृत रैट के लिए अधिकतम सीमा 7,500 रुपये, जबकि पारम्परिक रैट के लिए अधिकतम सीमा 3,200 निर्धारित की गई है।

कौन आवेदन कर सकते हैं कॉयर फाइबर का उत्पादन करने वाली क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएँ।

आवेदन कैसे करें

राष्ट्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं डिजाइनिंग केंद्र (एनसीटी एंड डीसी) में इन हाउस प्रशिक्षण के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित कर तथा कॉयर उत्पादक राज्यों की सिफारिशों के माध्यम से प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा।

क्षेत्रीय विस्तार केंद्रों में चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं का चयन केंद्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यापार संघों, इकाइयों के स्वामियों उद्योग विभाग, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं आदि के प्रायोजन से किया जाएगा।

संबंधित योजनाएं

इ) उत्पादन आधारभूत सुविधाओं का विकास (डीपीआई)

विवरण

कॉयर बोर्ड की ओर से उत्पादन आधारभूत 'सुविधाओं का विकास' (डीपीआई) नामक योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य कॉयर इकाइयों को आधुनिक

आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करना है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों का सृजन हो जाएगा। इसका एक और लक्ष्य नयी अत्याधुनिक कॉय़र प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना भी है, जो उद्योग के संभावना वाले इलाकों में फैले होंगे और उपलब्ध सामग्री का उपयोग करेंगे, इससे नयी पीढ़ी भी इस उद्योग की ओर आकर्षित होंगी, मौजूदा इकाइयों को भी आधुनिकीकरण होगा। ग्राहकोन्मुख उच्च कोटि की वस्तुओं का उत्पादन होगा, कॉय़र उद्योग में प्रतिस्पर्धिता में बढ़ोतरी होगी, पर्यावरणानुकूल उत्पादों का स्वीकार किया जाएगा और तकनीकी उपलब्धियों के साथ प्रदूषण मुक्त कॉय़र उद्योग का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

सहायता का प्रकार

उत्पादन आधारभूत सुविधाओं का विकास (डीपीआई) योजना के अंतर्गत कॉय़र बोर्ड द्वारा देश में 10 लाख रुपये तक की लागत वाली नयी कॉय़र इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जा रही है। अनुदान आवंटन डी-फाइबरिंग इकाइयों के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत दर के अनुसार अधिकतम 6 लाख रुपये तक की सीमा तक किया जाएगा, जबकि स्वयंचलित स्पिनिंग इकाई के लिए 4 लाख रुपये और कॉय़क पिथ इकाई सहित अन्य के लिए 5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। एक संयुक्त अथवा बहु इकाई परियोजना के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता की सीमा 9 लाख रुपये रहेगी। अनुदान राशि की गणना के लिए निर्माण पर आने वाली लागत की सीमा डी-फाइबरिंग और कॉय़र पिथ इकाई के लिए अधिकतम 8 लाख रुपये और स्वयंचलित स्पिनिंग इकाई के सहित अन्य के लिए 6 लाख रुपये रहेगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं सभी नयी कॉय़र प्रसंस्करण इकाइयों, जो कॉय़र उद्योग (पंजीकरण) नियमों, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत हों तथा देश के कॉय़र उद्योग की संपूर्ण परिधि में से संबंधित

आंचल के जिला उद्योग केंद्र के पास पंजीकृत हो तथा उसकी परियोजना की लागत 10 लाख रुपये के साथ कॉयर उद्यमी योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक हो, वे इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

इकाई को योजना के अंतर्गत नई इकाई के लविए वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए उत्पादन शुरू होने से छह माह के भीतर विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उत्पादन शुरू होने की तिथि के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का प्रमाणपत्र जोड़ना आवश्यक है।

संबंधित योजनाएं

ई) कॉयर श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

विवरण

कॉयर बोर्ड द्वारा एक नियोजन योजना कल्याण साधन कॉयर श्रमिक समूह व्यक्तिगत बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका मक्सद मृत/विकलांग कॉयर श्रमिकों / नामितों को वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करना है। सम्पूर्ण बीमा प्रिमियम का भुगतान कॉयर बोर्ड द्वारा कोटेशन आमंत्रित कर चुनी गई बीमा कंपनी को दिया जाएगा। बीमा कंपनी की ओर से विकलांग / मृतक कॉयर श्रमिकों / उनके नामित परिवार सदस्यों को वित्तीय मुआवज़ा दिया जाएगा।

सहायता का प्रकार

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के अनुसार मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा।

1. दुर्घटना मृत्यु : 50,000
2. स्थायी पूर्ण विकलांगता : 50,000
3. स्थायी आंशिक विकलांगता : 25,000
4. उंगली कट जाने संबंधी प्रावधान : कटी हुई उंगली एवं बीमित निधि पर लागू प्रतिशत के अनुसार

कौन आवेदन कर सकते हैं उद्योग में कार्यरत एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक (अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है) इस योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विकलांग कॉयर श्रमिक अथवा विकलांग/ मृत कॉयर श्रमिकों के नामितों द्वारा बीमा राशि के लिए दावा पेश किया जा सकता है। समूह में महिलाओं की सदस्य संख्या अधिक होने की बात को ध्यान में रखते हुए महिला कल्याण हेतु उनसे संबंधित दुर्घटना के दायरे में मृत्यु तथा विकलांगता और नसबंदी के कारण, गर्भावस्था के कारण, बच्चे के जन्म, शल्य चिकित्सा से गर्भाशय हटाने, स्तन काट देने से उत्पन्न जटिलताओं के अलावा हत्या एवं बलात्कार आदि को भी शामिल किया गया है। ऐसी सभी महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन कैसे करें

पात्र एवं स्वीकार्य दावे की स्थिति में उसे कॉयर बोर्ड द्वारा संबंधित उद्देश्य के लिए स्थापित कार्यालयों की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर विकलांग कॉयर श्रमिक अथवा विकलांग/ मृत कॉयर श्रमिक के नामित द्वारा जमा किया जाना चाहिए।

संबंधित योजनाएं

उ) व्यापार एवं उद्योग संबद्ध कार्यात्मक समर्थ सेवाएँ (टीआईआरएफएसएस)

विवरण

उत्पादन, उत्पादकता, श्रमिक आधारभूत ढाँचा, कच्ची सामग्री, विपणन आदि के बारे में सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन व्यापार तथा उद्योग को प्रतिक्रिया मुहैया करने के साथ ही कॉयर बोर्ड के सर्वांगीण संगठित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए आवश्यक होता है। कॉयर बोर्ड की योजनाओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करने में लोगों को सुलभता प्रदान करने और सभी गतिविधियों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा कॉयर श्रमिकों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी क्षेत्रों में उनके ज्ञान की वृद्धि करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

सहायता का प्रकार

निर्यातक देशों के नाम तथा राष्ट्र आधार पर निर्यात की मात्रा संबंधी आंकड़े आसान पहुँच में उपलब्ध किये जाते हैं। कॉयर उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सर्वेक्षण, अध्ययन रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का उपयोग भी कॉयर श्रमिकों की ओर से किया जा सकता है, जिससे उनका ज्ञान बढ़ने के साथ ही उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी होगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं

कॉयर श्रमिक एवं उद्यमी भी योजना के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

उद्यमी / कॉयर श्रमिक बोर्ड के अपने आस-पास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क कर विभिन्न क्षेत्रों में जारी मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

ऊ. घरेलु बाज़ार प्रोत्साहन योजना

घरेलु बाज़ार प्रोत्साहन योजना कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा परिकल्पित प्रमुख कार्यों में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड की ओर से कॉयर एवं कॉयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा घरेलु बाज़ार को विस्तारित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। 1. शोरूमों एवं बिक्री डिपों की स्थापना और रखरखाव, 2. घरेलु प्रदर्शनियों में सहभागिता।

सहायता का स्वरूप

इस योजना के अन्तर्गत स्वायत्त सहकारी संस्थाओं, मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं, कॉयर उद्योग में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं कॉयर बोर्ड के शोरूमों और बिक्री डिपों को आर्थिक सहायता मुहैया करना। बाज़ार विकास सहायता तीन वित्त वर्ष में उनकी ओर से किये गये कॉयर उत्पादों के

साथ ही कॉयर् यार्न और रबर से निर्मित कॉयर् की वस्तुओं के वार्षिक औसत कारोबार के 10% दर पर मंजूर की जाएगी। यह सहायता 1:1 आधार पर केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बीच विभाजित की जाएगी। बाज़ार विकास सहायता के केंद्र सरकार के हिस्से का संवितरण प्रासंगिक योजनाओं के तहत कॉयर् बोर्ड के साथ उपलब्ध बजटीय परिव्यय के अनुसार किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं स्वायत्त संस्थाएं, मध्यवर्ती सहकारी संस्थाएं, प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बोर्ड के शोरूम और बिक्री डिपो।

आवेदन कैसे करें बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) के आवेदन-पत्र कॉयर् बोर्ड मुख्यालय से अथवा कॉयर् बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

एस्पायर

संबंधित योजनाएँ

एस्पायर (नवीनता, उद्यमशीलता और कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना)

विवरण

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं –

1. रोज़गार के नये अवसरों का सृजन कर बेरोज़गारी को कम करना।
2. भारत में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
3. ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास स्थापित करना।
4. ज़रूरतमंद व्यावसायियों को अभिनव व्यापार समाधान मुहैया करना।
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने के लिए नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहित करना

सहायता का स्वरूप

राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग विकास बोर्ड अथवा कॉयर् बोर्ड या अन्य संस्थान/ नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन देने वाली भारत सरकार /राज्य सरकार की अन्य एजेंसी/ योजना द्वारा अपने बल पर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

उद्यम मंत्रालय के उद्यमिता तथा कृषि उद्योग संगठन द्वारा 80 जीविकार्जन व्यापार उष्मायकों की स्थापना करना (2014 -16) अथवा भूमि एवं आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर एक बार संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए 100% अनुदान अथवा 100 लाख रुपये में से जो भी कम हो, मुहैया करवाना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग अथवा कॉय्पर बोर्ड या फिर भारत सरकार /राज्य सरकार की अन्य एजेंसी/ संस्थान के साथ मिलकर पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत स्थापित उष्मायन केंद्रों (इन्क्यूबेशन सेंटरों) के मामले में भूमि और आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर एक बार 50 % अनुदान अथवा 50.00 लाख रुपये में से जो भी कम हो, प्रदान करवाना।

उष्मायन केंद्रों के प्रशिक्षण मूल्य के लिए अनुदान की पूर्ति मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना के माध्यम से जहाँ तक संभव हो, सभी केंद्रों के लिए मुहैया की जाएगी।

वर्ष 2014-15 के लिए योजना का कुल बजट 62.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

व्यापार कल्पना कार्यक्रमों और उष्मायन (इन्क्यूबेशन) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्र में कार्य करने वाले तकनीकी / संस्थानों सहित अन्य संस्थान। ये संस्थान ज्ञान साझेदार के रूप में प्राधिकृत तथा अपने वाणिज्यीकरण के लिए नई/ मौजूदा तकनीकियों का उष्मायन करने वाले होने चाहिए। उष्मायक/उष्मायन के लिए निधि मुहैया करने और इस योजना तथा आजीविका व्यापार उष्मायकों/ तकनीकी व्यापार उष्मायकों एवं सू.ल.म.उ./राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग/ कॉय्पर बोर्ड/अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ ही निजी उष्मायकों को निधि मुहैया करने के लिए।

आवेदन कैसे करें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की संचालन समिति

की एस्पायर स्कीम स्टीअरिंग कमीटी को आवेदन भेजे जा सकते हैं। योजना की संचालन समिति सम्पूर्ण नीति समन्वयन और प्रबंधन सहायता के लिए ज़िम्मेदार रहेंगी। परिषद की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव करेंगे।

संबंधित योजना

पारम्परिक उद्योगों के नवीनीकरण के लिए पुनरोत्थान निधि योजना (स्फूर्ति)

विवरण

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं –

- क्लस्टर के पारम्परिक उद्योगों और कलाकारों को प्रतिस्पर्धी बनाना, संगठित करना और उनके दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए आवश्यक सहायता मुहैया करना।
- पारम्परिक उद्योगों के कलाकारों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थायी आजीविका मुहैया करना।
- ऐसे क्लस्टरों को नए उत्पादों, डिज़ाइन हस्तक्षेपों और उन्नत पैकेजिंग के लिए सहायता मुहैया करना और साथ ही बाज़ार की आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना।
- संबंधित क्लस्टरों के पारम्परिक कारीगरों को उन्नत कौशल और क्षमताओं से परिपूर्ण बनाने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन दौरों में शामिल करना।
- क्लस्टर प्रशासन व्यवस्था को साझेदारों की सक्रिय सहभागिता से मज़बूत बनाना, जिससे वे उभरती चुनौतियों और अवसरों को भाँप सकें तथा उनका सुसंगत रूप से सामना कर सकें।
- अभिनव और पारम्परिक कौशलों का निर्माण करने, उन्नत तकनीकियों, आधुनिक प्रक्रियाओं, बाज़ार के बारे में गुप्त सूचनाओं और जन-निजी भागीदारी के नये मॉडलों का निर्माण करना, ताकि उसके अनुसार पर क्लस्टर आधारित पारम्परिक पुनर्जीवित उद्योगों के मॉडल तैयार किये जा सकें।

सहायता का स्वरूप

इस योजना के अंतर्गत तीन किस्म के हस्तक्षेपों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें हल्के हस्तक्षेप (सॉफ्ट इंटरवेंशन), ठोस हस्तक्षेप (हार्ड इंचरवे तथा विशिष्ट विषय पर आधारित हस्तक्षेप शामिल हैं)। विभिन्न क्लस्टरों के लिए परियोजना की लागत निम्नलिखित रूप से है।

विरासती (होरीटेज) क्लस्टर (1000-2500 कारीगर*) 8 करोड़ रुपये।

बड़े क्लस्टर (500-1000 कारीगर*) 3 करोड़ रुपये।

लघु क्लस्टर (500 कारीगर*) 1.5 करोड़ रुपये।

* पूर्वोत्तर / जम्मू-कश्मीर और पहाड़ी राज्यों के लिए कारीगरों की संख्या प्रति क्लस्टर 50% कम रहेगी।

हल्के हस्तक्षेप : अधिकतम 25.00 लाख (100% योजना वित्तापूर्ति)

ठोस हस्तक्षेप : परियोजना की आवश्यकता के अनुसार (75% योजना वित्तापूर्ति)

तकनीकी एजेंसी का मूल्य हल्के एवं ठोस हस्तक्षेपों का 8% (100% योजना वित्तापूर्ति)

कार्यान्वयन एजेंसी/ क्लस्टर कार्यकारी का मूल्य : अधिकतम 20.00 लाख रुपये (100% योजना वित्तापूर्ति)

कौन आवेदन कर सकता है गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्र एवं राज्य सरकारों के संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थान (पीआरआईएस) आदि।

कैसे आवेदन करें

उपरोक्त योग्य एजेंसी/संगठन को अपना प्रस्ताव खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को सौंपना चाहिए और प्रस्ताव मंजूरी के लिए संचालन समिति के समक्ष रखे जाने से पूर्व आंचलिक एवं राज्य स्तर पर उनकी छंटनी की जानी चाहिए।



कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की
योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

जम्मू एवं कश्मीर के बेरोज़गार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उड़ान'

विवरण

यह योजना राज्य के व्यवसायाभिमुख युवाओं को व्यापार प्रबंधन, सॉफ्टवेयर, बीपीओ जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पाँच वर्ष तक प्रशिक्षण मुहैया करती है।

सहायता का स्वरूप

प्रशिक्षण की अवधि, स्थान और स्वरूप उम्मीदवारों के प्रोफाइल और कौशल के बीच के उनके अंतर के बारे में विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, कार्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी, एनएसडीसी के सहयोग से प्रशिक्षुओं को रोज़गार दिलाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

भारत सरकार प्रशिक्षुओं के जम्मू और कश्मीर से प्रशिक्षण गन्तव्य तक की यात्रा, आवास सुविधा, खान-पान, वृत्तिकावेतन और रोज़गार मुहैया करने के शुल्क का खर्च वहन करेगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं

स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि धारक इसके लिए पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें

प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने में रुचि रखने वाले युवकों को वेबसाइट <http://nsdcudaan.com> पर दी गई जानकारी पढ़कर अपनी पसंद के कार्यक्रम का चयन करना होगा।

कार्पोरेट प्रशिक्षक साझेदार बनने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव ई-मेल udaan@nsdcindia.org पर भेजना होगा।

संबंधित योजना

राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और आर्थिक पुरस्कार योजना (स्टार योजना)

विवरण

यह योजना युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल रूप से पूरा करने पर

उन्हें आर्थिक पुरस्कार दिया जाता है।

इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सार्वजनिक-निजी माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन की तिथि से एक वर्ष के भीतर बाजार-संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल रूप से पूरा करने पर युवाओं को करीब 10 लाख रुपये तक आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद एनएसडीसी, आरएएससीआई/जीजेएससीआई, भारत सरकार की ओर से स्टार (स्टैण्डर्ड ट्रेनिंग एसेसमेंट रिवाइड) प्रमाणपत्र दिया जा जाएगा, जो पूरे भारत में वैध होगा।

सहायता का स्वरूप

योजना के सभी उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन और प्रशिक्षण निकाय पूरी तरह पृथक रहेंगे और पारदर्शिता एवं सोद्देश्यता को बनाए रखने के लिए भूमिकाओं का अतिव्यापन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आर्थिक पुरस्कार के लिए निधि की आपूर्ति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से की जाएगी और वह सीधे लाभार्थी के खाते में बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकता है इस योजना का कार्यान्वयन मात्र योग्य आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों के लिए किया जा रहा है।

जो प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता किसी भी सरकारी संस्थान से पूर्व संलग्न नहीं हैं, उन्हें एनएसडीसी / एसएससी की ओर से तैयार किये गये संलग्नता प्रोटोकॉल के अनुसार प्री-स्कीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इसके लिए न्यूनतम शिक्षा की सीमा एसएससी उत्तीर्ण रखी

गई है और संबंधित उम्मीदवार 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए।

कैसे आवेदन करें

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट : www.nscsindia.org पर जाएँ तथा संबंधित एसएससी से सम्पर्क करे या फिर निम्नलिखित से सम्पर्क करें : राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ब्लॉक ए, क्लेरिऑन कलेक्शन, शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली - 110016

संबंधित योजनाएँ

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

विवरण

पीएमकेवीवाई की मुख्य विशेषताओं में मानकों (विशिष्ट कार्य भूमिका के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और योग्यता पैक (क्यूपीएस)) का पालन शामिल हैं। निधि सीधे तौर पर प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में जमा होगी। कौशल की माँग के आकलन और कौशल अंतर के अध्ययन पर आधारित होगी, इसका लक्ष्य मुख्य रूप से 10वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद शिक्षा छोड़ देने वाले युवा रहेंगे। खासतौर पर ध्यान वामपंथी चरमपंथियों द्वारा और पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं पर दिया जाएगा। पूर्व अनुभव या कौशल और दक्षता रखने वाले प्रशिक्षुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें भी किये जाने वाले मूल्यांकन के लिए आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न भूमिका निभाने वालों को भी आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा, प्रशिक्षण सेवा मुहैया कराने वालों के पंजीकरण के लिए कड़े प्रावधानों का पालन किया जाएगा, जागरूकता लाने और गतिविधियों का एकत्रिकरण स्थानीय सरकार और ज़िला प्रशासन एवं सांसदों की सहभागिता के साथ किया जाएगा, जिससे बेहतर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, पहुँच और स्वामित्व के साथ प्रशिक्षित मार्गदर्शकों की सुनिश्चितता की जा सके। सभी कौशल प्रशिक्षणों में सुलभ कौशल, व्यक्तित्व विकास, साफ-सफाई के लिए व्यवहार परिवर्तन और

अच्छी कार्य नीतियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्नत निगरानी, संरक्षण सुविधा मूल्यांकन और शिकायत निवारण भी इसमें शामिल रहेगा।

सहायता का स्वरूप

योजना के उद्देश्य हैं।

- प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहित करना और कौशलों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करना।
- बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशलों का प्रशिक्षण लेने लिए एकत्रित करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाकर अपनी जीविका का अर्जन करने में सक्षम बनाना। मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन को कतारबद्ध करना।
- कौशल प्रमाणन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना, जिससे युवाओं की रोजगार अर्जन क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके।
- प्रशिक्षण के दौर से गुजरने वाले उम्मीदवारों को मान्यताप्राप्त संस्थाओं की ओर से प्रति उम्मीदवार 8000 (आठ हजार) रुपये तक आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा।
- 24 लाख युवाओं को करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर लाभान्वित किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं इस योजना का लाभ वह कोई भी भारतीय उम्मीदवार प्राप्त कर सकता है, जो

- क) ऊपर परिभाषित योग्य प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा योग्य क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो;
- ख) योजना शुरू होने के बाद से एक वर्ष की अवधि के

दौरान उपरोक्त मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

- ग) वह योजना के संचालन के बाद से पहली बार और एकमात्र समय के लिए यह मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त कर रहा हो।

इस योजना का कार्यान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। वर्तमान में एनएसडीसी के साझेदारों की संख्या 187 है, जिनके माध्यम से 2300 से भी अधिक केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र / राज्य सरकार से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होने के पहले एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा। पीएमकेवीवाई के तहत सुधारित पाठ्यक्रम, बेहतर शिक्षा शास्त्र और बेहतर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सुलभ कौशल, व्यक्तित्व विकास, साफ-सुथरेपन के लिए के लिए व्यवहार में परिवर्तन और अच्छी आचरण नीतियों को शामिल किया जाएगा। क्षेत्रीय कौशल परिषदों और राज्य सरकारों की ओर से पीएमकेवीवाई के तहत चलाये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

आवेदन कैसे करें

अधिक जानकारी के लिए एनएसडीसी की वेबसाइट पर सम्पर्क करें



श्रम और रोज़गार मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

शिक्षता (एप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण

उद्योग में कौशल मानवश्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस योजना को लागू कर उद्योग का अभ्यासिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

सहायता का प्रकार

प्रति माह मासिक स्टाइफंड 1,970 से 3,560 रुपये के बीच।

कौन आवेदन कर सकते हैं

14 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति या एप्रेंटिसशीप अधिनियम की उक्त मूलभूत भौतिक और शिक्षण मानतका को पूर्ण करने वाला

आवेदन कैसे करें

अधिनियम के अधीन शर्तों को पूर्ण करने वाले नियोक्ता और एप्रेंटिसकर्ता अपने प्रस्ताव को योजना को प्रधान तौर पर लागू करने वाले राज्य एप्रेंटिसशीप सलाहकार के माध्यम से शिक्षा विभाग को आवेदन भेज सकते हैं।

संबंधित योजना

विवरण

क्राफ्ट्स मैन प्रशिक्षण (आईटीआई)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक ट्रेड की तकनीकी और उद्योग की आवश्यक कौशल मानवश्रम को पूर्ण करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।

सहायता का प्रकार

रियायती (कम से कम) शुल्क पर कौशलता प्रदान करना

कौन आवेदन कर सकते हैं

प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी के पास विभिन्न ट्रेड के लिए निर्धारित किये गये 8वीं से 12 वीं कक्षा तक के लिए प्रस्तावित शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

प्रवेश के लिए प्रोफार्मा क्राफ्टमेन्स प्रशिक्षण योजना से संबंधित राज्य निदेशालय या क्राफ्टमेन्स प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं।

संबंधित योजना

विवरण

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास

यह योजना वामपंथी और अलगाववाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास संसाधन को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरंभ की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य 34 जिलों के प्रत्येक जिलों एक आईआईटी और दो कौशल विकास केन्द्र (सीडीसी) की स्थापना करना और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यक कौशल मानवश्रम की मांग के अनुरूप लघु और दीर्घकालीक व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना है। योजना के कौशल प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिला के 30,120 और 10 युवाओं दीर्घ, मध्यम और लघु अवधि का प्रशिक्षण और साथ ही अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

सहायता का प्रकार

इस योजना में 1,000 युवाओं के लिए दीर्घ अवधि और 4,000 युवाओं के लिए लघु अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के साथ-साथ निजी संस्थान में 5,000 रुपये और सरकारी संस्थानों में 3,500 रुपये का स्टाइफंड देना।

कौन आवेदन कर सकते हैं

राज्य सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय

आवेदन कैसे करें

इच्छुक विद्यार्थी प्रस्तावित फॉर्मेट में स्थानीय डीईटी कार्यालय के माध्यम से या योजना लागू करने वाली आईटीआई/कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित योजना

विवरण

कौशल विकास पहल (एसडीआई)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों, विद्यमान कार्मिक, आईटीआई स्नातक आदि को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके नौकरी के अवसरों को बढ़ाना और सरकारी, निजी संस्थान और उद्योग में विद्यमान संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग में लाना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति में विद्यमान कौशल की जाँच कर प्रमाणित किया जाएगा।

सहायता का प्रकार उद्योग के परामर्श के बाद रोजगारोन्मुखी कौशल का ढाँचा तैयार कर उसके आधार पर लघु अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, जिसको 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं स्कूल छोड़ने वाले, वर्तमान कार्मिक, आईटीआई स्नातक

आवेदन कैसे करें इच्छुक विद्यार्थी अपने स्थानीय वीटीपी से चयनित मॉड्यूल की प्रशिक्षण की सहायता के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए वीटीपी, आरडीएटी द्वारा चयनित किसी एक एसेसिंग निकाय में व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करेगा।

संबंधित योजना **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 आईटीआई का उन्नयन**

विवरण इस योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना और स्नातकों को बेहतर रोजगार अर्जनक्षम बनाने के लिए उसे माँग अनुरूप वहनक्षम बनाने की सुनिश्चिती करना है।

सहायता का प्रकार केंद्र सरकार की ओर से संबंधित आईएमसी को उसके द्वारा बनाये गये संस्थान विकास योजना (आईडीपी) के आधार पर 2.5 करोड़ रुपये तक का ब्याजरहित ऋण दिया जाएगा। इस ऋण का भुगतान संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 30 वर्ष में करना होगा, जिसमें 10 वर्ष का विलम्बकाल होगा तथा उसके बाद 20 वर्ष तक समान वार्षिक किश्तें होंगी। इस योजना के अंतर्गत आईएमसी को आर्थिक और शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, जिससे वह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सके।

कौन आवेदन कर सकते हैं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

आवेदन कैसे करें 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संस्थान प्रबंधन समिति के गठन के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में चुना गया है, इस समिति में उद्योग क्षेत्र और संकाय के भी सदस्य रहेंगे।



भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

पूँजीगत वस्तु योजना

पूँजीगत वस्तु योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता मुहैया की जाती है :

- क) सामूहिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र की स्थापना स्थानीय उद्योग अथवा उद्योग संघ की ओर से की जा सकती है, जिससे कैचमेंट क्षेत्र में पूँजीगत वस्तुओं के लिए विनिर्माण सेवाओं तक पहुँच संभव हो पाएगी, जो अब तक नहीं थी।
- ख) औद्योगिक क्लस्टर प्रणाली में मशीनी उपकरणों के विनिर्माण के लिए तार्किक मूल्य में मूलतः कटौती करने और उससे क्षेत्र को उन्नत निर्यात क्षमता एवं अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मशीनरी उपकरण उद्योग के लिए एकीकृत औद्योगिक आधारभूत संरचना की सुविधाएँ एक परितंत्र मुहैया करेंगी।
- ग) भूमि संबंधी कार्य (अर्थ मूविंग) मशीनरी के परीक्षण, प्रमाणन एवं वैधानिक तथा नियमनात्मक आवश्यकताओं के लिए यह केंद्र एक परीक्षण केंद्र के बनेगा. यह सुविधा भारत सरकार की ओर से कार्यान्वित की जाएगी।
- घ) यह निधि पूँजीगत वस्तुओं की औद्योगिक इकाइयों को अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी ग्रहण करने / हस्तांतरित करने और आत्मसात करने के अलावा समझौता पद्धति, आंतरिक पद्धति अथवा वैश्विक मानक एवं संयुक्त समझौता प्रणाली से प्रतिस्पर्धिता के लक्ष्य हासिल करने के लिए से तकनीकी विकास साध्य करने के लिए यह निधि आर्थिक सहायता मुहैया करेगी।

सहायता का स्वरूप

- क) केंद्र की ओर से सहायता एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में मुहैया की जाएगी, जो परियोजना की कुल

लागत से 80 % से अधिक नहीं होगी और इसके लिए दो सामूहिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रों का अधिकतम मूल्य 48.96 करोड़ होना चाहिए।

- ख) एकमुश्त अनुदान सहायता (समान शेयर नहीं) परियोजना की कुल लागत से 80% से अधिक नहीं होगी। परियोजना की अधिकतम लागत 125 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- ग) प्रायोगिक चरण में डीएचआई की ओर से केंद्रीय सहायता 100 करोड़ रुपये होगी।
- घ) प्रत्येक तकनीकी के अधिग्रहण पर आने वाली कुल लागत पर एकमुश्त रूप में 25 % तक केंद्रीय सहायता दी जाएगी। दी जाने वाली अधिकतम राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। यह निधि सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थान के माध्यम से मुहैया की जाएगी।

कौन आवेदन कर सकता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उद्योग संघ, वित्तीय संस्थान, केंद्र / राज्य सरकारें, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, केंद्र/ राज्य सरकारी के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ आदि।

कैसे आवेदन करें

वैश्विक प्रतिस्पर्धिता को सुलभ बनाने वाले प्रत्येक तकनीकी विकास परियोजना के लिए आवेदन जमा किये जा सकते हैं। आवेदनों के साथ ही संलग्न कागजात (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित) दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपियाँ भी भेजी जानी चाहिए। (हर एक की एक प्रति एमएस वर्ड में तथा एक पीडीएफ प्रति कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में)

संबंधित योजना

समाज कल्याण विभाग के कार्यों पर उत्पाद शुल्क रियायत

विवरण

समाज कल्याण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए उत्पाद शुल्क रियायत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के

लिए सहायता मुहैया की जाती है :

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की ओर से कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क रियायत प्रमाण पत्र जारी करना। इसके लिए शर्त यह है कि उद्योग मंत्रालय के कोई उप सचिव / निदेशक यह प्रमाणित करते हैं कि संबंधित वाहन विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह से परिपूर्ण है तो ही इस रियायत के लिए दावा किया जा सकता है।

सहायता का स्वरूप

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार करी ओर से 16% और 24% की सामान्य दर की तुलना में 8% उत्पाद शुल्क की रियायती दर के लिए अनुमति दी गई है।

कौन आवेदन कर सकता है शारीरिक रूप से विकलांग द्वारा चलाने योग्य कार ; या

शारीरिक रूप से विकलांग के साथ कार चला पाने वाला एक व्यक्ति।

आवेदन कैसे करें

(क) सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(ख) यात्री कार के विनिर्माता का प्रमाणपत्र, जो यह स्पष्ट करें कि कार की बुकिंग उनके पास की गई है और वह विकलांग व्यक्ति को सौंपी जाएगी, जो खास तौर पर उस व्यक्ति की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है तथा उसमें विकलांगता की प्रकृति दाहिनी /बाईं बाजू या फिर पैर अथवा संयुक्त विकलांगता के अनुकूल ऑटो ट्रांसमिशन, ग्रिप असेम्ब्ली, एक्सिलेटर पेडल, एवं हाथ से नियंत्रित करने योग्य (हैंड कंट्रोल) उपकरण अथवा यंत्र स्थापित किये गये हैं,

(ग) आवेदक द्वारा एक सत्यापन कि उसने इस प्रकार की सहायता पिछले पाँच वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की और वह उत्पाद शुल्क रियायत के साथ खरीदी गई कार पाँच वर्ष के भीतर नहीं बेचेगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की ओर से आवेदन उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्म करने वाले कागज़ातों के साथ अवर सचिव, (एईआई संभाग), भारी उद्यम एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्यम विभाग, कमरा नं. 384, उद्योग भवन, नई दिल्ली — 110011 पते पर भेजे जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

उत्पाद शुल्क रियायत

उत्पाद शुल्क रियायत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता मुहैया की जा सकती है :

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आटोमोटिव क्षेत्र संबंधी परियोजना के विस्तार के लिए / परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के बारे में उत्पाद शुल्क के रियायती दर मंजूर करने के लिए आवेदन भारी उद्योग मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।

सहायता का स्वरूप

चुनिंदा आयातित मशीनरी तथा उपकरणों के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर

कौन आवेदन कर सकता है

ऑटोमोटिव क्षेत्र का कोई भी विनिर्माता

आवेदन कैसे करें

आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजना आवश्यक है : संयुक्त सचिव [ऑटो डिवीजन] भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली।



युवा मामले और क्रिडा मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

युवा संबंधी गतिविधियों और प्रशिक्षण के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता (एफएपीवाईएटी)

विवरण

युवा और खेल-कूद मामले मंत्रालय ने युवाओं को सहायता और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित कर सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए यह योजना आरंभ की है।

एफएपीवाईएटी योजना के निम्नलिखित उप-घटक हैं:

- क) व्यवसायिक प्रशिक्षण: नेतृत्व का विकास करना, शहरों की ओर युवाओं के पलायन को रोकना, कृषि का महत्व बताना और उद्यमी को प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक से अवगत करवाना।
- ख) उद्यमी विकास: युवाओं में उद्यमियों की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को डिजाइनिंग और प्रॉजेक्ट की योजना के कौशल के लिए उपकरण उपलब्ध करवाना और बेरोज़गार युवकों को सहायता करना।
- ग) प्रदर्शनी: इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं की विकासात्मक गतिविधियों में योगदान देकर राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाना और उनके कौशल को प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाना।

सहायता का प्रकार

इस योजना के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

आवेदन कौन कर सकते हैं

इसमें 15-35 वर्ष की उम्र वाले युवा प्रशिक्षण हेतु शामिल हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आवश्यक दस्तावेज के साथ एनजीओ अपने आवेदन निम्नलिखित से सिफारिश प्राप्त कर जमा कर सकते हैं:

राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जिलाधीश/ज़िला दंडाधिकारी, एनवाईके, एनएसएस क्षेत्रीय केन्द्र

आवेदन आवश्यक रूप से- उप सचिव/निदेशक (प्रशिक्षण), युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजे जायें।

संबंधित योजना

युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)

विवरण

इस योजना का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व के गुणों और व्यक्तित्व का विकास करना तथा उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में उनकी ऊर्जा का उपयोग करना है। युवाओं में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और उनका सटीक पद्धति से मुकाबला करने उनमें साहस की चेतना जगाने का भी लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान के प्रसार के लिए एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का भी उद्देश्य रखा गया है।

सहायता का स्वरूप

महिला लाभार्थियों के चयन को एक अलग प्राथमिकता दी जाएगी और इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम एक-तिहाई संख्या महिलाओं की हो।

युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संबंधी अनुदान मात्र मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही दिया जाएगा।

अनुदान के रूप में सहायता संबंधित परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को दी जाएगी, जिसके तहत कुल अनुमोदित राशि में से 50% राशि पहली किश्त के रूप में जारी की जाएगी। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की

सरकारों के मामले में एनएसएस और एनवाईकेएस की 90% तक अग्रिम राशि जारी की जा सकती है। शेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने पर जारी की जाएगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं नेहरू युवा केन्द्र संगठन, एनएसएस, राज्य सरकार से संलग्न युवा संगठनों, राज्य स्तरीय संगठनों (एसएलओएस) और विश्वविद्यालयों से संबद्ध युवा क्लबों के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें सम्बन्धित प्रस्ताव सीधे केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल मंत्रालय भेजे जाने चाहिए।

संबन्धित योजना **नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की ओर से कार्यान्वित राष्ट्रीय यूथ कोर (एनवाईसी)**

विवरण योजना का उद्देश्य संभावनापूर्ण युवाओं की पहचान कर उनकी ऊर्जा का दोहन राष्ट्र निर्माण की दिशा में करना।

- अनुशासित और समर्पित युवाओं का एक समूह तैयार करना, जिनमें राष्ट्र निर्माण की चाह और कार्य को पूरा करने की अदम्य इच्छा हो।
- व्यापक वृद्धि (सामाजिक और आर्थिक) साध्य करने के लिए सहायता करना।
- समुदाय में जानकारी के प्रसार और बुनियादी ज्ञान के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना।
- समूह आपरिवर्तकों (मोड्यूलेटरों) और समान लोगों के समूह (पीर ग्रुप) के शिक्षकों के रूप में कार्य करना।
- युवाओं खास तौर पर सार्वजनिक नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए युवाओं के रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए।

- सहायता का स्वरूप स्वयंसेवकों को चयनित विकास गतिविधि में दो साल तक की उनकी सेवाओं (प्रशिक्षण अवधि के साथ, जो 4 सप्ताह की रहेगी) के लिए हर माह 2,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
- कौन आवेदन कर सकता है यह योजना 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं और महिलाओं के लिए लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें पूर्णकालिक आधार पर मार्च 2012 से दो वर्ष तक कार्य करने का अवसर मुहैया किया जाता है और उसके मुआवज़े के रूप में उन्हें प्रति माह 2,500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। समाज के कमज़ोर तबकों और लैंगिक असंतुलन के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है।
- कैसे आवेदन करें अपना पंजीकरण करने के इच्छुक युवाओं को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर एनवाईकेएस के संबंधित जिला युवा समन्वयक के पास जमा करने होंगे।



नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

वाटर मिलों और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्टों का विकास / उन्नयन (उन्नयन करने के लिए 100 किलोवाट क्षमता)

विवरण

वाटर मिल (डब्ल्यूएम) और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्टों में (एमएचपी) एक विकेन्द्रीकृत तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। डब्ल्यूएम योजना का विकास/उन्नयन के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की प्रकृति

इस योजना के अंतर्गत डब्ल्यूएम और एमएचपी से संबंधित डेटाबेस, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने, विशेष अध्ययन/सर्वेक्षण के लिए समर्थन भी की भी परिकल्पना की गई है। डब्ल्यूएम का स्वामित्व रखने वाली महिलाएं, महिला उद्यमी या गैर सरकारी संगठनों से महिलाओं के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्रालय प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देगा। अगर एसएनए डब्ल्यूएम/एमएचपी का स्वामित्व ना हो, तो, सीएफए द्वारा एसएनए के लिए यांत्रिक माध्यम से प्रति पनचक्की .3,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिजली/इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल माध्यम से डब्ल्यूएम के लिए प्रति 10,000 रुपये और सब्सिडी या प्रत्येक एमएचपी के लिए 25,000 रुपये की एक न्यूनतम के 1% सेवा शुल्क के रूप में प्रदान का जाएगी। अगर परियोजना गैर सरकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित कि जा रही हो, तो सेवा प्रभार 30:70 के अनुपात में एसएनए और गैर-सरकारी संगठनों के बीच साझा की जाएगी।

आवेदन कौन कर सकते हैं

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकार के विभागों / एसएनए / स्थानीय निकायों / सहकारी / गैर सरकारी संगठनों, उद्यमियों / आम लोगों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास।

विवरण

भारत को बढ़ती आबादी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए, स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा की ज़रूरत है, सौर परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह योजना उच्च तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, भारत की कार्बन पदचिह्न को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है।

सहायता की प्रकृति

राज्य स्तर पर, राज्यों को सक्षम बनाने के लिए सौर पार्क परियोजना विकास से महत्वपूर्ण निवेश में लाने के लिए, अक्षय अपनी खरीद बाध्यता (आरपीओ) जनादेश मिलने और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

आवेदन कौन कर सकते हैं

सौर पार्क राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किये जाएंगे। भारत सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) होगा। एसईसीआई भारत सरकार की ओर से धनराशि संभालेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक राज्यों को सौर पार्क के विकास के लिए एक एजेंसी को नामित करना होगा।

आवेदन कैसे करें

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

अनुसंधान, डिज़ाइन, विकास, प्रदर्शन (आरडीडी एंड डी) और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन।

विवरण

इस योजना का उद्देश्य उद्योग प्रतिस्पर्धी और अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आपूर्ति आत्मनिर्भर/लाभदायक बनाना है।

आरडीडी एवं री डिज़ाइन, अनुसंधान की गतिविधि और विकासात्मक गतिविधियों के लिए आवश्यक है, भले ही पूरी प्रणाली विभिन्न संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस प्रकार, मोटे तौर पर प्रणाली एकीकरण की ज़रूरत है, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में होगी -

1. वैकल्पिक ईंधन (हाइड्रोजन, जैव और सिंथेटिक)।
2. भविष्य परिवहन के लिए ग्रीन पहल (जीआईएफटी)।
3. विद्युत उत्पादन के लिए ग्रीन पहल (जीआईपीएस)।
4. उच्च दक्षता सौर सेलों और सौर सेल सहित विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास।
5. खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था, बिजली, पानी (सुखाने और पीने) के लिए लागत प्रभावी ऊर्जा प्रदान करने के लिए उत्पाद।
6. रसोई, प्रकाश तथा अभिप्रेरक ऊर्जा के लिए सस्ती ऊर्जा मुहैया करने के लिए नये और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति कर ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम करना।
7. शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद।

सहायता की प्रकृति

अनुसंधान एवं विकास (आरडी एंड डी) / टीडी परियोजनाओं के तहत उद्योग के साथ साझेदारों को वित्तीय सहायता/ नागरिक समाज संगठनों को सामान्य रूप से परियोजना लागत का 50 % ही मुहैया की जाएगी। हालांकि, विश्वविद्यालय, सरकारी शोध संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, से किसी भी प्रस्ताव के लिए मंत्रालय परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर, 100% वित्त पोषण करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

वैयक्तिक शिक्षण संस्थानों के मामले में, विशेष रूप इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को अनुसंधान एवं विकास अनुदान के लिए आवेदन करते समय एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि वह छात्रों से प्रवेश के लिए दान आदि के रूप में राशि नहीं वसूल करता।

आवेदन कौन कर सकते हैं अनुसंधान और विकास संस्थान, शैक्षिक संस्थान, स्वायत्त संस्थान, विभाग / एजेंसियां / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्यों / संघ राज्य सरकार, पंचायत, समुदाय आधारित और नागरिक समाज के संगठन।

आवेदन कैसे करें अनुप्रयोग और प्रस्तावों को समाचार पत्रों में या एमएनआरई वेबसाइट पर रखे विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।

संबंधित योजनाएँ

एनसीईएफ योजना के तहत खुले / नए क्षेत्रों में पवन संसाधन आकलन।

विवरण

मंत्रालय ने सी- वेट के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के तहत 500 नए स्टेशनों में 100 मीटर के स्तर पर यथार्थवादी क्षमता का आकलन करने के लिए एक उद्देश्य के साथ खुला / नए क्षेत्रों में पवन संसाधन आकलन के कार्यान्वयन पर एक नई योजना शुरू की है।

निजी डेवलपर्स के साथ एसएनए पूरी परियोजना लागत का निवेश और पवन निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक काम करेगा।

सहायता की प्रकृति

इस योजना के तहत कुल परियोजना लागत का 40% हिस्सा प्रतिपूर्ति के रूप में एनसीईएफ से सी- वेट द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष 60% राज्य सरकार और निजी के संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) को एक साथ वहन करना होगा।

सी - वेट के प्रस्ताव के अनुसार मंत्रालय एनसीईएफ अनुदान की राशि में से 50% जारी करेगा। एसएनए / निजी

विकासकों के लिए कार्य स्थानों के लिए वित्तीय स्वीकृति सी - वेट द्वारा दी जाएगी। विशेष रूप से स्वीकृति आदेश के अनुसार शेष 50 % राशि अनुदान सी-वेट के लिए जारी किया जाएगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं केवल भारतीय संस्था अर्थात्, पवन खेतों के मालिक, आईपीपी, विंड फार्म डेवलपर्स और विंड टर्बाइन निर्माता इस योजना में सब्सिडी के अनुदान के लिए पात्र हैं।

सभी निजी विकासक को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। विकासक पर्यावरण अनुमति देने और बैठक मुद्दों के साथ संसाधनों और अनुभव सहित (जैसे, इंजीनियरिंग, आपरेशन) होना चाहिए।

निजी विकासक को संबंधित एसएनए के लिए निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।

आवेदन कैसे करें

संबंधित एसएनए सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना के जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हवा निगरानी स्टेशनों के लिए प्रस्तावों की पहली खेप सी-वेट करने के लिए संबंधित राज्य को आवंटित की जाएगी।



पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाएँ



1. क्षमता विकास और तकनीकी सहायता (सीबी एंडटीए) योजना

संबंधित योजना

क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता (सीबी एंडटीए)

विवरण

एनईआर का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन को मजबूत करने, विशेषकर युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार के प्रशासन में कौशल और ज्ञान को भी मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि प्रशासन अच्छा चल सके।

सहायता का प्रकार

लघु अवधि के लिए छह माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मध्यम अवधि के लिए छह माह से 1 साल के पाठ्यक्रम और जिनके प्रशिक्षण का समय एक वर्ष का है उसके लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। लघु अवधि के पाठ्यक्रम की पहली किश्त की 75% राशि को स्वीकृति और बाँड सक्रिय होने के बाद जारी किया जाता है। शेष 25% राशि की दूसरी किश्त, खर्च का विवरण प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाती है। इसी प्रकार मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए पहली किश्त 50%, दूसरी किश्त 40% तीसरी किश्त 10% के रूप में जारी की जाती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारी विभाग, प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध विश्वविद्यालयों के उन्नत केन्द्र, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ और केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकार के स्वायत्त संगठन, निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान और एनजीओ व ट्रस्ट।

आवेदन कैसे करें

आगामी वित्त वर्ष की निधि के आबंटन के लिए प्रस्तावित प्रपत्र में सभी प्रस्तावों को जनवरी से मार्च के बीच सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विज्ञान भवन एनेक्से, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110 0011 के पास जमा करने होंगे।

2. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफएल) की योजनाएँ

संबंधित योजनाएँ अ) कार्पोरेट वित्तापूर्ति

विवरण	सामान्य पूंजी खर्च, वर्किंग कैपिटल मार्जिन, वर्किंग कैपिटल में महसूस होने वाली कमी, उच्च ब्याज दर वाले ऋण का पुनर्भुगतान और व्यापार अधिग्रहण, अथवा ब्रांच निर्माण आदि जैसी सामान्य कार्पोरेट गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध जिसमें किसी भी प्रकार की प्रकट सम्पत्ति के सृजन की संभावना नहीं होती।
सहायता का प्रकार	न्यूनतम प्रदर्शित राशि 50 लाख और अधिकतम राशि को प्रदर्शन के नियम के अनुसार दी जाएगी।
कौन आवेदन कर सकते हैं	एनईडीएफआई को सहायता करने वाली तीन वर्ष तक परिचालन करने वाली कार्पोरेट इकाई और अन्य इकाई के लिए कम से कम पाँच वर्ष का परिचालन आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें	चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006

संबंधित योजनाएँ आ) उपकरण वित्तापूर्ति

विवरण	इस योजना के अंतर्गत उन कम्पनियों को मशीनरी/ उपकरण के लिए वित्त सहायता उपलब्ध करवायी जाती है जो आर्थिक रूप से मज़बूत हो और लाभ कमाकर अच्छा रिकार्ड रखने वाली हो। प्रस्तावित इकाई आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी एक जगह हो।
सहायता के प्रकार	उपकरण की लागत का अधिकतम 70% इसके साथ कर/शुल्क, परिवहन और स्थापना प्रभार: कम से कम 25 लाख होगा। प्रस्तावित मशीनरी को प्राप्त करने के लिए उपकरण की लागत कम से कम 30% हो और वह नयी होनी चाहिए।
कौन आवेदन कर सकते हैं	कम्पनियां जिनका रिकार्ड अच्छा हो

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई,
जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006

संबंधित योजनाएँ

इ) कृषि में उद्यमियों के विकास के लिए पहल (आइडिया)

विवरण

इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि व्यापार वेंचरों को प्रोत्सहित करना और कृषि व्यापार को स्थापित कर उसे लाभकारी वेंचर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। यह रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाने सहायक होगी और आपूर्ति व सेवा के प्रतिपूर्ति स्रोत भी उपलब्ध करवाएगी।

सहायता के प्रकार

कम्पोजिट लोन में टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का समावेश होगा; एनईडीएफआई से टर्म लोन के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये का होनी चाहिए, परियोजना की लागत की अधिकतम 75% राशि ऋण के रूप में मुहैया की जाएगी शेष 25% राशि प्रमोटर के योगदान के रूप में होनी चाहिए।

कौन आवेदन कर सकते हैं

कृषि और उससे संबद्ध विषयों के सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर, अन्य विषयों से स्नातक और स्नातकोत्तर जिनको अनुभव हो और कृषि व्यापार वेंचरों को कुशलता से चला सकें। प्रस्तावित इकाई संबंधित प्रोपराइटर, साझेदारी फर्म या कम्पनी की होगी

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में करें।

संबंधित योजनाएँ

ई) माइक्रो फाइनेंस

विवरण

यह योजना लघु और मध्यम दर्जे के किसानों, स्वयं रोजगार में शामिल लोगों और उन उद्यमियों की सूक्ष्म ऋण की आवश्यकता को पूर्ण करती है, जो प्रभावी ढंग से सेवा की मध्यस्ता कर सके और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार

उनकी माँग को समझ सकें। विकसशील और सहयोगी गैर सरकारी संगठन/ स्वयंसेवी एजेंसियाँ (वीए) जिनका रिकार्ड अच्छा हो और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियों को चलाकर आय का सृजन कर सकें।

सहायता के प्रकार एनईडीएफआई ऋण की मूल राशि के +0.5 % (प्रशासनिक प्रभार) से लेकर अधिकतम 1% प्रक्रिया शुल्क के प्रभार के साथ राशि उधार देगी। एमएफआई को आरबीआई की शर्तों का पालन करना होगा। पुनर्भुगतान का अधिकतम समय 5 वर्ष होगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं कम से कम 3 वर्ष से विद्यमान सभी एमएफआई; एमएफआई का अच्छा उल्लेखनीय रिकार्ड होना चाहिए। स्वयंसेवी एजेंसियाँ भी आवेदन के लिए योग्य होंगी।

आवेदन कैसे करें चेरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में करें।

संबंधित योजनाएँ

उ) एनईडीएफआई इक्विटी फंड

विवरण यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उन उद्यमियों के लिए है, जिनके पास व्यापार के विचार हो और वे उसे ऊँचाईयों तक ले जाने में सक्षम हो तथा निवेश करने पर सामान्य से अधिक लाभमिल सके।

सहायता का प्रकार एक परियोजना में 50 से 300 लाख रुपये के बीच निवेश किया जाता है। वित्तीय अवधि में परियोजना की लागत, आरंभिक कार्यकारी पूंजी और वाणिज्यिकरण परिचालन के दौरान वर्तमान सम्पत्ति के चयन आदि के लिए सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी।

आवेदन कौन कर सकते हैं व्यक्तिगत उद्यमी या उद्यमियों का समूह; आवेदनकर्ता के पास उचित व्यापार योजना हो जो सामान्य से कहीं अधिक निवेश का बहुत ही आकर्षक मुआवज़ा देने में सक्षम हो।

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

ऊ) लघु उद्यमियों के लिए एनईडीएफआई अवसर योजना (एनओएसएसई)

विवरण

इस योजना का उद्देश्य, नये उद्योग को स्थापित करने और संसाधन परियोजना के साथ-साथ विस्तारण, बदलाव या विद्यमान उद्योगों का आधुनिकीकरण, जिनमें वाणिज्यिक रियल स्टेट भी शामिल हैं, को

दीर्घ अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

सहायता का प्रकार

यदि प्राजेक्ट की लागत 50 लाख से अधिक हो और 200 लाख रुपये तक हो, तो ऋण का अंश कम से कम 100 लाख रुपये सावधि ऋण के रूप में या कार्यकारी पूंजी या दोनों को मिलाकर होगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं

पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय लघु उद्यमी

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें

संबंधित योजनाएँ

ए) पूर्वोत्तर उद्यमी विकास (नीड)

विवरण

इस योजना उन प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए बनायी गयी है, जिनको इक्विटी की कमी है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के नयी परियोजनाओं, विस्तारीकरण, विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण, संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहकों की तकनीकी योग्यता आदि इसकी पूर्व माँग है।

सहायता का प्रकार

परियोजना लागत का अधिकतम 75% टर्म लोन, जिसमें आवश्यक मामलों में एक चक्र में कामकाजी पूंजी भी शामिल होगी। प्रोत्साहकों का परियोजना लागत में योगदान कम से कम 25% होगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं प्रथम पीढ़ि के उद्यमी, विद्यमान उद्यमी, प्रोपराइटरी एवं संबद्ध साझेदार और कम्पनियां

आवेदन कैसे करें चेरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें

संबंधित योजनाएँ ऐ) पूर्वोत्तर हथकरघा हस्तकला (एनईएचएच)

विवरण हथकरघा और हस्तकला क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय कामगार को प्रोत्साहित करते हुए उनके सतत आर्थिक विकास के लिए यह मंच उपलब्ध करवाती है।

सहायता के प्रकार प्रॉजेक्ट लागत कम से कम 25 लाख रुपये होगी। टर्म लोन की सहायता प्रॉजेक्ट लागत के कम से कम 75% होगी। प्रमोटर का योगदान प्रॉजेक्ट लागत के कम से कम 25% होगा। ब्याज की दर 8% होगी पुनर्भुगतान का समय 3-7 वर्ष का होगा, जिसमें मूल पुनःभुगतान का मोराटोरियम शामिल होगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं निर्माता, डिजाइनर, उत्तर-पूर्वी भारत से हथकरघा और हस्तकला उत्पाद के विशेषज्ञ। प्रस्तावित इकाई प्रोपराइटरशीप, साझेदारी या कम्पनी होगी।

आवेदन कैसे करें चेरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें

संबंधित योजनाएँ ओ) रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)

विवरण नये, विस्तारिकरण, बदलाव या निर्माण परियोजनाओं या सेवा क्षेत्र का आधुनिकीकरण की स्थापना के लिए मध्यम से दीर्घ अवधि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

सहायता का प्रकार	सामान्यतः एक प्रॉजेक्ट में उसकी कुल लागत का अधिकतम 12% दिया जाता है। ऋण के एकमत के मामले में प्रॉजेक्ट के कुल ऋण पर साझेदार एकमत होकर निर्णय लेते हैं, परंतु निगम ने कुल लागत के अधिकतम 12% तक ही सीमित कर दी है और शेष ऋण की आवश्यकता को दूसरे एकमत साझेदार, योगदानकर्ता द्वारा मंजूर की जायेगी जो परियोजना की कुल लागत का कम से कम 35-40% तक होगी।
कौन आवेदन कर सकते हैं	विद्यमान उत्साह उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर आठों राज्यों के योग्य लोग आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें	चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें
संबंधित योजनाएँ	औ) सक्रिय पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल)
विवरण	इस योजना का उद्देश्य इच्छुक इकाइयों को वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में एक समय में कार्यकारी पूंजी की सहायता उपलब्ध करवाना है।
सहायता के प्रकार	एक चक्र के व्यापार परिचालन के लिए आवश्यक अधिकतम 75% की वर्किंग कैपिटल मुहैया की जाती है। प्रमोटर को व्यापार परिचालन के लिए कम से कम 25% की कार्यकारी पूंजी की आवश्यक होगी। प्रस्तावित इकाई जिसको वित्तीय सहायता की आवश्यकता है उनका योगदान प्रॉजेक्ट लागत का कम से कम 25% होगा
कौन आवेदन करें	प्रथम पीढ़ि उद्यमी, विद्यमान उद्यमी, प्रोपराइटरी एवं संबद्ध साझेदार और कम्पनियाँ

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 के पास एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

अ) अनुबंध वित्तापूर्ति के लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन (डब्ल्यूसीटीएल)

विवरण

एनईडीएफआई योग्य ठेकेदार फर्म /कम्पनियों को ठेके के कार्य के लिए वित्तीय सहायता गैप फंडिंग के तौर पर उपलब्ध करवाती है।

सहायता के प्रकार

गैप फंडिंग के रूप में वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की सहायता प्रदान करती है। लेनदार की ऋण, जोखिम की संभावना, रेटिंग और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर ब्याज की दर मूल ऋण दर के आधार पर सीमित की गयी है। ऋण को कवर करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की भी आवश्यकता होगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं

योग्य ठेकेदार फर्म और कम्पनियाँ

आवेदन कैसे करें

चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें

संबंधित योजनाएँ

अ:) महिला उद्यमिता विकास (वेड)

विवरण

यह योजना महिला उद्यमियों को व्यापार का वेंचर आरंभ करने के लिए लागू की गयी है। विद्यमान व्यापारियों भी विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और बदलाव के लिए इसके योग्य हैं।

विवरण

परियोजना की कुल राशि में से अधिकतम 75% टर्म लोन की सहायता। वर्किंग कैपिटल के साथ परियोजना की लागत में से 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमोटर का योगदान प्रॉजेक्ट लागत के कम से कम 25% होगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं 18-50 वर्ष के आयु वर्ग की कौशल महिला उद्यमी; आवेदनकर्ता लघु व्यापार के साथ अन्य उचित आय सृजन की गतिविधियों से जुड़ा हो।

आवेदन कैसे करें चेरमैन एवं प्रबंध निदेशक, एनईडीएफआई, जी.एस.रोड, दिसपुर गुवाहाटी-781006 को एनईडीएफआई के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम

संबंधित योजनाएँ पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम

विवरण शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में विकास और संसाधन और सेवा के माध्यम से शहरी प्रशासन, वित्तीय संस्थान की क्षमता को विस्तारित करने और वित्तीय में सुधार कर सेवा प्रणाली को उन्नत बनाकर शहरो की उत्पादिता को बढ़ाना ही इस योजना का लक्ष्य है।

सहायता का प्रकार 1371.4 करोड रुपये की वित्तीय एड (भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के 30/70 के अनुपात में) पांच राज्यों में उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन चरणों में 90% अनुदान, 10% ऋण के तौर पर उपयोग किया जायेगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं पांच राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय की सरकारें

आवेदन कैसे करें राज्य सरकारें अपने प्रस्तावित प्रॉजेक्ट की मंजूरी के लिए सीधे शहरी विकास मंत्रालय के शहरी विकास विभाग को लिख सकते हैं।

4. पूर्वोत्तर ग्रामीण जीवनयापन परियोजना (नेरलैप)

संबंधित योजनाएं पूर्वोत्तर ग्रामीण जीवनयापन परियोजना (नेरलैप)

विवरण इस प्रॉजेक्ट के विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार विशेषकर महिला, बेरोज़गार युवा और

उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे उपेक्षित वर्ग का उत्थान करना है।

इस परियोजना के चार मुख्य आधार हैं

- 1) सामाजिक सशक्तिकरण
- 2) आर्थिक सशक्तिकरण
- 3) साझेदारी विकास
- 4) परियोजना प्रबंधन

सहायता का प्रकार

वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) द्वारा प्रदान की जाएगी। यह विश्व बैंक के फंड वाली योजना है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

महिला स्वसहायता समूह के सदस्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बेरोज़गार युवा

आवेदन कैसे करें

आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यालय/ ब्लॉक प्रॉजेक्ट सुविधा टीम कार्यालय को आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन www.nerlp.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

5. विज्ञापन और प्रचार

संबंधित योजनाएँ

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञापन और प्रचार

विवरण

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मज़बूत बनाने के साथ-साथ क्षेत्र को देश की मुख्यधारा से जोड़कर इन सभी को साथ लेकर चलना है।

सहायता का प्रकार

जन उद्यमी, जन न्यास, स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ आदि को मंत्रालय वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं

पंजीकृत सोसाइटी, स्वयंसेवी संगठन, जन न्यास, अलाभकारी/ लाभ के लिए कार्य न करने वाले संगठन,

आवेदन कैसे करें

विश्वविद्यालय, सहकारी और अन्य इसी प्रकार की संस्थान योजना के लिए योग्य हैं।

मंत्रालय के संभाग प्रधान योजना के अधीन दिये गये विषयों को पूरा करने के लिए योग्य संस्थान/संगठन को कार्यक्रम/परियोजना के लिए आमंत्रित करेगा। इस प्रकार के आंतरिक प्रस्ताव विज्ञापन और प्रचार की समिति के पास सुझाव और निर्णय प्राप्त करने हेतु विज्ञापन और प्रचार के प्रभारी संयुक्त सचिव के पास भेजने होंगे।

प्रथम दृष्टि में योजना के लिए संगठन/संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आंतरिक है। बाहरी प्रस्ताव विज्ञापन और प्रचार के प्रभारी संयुक्त सचिव को भेजना होगा। विज्ञापन एवं प्रचार समिति के सामने प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की संभाग द्वारा जांच की जायेगी।



अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

"नई रोशनी" - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए।

विवरण

सभी स्तरों पर सरकार प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने के द्वारा इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और एक ही गांव में रहने वाले अन्य समुदायों से अपने पड़ोसियों सहित महिलाओं के बीच विश्वास पैदा करना है।

सहायता का स्वरूप

नेतृत्व विकास प्रशिक्षण योजना चयनित संगठनों के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। संगठन को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी दरें प्रशिक्षण संस्थान की ओर से वसूले जा रहे शुल्क, उनके क्षेत्र और संचालन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। प्रति बैच के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 25 अधिकतम महिलाएं होनी चाहिए।

आवेदन कौन कर सकते हैं

अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित सभी अल्पसंख्यकों समुदाय, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी (पारसी) आदि शामिल हैं, की महिलाएँ।

पंचायतीराज संस्थानों के अंतर्गत किसी भी समुदाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआरएस) को प्रशिक्षु के रूप में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक संगठन के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, और उपायुक्त के कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता है।

संबंधित योजनाएँ

अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नालंदा परियोजना।

विवरण

यह परियोजना संकाय सदस्यों के लिए उत्कृष्टता और वृद्धि प्राप्त करने के नए तरीके सीखने के अवसर की एक पहल है। यह अध्ययन और विकास के बारे में प्रक्रिया को समझने की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। संकाय विकास में विकास शिक्षा, गठजोड़, संसाधन और समर्थन शामिल है। उन संकायों के लिए, जो पेशेवर विकास अनुभव लाभ में व्यस्त हैं, चाहे वह बढ़े हुए महत्व, सूचित अध्यापन कला, अध्यापन के नवाचार, और विद्वत्तापूर्ण ढंग से अध्यापन ही क्यों ना हो।

नालंदा परियोजना विश्व प्रसिद्ध एक प्रमुख अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से संचालित की जा रही है।

सहायता का स्वरूप

बदलते शैक्षिक माहौल में उत्कृष्टता तक पहुँचने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किये जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण मुहैया किया जाएगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में शामिल संकाय।

आवेदन कैसे करें

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आवेदन प्रदान कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नोडल स्टाफ कॉलेज है।

संबंधित योजनाएँ

अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए - सीखो और कमाओ (लर्न एंड एंड अर्न) योजना

विवरण

इस योजना के उद्देश्य हैं:

- उपलब्ध बाजार शृंखलाओं के साथ अपने परंपरागत कौशल को अद्यतन करने, अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका, बेरोज़गारी की दर को कम करना और उत्पन्न करना।

- मौजूदा श्रमिकों के रोजगार, स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को बेहतर बनाने और उनके स्थान सुनिश्चित करना।

सहायता का स्वरूप

यह एक 100% केन्द्रीय सरकार की योजना है, और सीधे पैनल में शामिल पात्र संगठनों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।

निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं की पूरी लागत मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

परियोजना लागत की 5% की प्रोत्साहन राशि सफलतापूर्वक नियुक्तियों सहित मुलाकात की सभी शर्तों के साथ समय में इस परियोजना को पूरा करने वाले पीआईए को देय होगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं

जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके, कक्षा -5 की न्यूनतम योग्यता के साथ उम्र के 14-35 वर्ष के बीच है।

आवेदन कैसे करें

यह योजना परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईएएस) के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाएगी। पीआईए कोई भी निजी मान्यता प्राप्त / पंजीकृत संस्था (जिसका कम से कम पिछले तीन साल के लिए इस तरह के कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का संचालन) हो सकती है। अथवा उद्योगों या किसी भी उद्योग, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पीआईए को आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

विकास का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

विवरण

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के आधारभूत सर्वेक्षण/ सर्वेक्षण निगरानी/ समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के अध्ययन सहित अनुसंधान/ अध्ययन पर होने

वाले खर्च, देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम सहित मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत, विशेष अल्पसंख्यक जिलों/ ब्लॉक/ कस्बों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्यक्ष प्रासंगिकता के विषयों पर आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों पर होने वाला खर्च, चाहे वह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हो, अथवा संस्थानों / संगठनों द्वारा शामिल किया जाता है।

इसका लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव समाचार पत्रों अथवा मंत्रालय की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर आमंत्रित किये जा सकते हैं, या फिर सीधे सरकार के अनुसंधान संस्थानों/परिषदों/संगठनों अथवा मंत्रालय की ओर से सीधे तौर पर प्रस्तावित/ प्रायोजित किये जा सकते हैं।

सहायता का स्वरूप

अध्ययनों / सर्वेक्षणों के मामले में पेशेवर शुल्क तीन किशतों में जारी किया जाएगा; पहली किशत - 50% , दूसरी किशत - प्रगति रिपोर्ट और खर्च का विवरण प्राप्त होने के बाद 40% और तीसरी तथा अंतिम किशत 10% अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

आधारभूत सर्वेक्षणों / सर्वेक्षणों के मामले में स्वीकृत राशि में से 90% राशि पहली किशत के रूप में जारी की जा सकती है। अध्ययन के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों को पारिश्रमिक के साथ ही यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता आदि के भुगतान के लिए संबंधित संस्थान संगठन के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा।

आवेदन कौन कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं और संगठनों की श्रेणियाँ पेशेवर शुल्क के लिए पात्र हैं :

- सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद/ संस्थाएँ/ संगठन।
- अल्पसंख्यक क्षेत्र में कार्यरत संगठन।

- स्वायत्त विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त और महत्व वाले संस्थानों के साथ अन्य विश्वविद्यालय।
- स्वायत्त निकाय।
- अल्पसंख्यक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत निकाय।
- प्रतिष्ठित निजी माध्यम एजेंसी।

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय में आवेदन करे।



पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सामूहिक प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपीएस)

मंत्रालय ने हाल ही में देश में सामूहिक प्रवाह वाले उपचार संयंत्रों (ट्रीटमेंट प्लांटों) की स्थापना के लिए लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की है। लघु उद्योग दूषित पानी का बहाव कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, परंतु इनमें से कुछ प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उपकरणों की स्थापना करने में असमर्थ हैं। सीईटीपी के लिए नयी तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान एसएसआई क्लस्टर इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना तैयार की है।

प्रॉजेक्ट को सहायता उसकी प्राथमिकता के आधार पर दी जायेगी:

- प्रदूषण की विषाक्तता
- प्रदूषण का सृजन दबाव और उस पर आवश्यक प्रक्रिया और
- दायरे में लायी गई इकाइयों की संख्या

इस योजना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सुझाव होना आवश्यक है।

सहायता का प्रकार

वित्तीय सहायता का प्रकार:

- राज्य की रियायत : परियोजना लागत का 25%
- केन्द्र की रियायत : परियोजना की लागत का 25%
- उद्यमियों का योगदान 20%
- वित्तीय संस्थानों से ऋण 30%

आवेदन कैसे कर सकते हैं

औद्योगिक सम्पदा या एसएसआई इकाइयों के क्लस्टर को सीईटीपी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। केन्द्रीय सहायता केवल एसएसआई के क्लस्टरों को ही प्राप्त होगी।

कैसे आवेदन करें

निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण संभाग मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एनएईबी द्वारा सहायता के रूप में अनुदान

विवरण

लोगों के प्रतिभागिता को प्रोत्साहित और पोषित करने के लिए नेशनल एफोरेस्ट्रेशन एंड इको-डेवलेपमेंट बोर्ड (एनएईबी) का गठन कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। इस कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/जेएफएमसी/स्थानीय निकाय से परामर्श के बाद किया जाता है।

सहायता के प्रकार

वन क्षेत्र के विकास, वृक्षारोपन और इको-विकास गतिविधियों के लिए एनजीओ/स्वयंसेवी एजेंसियों (वीए) को केन्द्र क्षेत्र (100%) निधि का अनुदान इस योजना के अंतर्गत प्रदान करता है।

नर्सरी के लिए 1.40 रुपये प्रति जीवित पौधे के हिसाब से जिसमें 20% अतिरिक्त कैजुअलटी रिप्लेसमेंट भी शामिल है की सहायता दी जाती है।

तीन वर्ष तक के लिए वृक्षारोपन और रखरखाव के लिए प्रति हेक्टर सीमित 9,120 रुपये तक सहायता दी जाएगी।

नर्सरी, वृक्षारोपन और मिट्टी व नमी में बदलाव की परियोजना लागत दी जाने वाली आवश्यक प्रशासनिक लागत के 10% से अधिक नहीं होगी।

आवेदन कौन कर सकते हैं

पंजीकृत अलाभकारी संगठन; पंजीकृत सोसाइटी, सहकारी, कम्पनियाँ, न्यास; मान्यता प्राप्त स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिनके पास सुविधाएं, स्रोत, अनुभव और प्रस्तावित परियोजना की सफल अमलावरी के लिए कार्मिक हों।

आवेदन कैसे करें

प्रस्तावित परियोजना को निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंधित वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक को भेजे जा सकते हैं।

प्रस्ताव की मंजूरी और वित्तीय सहायता संबंधित अनुदान की राशि का आबंटन, प्रस्ताव की मज़बूती, पूर्व मूल्यांकन, एजेंसी की क्षमता, क्षेत्रीय वितरण और राज्य वन विभाग और बोर्ड द्वारा दी गयी प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

कचरा न्यूनीकरण एवं स्वच्छ तकनीकी

औद्योगिक प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कचरे को कम करने की प्रणाली काफी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को स्वच्छ उत्पादन की प्रक्रिया अपनाने में सहायता करती है। अनुदान की सहायता के अधीन सुरक्षात्मक नीतियों के द्वारा औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, लघु उद्योग में मलबे को कम करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एवं अन्य एजेंसियों द्वारा घटकों को लागू किया है।

स्वच्छ तकनीक योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. स्वच्छ तकनीकी के लिए कार्यक्रम को विकसित कर प्रोत्साहित करना।
2. प्रदूषण संरक्षण के लिए टूल्स और तकनीक विकसित करना।
3. ससत विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना।
4. लघु स्तर उद्योगों में प्रदूषण बचाव

स्वच्छ तकनीक/ तकनीकें, कचरे को कम करने से संबंधित क्षेत्र के विशेष मैनुयल्य, लघु स्तर उद्योगों के विशेष क्लस्टरों में कचरे कम करने की घुरी, लघु स्तर उद्योगों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम और कचरे को कम करने और चयनित सेक्टर में अध्ययन के प्रदर्शन से संबंधित गतिविधियों को पहले ही सिद्ध किया जा चुका है।

सहायता का प्रकार पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को अनुदान/
सहायता दी जायेगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं एनजीओ, सोसाइटी, सहकारी और शोध संस्थान

आवेदन कैसे करें निदेशक (सीपी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली-
110003 को आवेदन करें।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

शिक्षता प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना

- इस योजना में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारक (तकनीशियन) और 10,000 औद्योगिक संस्थापना/ संगठनों से 10+2 व्यवसायिक पाठ्यक्रम पास को अभ्यासिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
- इसका मूल उद्देश्य फ्रेश स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारक (तकनीशियन) और 10+2 व्यवसायिक पाठ्यक्रम पास विद्यार्थियों को अभ्यासिक प्रशिक्षण प्राप्त करवा कर बीच की दूरी को पाटना है। इसमें उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सही नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकें।

प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। इस योजना को मुम्बई, कानपुर, चेन्नई और कोलकत्ता स्थित चार क्षेत्रीय एप्रेंटिसशीप/अभ्यासिक बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) द्वारा लागू किया गया है, जिसकी पूर्ण निधि स्वायत्त संगठनों द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है।

सहायता के प्रकार

प्रशिक्षणकर्ता को मासिक स्टाइफंड का भुगतान केन्द्र सरकार और नियोक्ता द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर किया जायेगा। इंजीनियरिंग स्नातक, तकनीशियन और 10+2 वोकेशनल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए विद्यमान में प्रतिमाह दिया जाने वाला स्टाइफंड क्रमशः 3,560 रु, 2,530 रु और 1,970 रुपये है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

स्नातक इंजीनियर, डिप्लोमा धारक (तकनीशियन) और 10+2 वोकेशनल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले

आवेदन कैसे करें

बीओएटी-मुम्बई, बीओएटी-कानपुर, बीओएटी-चेन्नई या बीओपीटी-कोलकाता

संबंधित योजनाएँ

विवरण

प्रौद्योगिकी विकास अभियान

टीडीएम को सभी आईआईटी और आईआईसी में आरंभ किया गया है, ताकि प्रतिभागी उद्योग की प्रत्यक्ष भागीकारी से तकनीकी विकास कर राष्ट्र स्तर पर मजबूती प्रदान की जा सके।

इस मिशन का प्रमुख अवधारणा उद्योग-संस्थान के साथ परिचर्चा के साथ-साथ उद्योग में आधुनिक तकनीक के विकास में सहायता प्रदान कर सके।

सहायता के प्रकार

इस मिशन की निधि के क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- इस परियोजना में एमएचआरडी निधि 50 करोड़ रुपये
- प्रतिभागी उद्योग का उपकरण, कम्पोनेंट, मानवश्रम और हार्डवेयर आदि में 15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान 9 करोड़ रुपये

आवेदन कौन कर सकते हैं

सभी आईआईटी और आईआईएससी

आवेदन कैसे करें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवेदन करें।



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

आयुष क्लस्टरों का विकास

आयुष अर्थात (आर्युवेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी) उद्योग भारत की पारम्परिक औषधि पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है और यह भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है। यह योजना आयुष विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी और यह सहयोग आयुष क्षेत्र के उद्यमियों के समूह द्वारा गठित स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीवी) को निधि के रूप में दिया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में खास तौर पर क्लस्टर आधारित पहुँच बनाकर मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण, उत्पादकता, विपणन, आधारभूत संरचना तथा क्षमता निर्माण सं संबंधित गंभीर कमियों की पूर्ति करना है। इसके अलावा खास तौर पर पारम्परिक आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी तथा होमियोपैथी औषधियों के लिए एवं इस क्षेत्र में सामूहिक पहलों की निरंतरता के लिए सामाजिक पूँजी का सृजन कर इस क्षेत्र में संगठन का स्तर बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

सहायता का प्रकार

इस योजना में दो प्रकार के कार्य शामिल हैं जैसे कोर इंटरवेंशन और एड ऑन इंटरवेंशन

- 1) कोर इंटरवेंशन में जांच, प्रमाणितकरण, मानकता, गुणवत्ता नियंत्रण और क्षमता विकास के आंकलन आदि से संबंधित सामान्य सुविधाएँ को स्थापित करना
- 2) एड ऑन इंटरवेंशन में विपणन/ब्रांडिंग, उत्पादन इकाईयों को सहयोग देने के लिए सामान्य संसाधन के प्रावधान से संबंधित कार्य किये जाते हैं।

सहायता राशि को प्रॉजेक्ट की लगत के 60 % तक सीमित किया गया है जिसकी राशि अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये तक होगी। एसपीवी को बाकि की 40 % आवश्यक राशि इक्कीटी, बैंक/ वित्तीय संस्थान या अन्य स्रोत से व्यवस्थित करना होगा। आयुष विभाग से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का उपयोग केवल विद्यमान संसाधन, सिविल कार्य, भवन निर्माण, प्लॉट एवं मशीनरी और उपकरण के लिए होगा। बाकि के खर्च जैसे एसपीवी की भूमि की खरीद, क्लस्टर विकास कार्यकारी का वेतन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में संयुक्त भागीदारी, विदेशों में व्यापारिक दौरा और ब्रांड विकास कार्य के खर्च एसपीवी को ही वहन करने होंगे।

कौन आवेदन कर सकते हैं इस योजना के निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यमान क्लस्टर के कम से कम 15 उद्यमियों को एसपीवी बनाना होगा। 15 प्रतिभागी इकाईयों में से कम से कम 75 % के पास निर्माण इकाई होनी चाहिए। इनमें से 5 प्रतिभागी इकाईयों का वार्षिक कुल व्यापार कम से कम 20 लाख रुपये हो और बाकि के 5 प्रतिभागी इकाईयों का कुल वार्षिक 50 लाख रुपये का हो, ताकि क्लस्टर में भागीदारी परिलक्षित हो सके।

आवेदन कैसे करें

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित फार्मेट में आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

आयुष में अतिरिक्त म्यूरल रिसर्च

इस योजना का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, प्रेक्टीशनरों, उद्योगों तथा आम लोगों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने के लिए आयुष प्रणाली की वैज्ञानिक आधार पर छँटाई के अवसरों का विकास करना है। इस योजना के नतीजे के तौर पर आयुष की

संभावनाओं का उपयोग जन-स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करने के लिए किये जाने की संभावना है। इस प्रकार तैयार किये जाने वाले प्रमाण आयुष के न्यायसंगत उपयोग का प्रचार करने तथा उसके चिकित्सकीय अनुप्रयोग के अलावा उसे मुख्य धारा में लाने के लिए मददगार साबित होंगे। यह योजना चिकित्सकीय, मूलभूत, भेषज, ग्रंथालय एवं औषधी पौधों से संबंधित अनुसंधान अतिरिक्त म्यूरल मोड में करने के भी व्यापक अवसर मुहैया करेगी।

सहायता के प्रकार

आयुष मंत्रालय द्वारा 70 लाख रुपये तक की राशि वाले परियोजना के लिए कर्मचारी, उपकरण और आकस्मिक निधि (आवर्ती और गैर आवर्ती) में सहयोग दिया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं चिकित्सा, वैज्ञानिक और शोध व विकास संस्थान, विश्वविद्यालय/ सरकारी और निजी क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त संस्थान। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के साथ जीएमपी से युक्त आयुष औषधि उद्योग।

आवेदन कैसे करें

आयुष मंत्रालय की ओर से वर्ष में दो बार राष्ट्रीय डायरियों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किये जाएँगे। ऐसे विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट एवं अनुसंधान परिषदों की वेबसाइटों के साथ ही मंत्रालय की अनुसंधान पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएँगे।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

जन स्वास्थ्य पहलों में आयुष हस्तक्षेप संवर्धन

उन्नत स्वास्थ्य उपचार प्रणाली में आयुष के प्रेक्टिशरों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग, नगर, उप-नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया जा सका। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या जैसे पोषक तत्वों की कमी, संक्रमण और वेक्टरबोर्न बीमारी आदि में आयुष की शक्ति के प्रति जागरूकता से जन स्वास्थ्य के लिए कई संभावनाएं पैदा की

है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी/गैर सरकारी संगठनों को आयुष की मध्यस्ता कर उसके महत्व को सिद्ध कर जनसंख्या के स्वास्थ्य को उन्नत करने जैसे दवाईयों का वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आदि के आयोजन के लिए निधि का अनुदान देना है।

सहायता का स्वरूप

कुल आबंटित राशि को 40 %, 40 % और 20 % की तीन किश्तों में जारी किया जाएगा।

इस योजना के अधीन प्राप्त होने वाले अनुदान को निम्नलिखित तौर पर उपयोग किया जाएगा:

- 1) कुल अनुदान में से 25% से कम निधि का उपयोग स्थापना/परियोजना प्रबंधन पर खर्च केलिए किया जा सकेगा।
- 2) कुल अनुदान में से 50% से कम राशि दवाईयों पर खर्च की जा सकेगी।
- 3) कुल अनुदान में से शेष 25 % राशि आयुष के बारे में जागरूकता तथा परियोजना के लिए छोटे उपकरणों आदि के लिए खर्च की जा सकेगी।

इस योजना की कार्यान्वयन जिला / खंड / तालुके को केवल आयुष की मध्यस्ता की भूमिका के लिए एक इकाई के रूप में उपयोग कर निम्नलिखित पद्धति से लागू की जाएगी:

- 1) निजी और सरकारी संगठनों दोनों से संबंधित नये प्रस्तावों के लिए सहयोग प्रदान करना।
- 2) जन स्वास्थ्य के लिए आयुष की मध्यस्ता को प्रोन्नत करना।
- 3) संस्थानों और विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों दोनों में योग्य प्रेक्टिशरों को प्रोत्साहित करना।

कौन आवेदन कर सकते हैं जन स्वास्थ्य से संबंधित राज्य/यूटी के स्वास्थ्य/आयुष निदेशालय, सरकारी संस्थान (महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)। अलाभकारी/स्वयंसेवी संगठन जो कम से कम पांच वर्ष से जन स्वास्थ्य के कार्य से जुड़े हों।

आवेदन कैसे करें

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन वेबसाइट www.indainmedicine.nic.in पर उपलब्ध है। योग्य संगठन अपने पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तावित फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं।

राज्य के आवेदनकर्ता संगठन से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित आवेदन को राज्य सरकार 60 दिनों के भीतर प्रस्तावित फॉर्मेट में भेजेगी। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर इसका मतलब यह होगा की राज्य सरकार को आवेदनकर्ता संगठन के खिलाफ कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी है।

संबंधित योजनाएँ

आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) का उन्नयन

विवरण

आयुष औषधि प्रणाली को अधिक प्रसिद्धि दिलवाने और इस प्रणाली को स्वास्थ्य उपचार के तौर पर अधिक से अधिक उपयोग करने के संबंध में अभी सामान्य जनता में जागरूकता की बहुत कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को लागू किया गया है।

इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा:

- 1) प्रभावी आयुष प्रणाली के प्रति जागरूकता लाने, इसकी प्रभावी उपयोग और उपलब्ध औषधि के बारे में घर बैठे विभिन्न चैनलों जैसे श्रव्य दृश्य शिक्षण

सामग्री को प्रसारित कर सामान्य बीमारियों का उपचार कर सभी को स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना।

- 2) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आयुष प्रणाली के शोध और विकास कार्य के परिणामों को सिद्ध कर प्रमाणित करना।
- 3) आयुष प्रणाली के साझेदारों (स्टेकहोल्डरों) को सम्मेलनों, संगोष्ठियों और मेलों के माध्यम से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाना।

सहायता का स्वरूप

योग्य संगठनों को प्रस्तावित फार्मेट में पूर्ण जानकारी के साथ परियोजना प्रोत्साहन समिति के विभाग के विचारार्थ और अनुमति के लिए अग्रिम तौर पर भेजना होगा। अनुदान की राशि मेले में भाग लेने के लिए आने वाले खर्च के 50% तक सीमित होगी, जो अधिकतम 1,00,000 रुपये तक देय होगी। अनुदान पुर्नभुगतान के आधार पर जारी किया जाएगा। यहाँ प्रतिभागिता लागत का मतलब स्थल का किराया, फैब्रिकेशन, किराये पर लिये जाने वाले मानवश्रम और परिवहन आदि खर्च शामिल हैं।

आयुष उद्योग को सरकारी संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आरोग्य और अन्य फेयर/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं

दवाई निर्माता, उद्यमी, आयुष, संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि, सरकारी निकाय।

आवेदन कैसे करें

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित फार्मेट में आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता के प्रकार

आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार

पारम्परिक औषधि की ग्लोबल स्तर पर बढ़ती माँग को देखते हुए आयुष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ पारम्परिक औषधि प्रणाली के विकास के लिए संबंधित सूचना और सामूहिक साझेदारी के आदान प्रदान का क्षेत्र व्यापक हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी, व्यापारिक फेयर आदि के लिए भारतीय विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए हमेशा निमंत्रण प्राप्त हो रहे हैं। इस परिवेश में आयुष को विभिन्न देशों में प्रोत्साहित करने के लिए देश को नेत्रत्व करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

इसके निम्नलिखित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं:

- 1) विशेषज्ञ और अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान-प्रदान
- 2) आयुष के अंतर्राष्ट्रीय तक प्रचारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, व्यापारिक फेयर, रोड शो आदि में भाग लेने और विभिन्न देशों में आयुष उत्पाद का निर्यात करने के लिए पंजीकरण करवाने हेतु औषधि निर्माता, उद्यमी, आयुष संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- 3) आयुष सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना
- 4) आयुष साहित्य/पुस्तकों का विदेशी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन

प्रत्येक उद्योग की हवाई यात्रा (एकोनामी क्लास), बोर्डिंग और लॉडजिंग और उत्पाद प्रदर्शन की व्यवस्था, उद्यमियों, उद्योग के लिए स्टाल का किराये आदि के खर्च की 75 % की राशि या अधिकतम 2 लाख रुपये (जो भी कम हो) का पुर्नभुगतान किया जाता है।

आयुष से संबंधित वैज्ञानिक शोध पत्र को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि में प्रस्तुत करना। आयुष विभाग की पूर्व अनुमति के बाद हवाई यात्रा, खान-पान और आवास सुविधा और प्रतिनिधि/पंजीकरण शुल्क आदि के खर्चों के प्रमाण के साथ आवेदन करने पर कुल खर्च की 90 % राशि और अधिकतम 2 लाख रुपये (जो कोई भी कम हो) का पुर्नभुगतान किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकते हैं दवाई निर्माता, उद्यमी, आयुष संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि, सरकारी निकाय।

आवेदन कैसे करें आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें।



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता की प्रकृति

आवेदन कौन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता की प्रकृति

आवेदन कौन कर सकते हैं

संचित निधि योजना (सीएफएस)

इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) का लाभ उठाने के वितरकों के लिए भूमि और संबंधित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की वसूली फिर से भरना के आधार पर प्रति पर परिभाषित लाइसेंस शुल्क के भुगतान के माध्यम से किया गया था।

वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएगी, वहीं तेल विपणन कंपनियों को ऋण प्रावधान सुविधा मुहैया की जा सकती है। तेल विपणन कंपनियाँ वितरकों को कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध करेंगी। कार्यशील पूंजी के साथ ब्याज की वसूली वितरण की ज़िम्मेदारी के निर्वहन से 13वें महीने से 100 किशतों के ज़रिए से की जाएगी।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक।

निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करें।

केरोसीन मुक्त दिल्ली योजना

इस योजना के अंतर्गत सिलेंडर तथा प्रेशर रेग्युलेटर की सुरक्षा जमा की 50% राशि का वहन तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से किया जाएगा।

शेष 50% राशि का भार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की ओर से वहन किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार उन्हें रबर पाइप और हॉट प्लेट की सहायता भी प्रदान करती है। 100% सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) से संबंधित लोग / अंतोदय अन्न योजना (एवाई) कार्ड धारकों के लिए।

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय के माध्यम से आवेदन करें।

संबंधित योजनाएँ

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी)

विवरण

यह योजना कम संभावना वाले/ ग्रामीण क्षेत्र में रसोई गैस की स्वीकृति बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

आरजीजीएलवी योजना के अंतर्गत सेवाएँ उन ग्राम समूहों / क्लस्टर क्षेत्रों में शुरू की जाएँगी, जिनमें प्रति माह 14.2 किलो ग्राम के कम से कम औसतन 600 सिलेंडरों की बिक्री (रिफिल सेल) क्षमता और 1800 ग्राहकों पर प्रति व्यक्ति 5 किलो ग्राम की औसत से गैस की खपत हो सकती हो। इसका संचालन प्रोपराइटर को अपने एक कर्मचारी के सहयोग से करना होगा।

सहायता की प्रकृति

उपभोक्ताओं को एलपीजी रसोई गैस (द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर (14.2 किलो रिफिल) बिना कोई छूट के साथ, नकद आधार पर मुहैया किये जाएँगे।

न्यूनतम बचत/ निवेश 2 लाख रुपए (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित वितरकों के लिए लागू नहीं)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित स्थानों पर आरजीजीएलवी के लिए चयनित उम्मीदवारों को संबंधित तेल विपणन कंपनी की ओर से गोदाम निर्माण / अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

बीपीएल कार्ड धारकों को नया एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए एक बारगी वित्तीय सहायता के रूप में सुरक्षा जमा माफ करने के साथ प्रेशर रेग्युलेटर निःशुल्क रूप से मुहैया किया जाता है।

आवेदन कौन कर सकते हैं शिक्षा योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम आयु 21 वर्ष।

आरजीजीएलवी का आरंभिक कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा और तत्पश्चात हर 5 साल बाद उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा

आवेदन कैसे करें

इस बारे में सूचना / निमंत्रण क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद, पंचायत समिति के अध्यक्ष, सरपंच, राजस्व अधिकारियों, आदि को दी जाती है।

वितरकों का चयन जिस क्षेत्र में आरजीजीएलवी का संचालन करना हो, उस क्षेत्र के दो सर्वाधिक वितरण वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित कर किया जाएगा। इन समाचार पत्रों में से एक राज्य स्तर पर तथा दूसरा जिला स्तर पर सर्वाधिक वितरण वाला होगा।



खान मंत्रालय की योजनाएँ खनन



संबंधित योजनाएँ

निर्माण सामग्री के खनन (गौण खनिज) के लिए खनन योजना

विवरण

इस योजना निर्माण सामग्री से संबंधित गौण खनिजों, जो फरीदाबाद जिले की अरावली (पलवल सहित) पर्वतमालाओं से लेकर गुड़गांव जिले (मेवात सहित) में पाये जाते हैं, के खनन के लिए लागू है।

हर एक खनन खंड / आकार का निर्धारण एक मोटे नज़रिये के साथ किया जाएगा, जिसमें

- 1) संबंधित क्षेत्र इतना छोटा ना हो कि उसमें वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीके से खनन कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े।
- 2) वह इतना बड़ा भी ना हो कि बाज़ार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करें।

अनुदान की मूल अवधि की समाप्ति के बाद मौजूदा पट्टे/ अनुबंध के विस्तार नहीं होगा।

सहायता की प्रकृति

पट्टे की अनुदान अवधि/अनुबंध 7-10 साल तक हो सकती है।

वित्तीय सहायता 'अरावली पुनर्वास कोष' (एआरएफ) से मुहैया कराई जाएगी।

एआरएफ की स्थापना हरियाणा में अरावली पर्वतमालाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक ऐसी सभी योजनाओं के वित्त पोषण के नज़रिये से की गई है।

आवेदन कौन कर सकते हैं

फर्म / इंडस्ट्रियल संघ / कंपनियों बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

विभाग इस तरह की नीलामी के लिए कम से कम 7 दिनों का स्पष्ट सार्वजनिक विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी करता है, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में दिया जाता है।

इच्छुक संस्थान बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।



भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता योजना

विवरण

गतिविधियों की व्याख्यात्मक सूची निम्न प्रकार है –

1. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता;
2. सड़क सुरक्षा पर प्रचार अभियान;
3. चालकों को प्रशिक्षण देना
4. यातायात नियंत्रण पर अनुसंधान और विकास
5. प्रश्नोत्तरी, निबंध, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन
6. तेज गति, शराब पीकर वाहन ना चालाएँ, लेन अनुशासन का पालन करें, सड़क पर सतर्क रहे जैसे जैसे विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन करना।

जिन संगठनों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए चुना गया है, उन्हें अनुदान सहायता की पहली किश्त जारी होने से पूर्व एक बाँड भरकर देना होगा।

सहायता का स्वरूप

किसी भी परियोजना के लिए सहायता की राशि 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

अनुदान तीन चरणों में दिया जाएगा -50% राशि, परियोजना / योजना मंजूर होने के बाद, 25% राशि, कार्यक्रम पूरा होने के बाद छायाचित्रों के साथ वृत्त की प्रस्तुति पर और शेष 25% अंतिम कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद।

कौन आवेदन कर सकते हैं

सड़क सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों या क्षेत्र के कार्यक्रमों में संलग्न हुए गैर सरकारी संगठन/ राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों / स्वायत्त निकाय/ शैक्षिक संस्थाओं की ओर से आवेदन किये जा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

‘सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए अनुदान सहायता’ शीर्षक से युक्त आवेदन अवर सचिव, (सड़क सुरक्षा), परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, संसद मार्ग क्र. 1, नई दिल्ली - 110001 पते पर संबंधित परिवहन आयुक्त के ज़रिए भेजे जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना (एनएचएआरएसएस)

विवरण

इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को किलोमीटर की दूरी में दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों में संचालन के लिए एक एम्बुलेंस और एक क्रेन मुहैया की जाएगी। एम्बुलेन्स मुहैया करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीड़ित को आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रूप से नज़दीक स्थित अस्पताल तक पहुँचाने और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को घटना स्थल से तुरंत हटाकर सड़क पर उत्पन्न होने वाली यातायात बाधा खत्म करना है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन भी किराए पर समीपस्थ गैरेज तक पहुँचाया जा सकता है।

सहायता का स्वरूप

मात्र एक एम्बुलेन्स और एक क्रेन इकाई

कौन आवेदन कर सकते हैं

ऑटोमोबाइल उद्योग अथवा कम से कम पिछले तीन वर्षों से सड़क सुरक्षा फील्ड कार्यक्रम में कार्यरत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन/ स्वायत्त निकाय/ शिक्षा संस्थान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

संगठन का आर्थिक कारोबार 25 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए, जो संगठन जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से संबंधित संगठनों के लिए 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इस योजना के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

‘सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए अनुदान सहायता’ (एनएचएआरएसएस) के रूप में संकेत करने वाले सभी आवेदनों की दो प्रतियाँ , सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और अवर सचिव (सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को संबंधित परिवहन आयुक्त के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।



उपभोक्ता मामलों, खाद्यान्न एवं जनवितरण
प्रणाली मंत्रालय की योजनाएँ



संबंधित योजनाएँ

विवरण

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)

यह योजना भारत सरकार के उस समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत सभी को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की गई है ता कि अगले पाँच वर्षों में भारत को भूख मुक्त बनाया जा सके और जनवितरण प्रणाली में सुधार के साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों की सेवा के लिए उसे उन्नत बनाया जा सके।

इसके अलावा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटित खाद्यान्न उठाने और उसका वितरण करने, गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान करने, राशनकार्डों का वितरित करने और आवंटित खाद्यान्न का योग्य कार्ड धारकों को राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों के राशन दुकानों के माध्यम से वितरण करने की संचालनात्मक जिम्मेदारी का भी यह निर्वाह करती है।

सहायता का स्वरूप

फ्री।

कौन आवेदन कर सकता है

अन्त्योदय अन्न योजना खास तौर पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले अतिगरीब लोगों के लिए है।

कैसे आवेदन करें

यह योजना अति गरीब लोगों के लिए है, इसी कारण संबंधित व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से सम्पर्क करना चाहिए:

ग्रामीण इलाकों के लिए : ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति को एक कोरे कागज़ पर अपने परिवार सदस्यों के नाम, आय आदि विवरण के साथ आवेदन क्षेत्र के पंचायत प्रधान को सौंपना चाहिए।

ग्राम सभा यह तय करेगी कि आवेदक को योजना के

अंतर्गत लिया जा सकता है अथवा नहीं। परिवारों के चयन के बाद सूची को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से अनुमोदित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को प्रधान /डीएफएससी अथवा खाद्यान्न, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुमोदन के बाद राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

शहरी इलाकों में : शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिकारिक क्षेत्रीय समिति के पास कोरे कागज पर आवेदन करना होगा। परिवार के चयन के बाद संबंधित सूची को शहरी विकास विभाग की ओर से अनुमोदित किया जाएगा और संबंधित डीएफएससी / क्षेत्र के अधिकारिक निरीक्षक की ओर से कार्ड जारी किया जाएगा।

संबंधित योजना

विवरण

निजी उद्यमी गारंटी (पेग)

यह योजना निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भाण्डारण निगमों (एसडब्ल्यूसीएस) के माध्यम से भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्यान्न निगम (एफसीआई) निर्मित गोदामों को 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए लेना सुनिश्चित कर संबंधित निवेशक को उसके निवेश का बेहतर मुआवज़ा प्रदान करता है।

सभी गोदाम 25,000 मीट्रीक टन अथवा उससे अधिक क्षमता के होंगे, जिनमें रेलवे के समीप स्थित गोदामों को प्राथमिकता दी जाएगी और ये सभी गोदाम प्राथमिक तौर पर रेलवे गिड्स शेडों के 8 किलोमीटर के दायरे में बेहतर रेक रेलवे साइडिंग सुविधा से युक्त होंगे।

सहायता का स्वरूप

उद्यमी को समान परिसर में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का विकास करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें शीत गृहों के

साथ अन्य भंडारण सुविधा, खाद्यान्न प्रसंस्करण सुविधा आदि शामिल होगी ताकि संपत्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके। इस संपत्ति के उपयोग की अनुमति तब तक दी जाएगी, जब तक उन सुविधाओं का प्रभाव एफसीआई के भंडारण और संचालन पर नहीं होता। हालाँकि ऐसी अतिरिक्त सुविधा को गारंटी योजना में शामिल नहीं होगी और संबंधित उद्यमी को इन अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर देने के लिए सामान्य बाज़ार प्रवाह का उपयोग करना होगा।

कौन आवेदन कर सकता है किराए पर लिये जाने वाले गोदाम सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय भाण्डारण निगम) के मानकों के अनुसार होने चाहिए।

कैसे आवेदन करें एफसीआई की ओर से अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा।

विज्ञापन संबंधित राज्य में बड़े पैमाने पर वितरित होने वाले एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जाएगा।



रक्षा मंत्रालय की योजनाएँ



पुनः समायोजन महा निदेशालय (डीजीआर), पूर्व सैनिक विभाग के अधीन योजनाएं

संबंधित योजनाएं

पूर्व सैनिकों (ईएसएम) या विधवाओं को वर्ग-5 'बी' सेना के अतिरिक्त वाहनों का आबंटन

विवरण

पुनः समायोजन महा निदेशालय (डीजीआर) में पूर्व में पंजीकरण करवाने वाले आवेदकों को एजीओ की शाखा के द्वारा वाहन जारी किया जाता है।

सहायता का प्रकार

12 सीओडी/सीवीडी में से 42 प्रकार के वाहनों में से किसी एक को जारी करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी अधिसूचना के आधार पर नामित राशि के भुगतान की सुविधा चुनी जा सकती है।

क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण के पास पंजीकृत करवाकर वाहन को जारी करने के बाद सुरक्षा जमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यह कार्य वाहन को प्राप्त करने के 6 माह के भीतर किया जाता है, इसमें देरी किये जाने पर सुरक्षा जमा राशि सरकार को दे दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

ईएसएम और उन रक्षा कर्मियों की विधवाएं जो सेवा के दौरान मृत्यु का शिकार हुए, सह-कारी सोसाइटी का पूर्व सैनिक।

आवेदन कैसे करें

जीएसडब्ल्यूओ/डीएसडब्ल्यू (एस)/डीजीआर के लिए कार्य करने वाली इकाई के नियमों के अनुसार आवेदनकर्ता अपने इच्छुक वाहन के अनुसार सुरक्षा जमा राशि को आवेदन के साथ जमा कर सकता है।

आवेदन और हलफनामा वेबसाइट <http://www.dgrindia.com> से डाउनलोड किया जा सकता है।

संबंधित योजनाएँ

मदर डेयरी दूध बूथ और फल व सब्जियों (सफल) दुकानों का आबंटन

विवरण

मदर डेयरी इंडिया प्रा.लि. उपकरण युक्त पूर्ण रूप से तैयार की गयी दूध की दुकान, बूथ नायक से जेसीओ के रैंक वाले पूर्व सैनिकों को और सफल सब्जियों की दुकान ईएसएम एवं उनपर आश्रित बेटे को 1989 से उपलब्ध करवा रही है। यह योजना केवल एनसीआर यानि दिल्ली (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं केन्द्र पाँच जोन में विभाजित), गुडगांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोयडा में लागू की गयी है।

सहायता का प्रकार

दूध बूथ के कमिशन के तौर पर 11,000 रुपये की आय सुनिश्चित की जाती है। हालांकि सफल फल एवं सब्जियों के बूथ के लिए 15,000 रुपये (केवल आरंभिक 6 माह के लिए) उपलब्ध करवाये जाते हैं।

बूथ के आबंटन से पहले लाभार्थियों को मदर डेयरी द्वारा दो से चार सप्ताह तक का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

मदर डेयरी दूध की दुकान केवल पूर्व सैनिकों के लिए, जबकि फल और सब्जियों (सफल) की दुकानें ईएसएम एवं उन पर आश्रितों के लिए है।

कैसे आवेदन करें

सेवानिवृत्ति के 6 साल के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। उम्र 58 साल से अधिक नहीं और आश्रित बेटे की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ईएसएम को अपना पंजीकरण डीजीआर रोजगार निदेशालय के कार्यालय में करवाना होगा।

संबंधित योजनाएँ

एपीजी वितरक का 18 % कोटा के अंतर्गत नियमित आबंटन

विवरण

इस योजना के अंतर्गत योग्य आवेदनकर्ता को नियमित एलपीजी वितरक का आबंटन किया जाता है। इस योजना

के अधीन 18% कोटा रक्षा कार्मिकों को 'जीपी' वर्ग में आबंटित किया जाता है। इस 'जीपी' वर्ग में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीयूसी कार्मिक और रक्षा कार्मिक शामिल हैं।

सहायता का प्रकार ठेके की अवधि तीन वर्ष की होती है। प्रति माह निर्धारित पुरस्कार 23,000 से 25,000 रुपये दिया जाता है। 250 किलो लिटर से अधिक तेल उत्पाद की बिक्री पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू कर्मचारी एवं रक्षा कर्मी, इसके अतिरिक्त इस योजना में ईएसएम/विधवा/आश्रितों के निम्नलिखित शामिल हैं:

क) युद्ध में मारे गये कर्मी की विधवा/आश्रित

ब) सेवा के दौरान युद्ध में पीड़ित/विकलांग

कैसे आवेदन करें तेल कम्पनी सम्मिलित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन देंगी। योग्य ईएसएम/विधवा/आश्रित को योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डीजीआर से सम्पर्क करना होगा और आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र संबंधित तेल कम्पनी में जमा करने होंगे। ईएसएम को डीजीआर रोजगार निदेशालय में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

संबंधित योजनाएँ

कोयले का लदान और परिवहन

विवरण

इस योजना को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच अप्रैल 1999 को हुए समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आरंभ किया गया। पूर्व सैनिक के कोयले की ढुलाई और परिवहन कम्पनी के लिए परिचालन के लिए डीजीआर ने नीति और नियम तैयार किये। ईएसएम कम्पनी को 35 लाख रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ कार्य आरंभ करना होगा और कम्पनी के निदेशक के बीच

अंश का अनुपात समान होगा। ईएसएम कम्पनी में विशेष वर्ग में कुल कर्मचारियों में ईएसएम कर्मचारी की संख्या 75% होगी।

सहायता का स्वरूप

आरंभित तौर पर प्रायोजक की कार्यावधि पाँच वर्ष की होगी और ईएसएम कम्पनी की कार्य क्षमता संतोषजनक होने पर इसे अगले चार वर्ष तक और विस्तारित किया जा सकता है। डीजीआर की पूर्ण प्रायोजित को कोयल की रियायत को देखना होगा और ईएसएम कम्पनी को व्यापारिक वेंचर के लिए कोयले की ढुलाई और परिवहन का कार्य करना होगा।

कौन आवेदन कर सकते हैं पूर्व सैनिक

आवेदन कैसे करें

कोयला सहायकों से मांग के आवेदन प्राप्त होने के साथ ही सबसे पहले करने की इच्छुक योग्य वरिष्ठ ईएसएम (ओ) के पंच को ऑफर दिया जाएगा और दो ईएसएम (ओ) का चयन कर कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन ईएसएम कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा। वे बाद में संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। ईएसएम को डीजीआर रोजगार निदेशालय में पंजीकरण करवाना होगा।

संबंधित योजनाएँ

कोयला टिप्पर एटेचमेंट

विवरण

विधवा/विकलांग सिपाही की कल्याणकारी योजनाओं को ईएसएम कोयला ढुलाई और परिवहन योजना से जोड़ा गया है।

सहायता का प्रकार

योग्य उम्मीदवार इस योजना का लाभ पाँच साल तक ले सकते हैं और उनको ईएसएम कोयला ढुलाई और परिवहन कम्पनी के पास 85,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी, जिसका पुनः भुगतान मासिक तौर पर 3,000 रुपये के हिसाब से यानि मूल राशि का लगभग 42% का वार्षिक भुगतान के तौर पर किया जाएगा। समायावधि के पश्चात मूल राशि लौटा दी जाएगी।

कौन आवेदन कर सकते हैं भूतपूर्व सैनिक

आवेदन कैसे करें

पूर्व सैनिक कोयला दुलाई और परिवहन कम्पनी और विधवा/विकलांग पूर्व सैनिक/आश्रितों के बीच कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह योजना आरंभित तौर पर पाँच वर्ष के लिए रहेगी। समय पूर्ण होने पर ईएसएम कम्पनी मूल राशि को रिफंड कर देंगे। ईएसएम को डीजीआर रोजगार निदेशालय में पंजीकरण करवाना होगा।

संबंधित योजनाएँ

गोपालजी डेयरी दूध बूथ/दूध दुकान/ रिटेल आउटलेट

विवरण

गोपालजी डेयरी फूड्स प्रा.लि. (जीडीएफपीएल) द्वारा पूर्व सैनिकों को पूर्ण उपकरणों से लेस दूध दुकान/बूथ/ रिटेल आउटलेट को आरंभिक तौर पर दिल्ली/एनसीआर से उपलब्ध करवायेगा।

सहायता का प्रकार

चयनीत लाभार्थी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा और ईएसएम को प्रति माह कम से कम 20,000 रुपये की आय (एमजी) की गारंटी दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

मदर डेयरी में पंजीकृत योग्य ईएसएम और जो अभी तक साक्षात्कार दे रहे हैं वे मदर डेयरी योजना से अपना नाम वापस लेकर इस योजना का चयन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

योग्यता प्रमाण और फॉर्म www.dgrindia.com वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

जेसीओ/ओआर के लिए गोपालजी फार्म फ्रेश

विवरण

पूर्ण उपकरणों से लेस दुकानों को फरिदाबाद और दिल्ली में आरंभ करने के लिए पूर्व सैनिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है।

सहायता का प्रकार चयनीत लाभार्थियों को गोपालजी फार्म फ्रेश द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोपालजी फार्म फ्रेश प्रति माह 25,000 रुपये की न्यूनतम आय (एमजी) की गारंटी उपलब्ध करवाता है

कौन आवेदन कर सकते हैं गोपालजी फार्म फ्रेश के लिए चयन पर सुरक्षा जमा राशि (समाप्ति पर लौटाने योग्य) 2,00,000 रुपये का भुगतान करना आवश्यक।

मदर डेयरी/जीडीएफपीएल में पंजीकृत योग्य पूर्व सैनिक और जिनका अभी साक्षात्कार होना है, वे मदर डेयरी योजना/जीडीएफपीएल से अपना पंजीकरण खत्म कर इस योजना का चयन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें योग्यता प्रमाण और फॉर्म www.dgrindia.com वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संबंधित योजनाएँ

एनसीआर में सीएनजी स्टेशन प्रबंधन

विवरण

यह योजना वर्तमान में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अधीन कम्पनी के स्वामित्व वाले, कम्पनी द्वारा संचालित (कोको) के नाम से केवल एनसीआर, जिसमें नोयडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गुड़गाँव शामिल हैं में चलायी जा रही है।

सहायता के प्रकार

अधिकारी को प्रतिमाह 45,000 (लगभग) या स्टाफ को दिये जाने वाले वेतन का 15% (आईजीएल द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार) जो कोई भी ज्यादा हो, वही दिया जाता है। साथ ही वर्ष में 2000 रुपये का वेतनमान दिया जाता है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

डीजीआर में पंजीकृत सेवानिवृत्त रक्षा सेवा अधिकारी (श्रेणी 1) (ईएसएम-0) और आईजीएल द्वारा प्रायोजित सीएनजी योजना के पंच की मांगी गयी माँग पर 1:2 अनुपात में एक बार पंजीकृत होन पर ईएसएम 60 वर्ष की उम्र तक या सीएनजी स्टेशन के आबंटन तक जो कोई भी

पूर्ण हो उसमें सक्रिय रूप से सूचीबद्ध रहेंगे। पूर्व सैनिक को एक ही बार प्रायोजित किया जाएगा और अधिकारी का चयन न होने पर योजना से अपने नाम वापस लेकर दूसरी योजना में शामिल हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

आईजीएल द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित अधिकारी को उनके सीएनजी स्टेशन का प्रबंध करना होगा। चयनित अधिकारी सीएनजी स्टेशन पर अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए कार्य करेंगे, जिनका ठेका वार्षिक स्तर पर नवीनीकृत किया जाएगा। ईएसएम को डीजीआर रोज़गार निदेशालय में पंजीकरण करवाना होगा।



नीति आयोग की योजनाएँ



स्वरोज़गार एवं प्रतिभा का उपयोग (सेतु)

संबंधित योजनाएँ स्वरोज़गार एवं प्रतिभा का उपयोग (सेतु)

विवरण	सेतु खास तौर पर प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों के साथ ही आरंभिक व्यापार से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में तकनीकी-वित्तीय, उष्मायन और सरलीकरण के बारे में सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है।
सहायता के प्रकार	सेतु कार्यक्रम के लिए नीति आयोग में प्रारंभिक तौर पर 1,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध किया जा रहा है। यह राशि प्रारंभिक तौर पर नीति आयोग के पास रहेगी। इसका उपयोग उष्मायन केंद्रों की स्थापना और कौशल विकास में और अधिक सुधार लाने के लिए किया जाएगा। इसका लक्ष्य नये छोटे उद्यमों की शुरुआत कर करीब 1,00,000 रोजगारों का सृजन करना है।
कौन आवेदन कर सकते हैं	नये छोटे व्यापार अथवा उद्यमी / तकनीकी क्षेत्र के उष्मायक
आवेदन कैसे करें	तकनीकी क्षेत्र के योग्य नये छोटे व्यापारी अथवा उद्यमी / उष्मायक नेशनल इन्सस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (नीति) से सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी नीति आयोग की वेबसाइट http://pmindia.gov.in/en/tag/niti-aayog/ से प्राप्त कर सकते हैं।



कृषि मंत्रालय



उद्यम विकास योजनाएँ

कृषि विपणन प्रभाग

संबंधित योजनाएँ

विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क

विवरण नई चुनौतियों के लिए किसानों की प्रतिक्रिया संवेदशील तथा अभिमुख बनाने के लिए प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से बाज़ार से संबंधित आंकड़े एवं मूल्य संबंधी जानकारी जुटाकर उसका प्रचार किया जाता है।

सहायता का स्वरूप 100% अनुदान

कौन आवेदन कर सकता है कृषि विपणन बोर्ड/ राज्य सरकारों, के कृषि निदेशालय, बाज़ार समितियाँ।

आवेदन कैसे करें कृषि विपणन सलाहकार/ संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के विभाग।

संबंधित योजना

एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं का मज़बूतीकरण।

विवरण मानकों के निर्धारण नमूनों के विश्लेषण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता का स्वरूप 100% अनुदान

कौन आवेदन कर सकता है एगमार्क प्रयोगशालाएँ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई)।

आवेदन कैसे करें कृषि विपणन सलाहकार / संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना

कृषि विपणन आधारभूत संरचना, श्रेणी निर्धारण और मानकीकरण का विकास और मज़बूतीकरण।

विवरण यह योजना अनुबंध कृषि आदि, पूंजीगत लागत पर ऋण संबद्ध रियायत के लिए शुरू की गई है।

सहायता का स्वरूप	पूंजीगत लागत के 25% अनुपात में सहायता।
कौन आवेदन कर सकता है	एगमार्क प्रयोगशालाएँ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई)।
आवेदन कैसे करें	कृषि विपणन सलाहकार/ संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं सहकारिता, विभाग नई दिल्ली।

संबंधित योजना **ग्रामीण भंडारण योजना : ग्रामीण गोदामों के निर्माण नवीनीकरण के लिए पूंजी निवेश पर अनुदान।**

विवरण	वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण और कष्टपूर्ण बिक्री की रोकथाम की जाती है।
सहायता का स्वरूप	किसानों को 25%, कंपनियों को परियोजना लागत पर 15% अनुदान।
कौन आवेदन कर सकता है	गैर सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह, कंपनियाँ, सहकारी समितियाँ।
कौन अमल कर सकता है	कृषि विपणन सलाहकार/ संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना **छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघों व कृषि-व्यापार की विकास योजना**

विवरण	शेयर के रूप में उद्यम पूंजी सहायता प्रदान की जाती है और प्रशिक्षण तथा कृषि उद्यमियों आदि के दौरों का प्रबंध किया जाता है।
सहायता का स्वरूप	5 लाख रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता।
कौन आवेदन कर सकता है	व्यक्ति, किसान, उत्पादक समूह, साझेदारी/ स्वामित्व कंपनियाँ, स्व-सहायता समूह, कृषि उद्यमी आदि।
कैसे अमल में लाएँ	कृषि विपणन सलाहकार/ संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि

एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली अथवा प्रबंध निदेशक, एसएफएसी के पास निवेदन करें।

संबंधित योजना

सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के कार्यक्रमों के लिए सहायता।

विवरण

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, उत्पादकों में शेयर पूंजी भागीदारी/ बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता का स्वरूप

ऋण और अनुदान : अनुदान भारत सरकार द्वारा तथा ऋण: सहायता एनसीडीसी की ओर से प्रदान की जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है

एनसीडीसी द्वारा आदेशित सभी गतिविधियों के लिए पंजीकृत सहकारी समितियाँ।

आवेदन कैसे करें

संयुक्त सचिव (सहकार), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली या प्रबंध निदेशक — एनसीडीसी, नई दिल्ली से आवेदन करें।

संबंधित योजना

कृषि उपचार और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना

विवरण

कृषि उद्यमिता के बारे में शुल्क आधारित दो महीनों तक प्रशिक्षण और एक वर्ष के लिए हैण्ड होलेडिंग समर्थन मुहैया किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

भारत सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं

कृषि स्नातक

आवेदन कैसे करें

संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली; या महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद से संपर्क करें।

संबंधित योजना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

अ) वाणिज्यिक बागवानी का विकास

संबंधित योजना 1) खुले परिसर में बागवानी

विवरण 2 से 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को व्याप्त करने वाली प्रत्येक परियोजना को 75 लाख रुपये।

सहायता का स्वरूप 30 लाख रुपये तक सीमित परियोजना के लिए ऋण सम्बद्ध 40% पश्चपूर्ति अनुदान।

कौन आवेदन कर सकता है अनुदान सहायता मुहैया की जाने वाली संस्थाएं तथा अन्य संगठन

आवेदन कैसे करें अभियान निदेशक और संयुक्त सचिव (एनएचएम), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली से आवेदन करें।

संबंधित योजना 2) संरक्षित आवरण में बागवानी

विवरण 2,500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजना के लिए प्रति 112 लाख रुपये।

सहायता का स्वरूप प्रति परियोजना 56 लाख रुपये तक की सीमा तक ऋण संलग्न 50% पश्चपूर्ति अनुदान।

कौन आवेदन कर सकता है अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त संस्थाएं एवं अन्य संगठन।

आवेदन कैसे करें अभियान निदेशक एवं संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अभियान (एनएचएम), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना 3) फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजना के लिए बागवानी

विवरण व्यक्तिगत घटक के रूप में लिये गये पूर्व शीतलीकरण, श्रेणीकरण आदि से जुड़ी परियोजना के लिए प्रति 145 लाख रुपये। (बैक एंडेड) 35% अनुदान।

कौन आवेदन कर सकता है अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाएँ एवं अन्य संगठन ।

आवेदन कैसे करें अभियान निदेशक तथा संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागबानी अभियान (एनएचएम), कृषि एवं सहकार विभाग, नई दिल्ली ।

आ) बागबानी उत्पादों के लिए शीतगृह भांडार और भांडार गृहों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश अनुदान

संबंधित योजना 1) शीतगृह भांडार इकाई - मूलभूत तल्ला (मेज़नीन) संरचना

विवरण 5000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले मूलभूत तल्ला संरचना (बेसिक मेज़नीन स्ट्रक्चर) वाली किस्म 1 की एकल तापमान क्षेत्र शीतगृह इकाई ।

सहायता का स्वरूप ऋण सम्बद्ध 35% दर पर पश्च पूर्ति अनुदान

कौन आवेदन कर सकता है वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त संस्थाएँ एवं संगठन

आवेदन कैसे करें अभियान निदेशक तथा संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागबानी अभियान (एनएचएम), कृषि एवं सहकार विभाग, नई दिल्ली ।

संबंधित योजना 2) शीतगृह भांडार इकाई - प्री- इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग (पीईबी) संरचना

विवरण 5000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली छह कक्षों वाली किस्म -2 की पीईबी संरचना वाली बहु उत्पाद एवं तापमान वाली इकाई ।

सहायता का स्वरूप परियोजना शुल्क के 35% दर पर का ऋण सम्बद्ध पश्चपूर्ति अनुदान ।

कौन आवेदन कर सकता है वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त संस्थाएं एवं संगठन

आवेदन कैसे करें अभियान निदेशक तथा संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागबानी अभियान (एनएचएम), कृषि एवं सहकार विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना 3) नियंत्रित वातावरण के लिए आवश्यक तकनीक युक्त शीतगृह इकाई

विवरण 5000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक भांडारण के लिए नियंत्रित वातावरण के लिए आवश्यक तकनीक से युक्त शीतगृह इकाई।

सहायता का स्वरूप परियोजना मूल्य के 35 % दर पर ऋण सम्बद्ध पश्चपूर्ति अनुदान।

कौन आवेदन कर सकता है वे संस्थाएं तथा संगठन, जिन्हें सहायता के रूप में अनुदान प्रदान किया जाता है।

कैसे आवेदन करें अभियान निदेशक एवं संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान) कृषि एवं सहकार विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना 4) शीतगृह शृंखला

विवरण 5000 मीट्रीक टन क्षमता के लिए तकनीकी प्रवर्तन एवं शीत गृहों का आधुनिकीकरण।

लागत के नियम अधिकतम 500 लाख रुपये।

सहायता का स्वरूप परियोजना शुल्क का 35% ऋण सम्बद्ध पश्चपूर्ति अनुदान अधिकतम 500 लाख रुपये तक सीमा तक।

संबंधित योजना 5) प्रशीतित परिवहन वाहन (रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हेइकल्स)

विवरण प्रशीतित परिवहन वाहनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता का स्वरूप	लागत की 35% तक ऋण सम्बद्ध पश्चपूर्ति अनुदान।
कौन आवेदन कर सकता है	वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त संस्थाएं एवं संगठन
आवेदन कैसे करें	अभियान निदेशक एवं संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय बागबानी अभियान (एनएचएम), कृषि एवं सहकार विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना **प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन एवं मज़बूतीकरण।**

विवरण	किसानों को कृषि संबंधी मशीनों एवं खेती के मशीनीकरण के बारे में आवश्यकता के अनुसार कौशल अभिमुख प्रशिक्षण मुहैया किया जाता है।
-------	--

सहायता का स्वरूप	मशीनरी और फुटकर खर्च के लिए 100% अनुदान
कौन आवेदन कर सकता है	किसान, गैर सरकारी संगठन, किसान संस्थाएँ विनिर्माता, आयातक
आवेदन कैसे करें	संयुक्त सचिव, मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण (एमएण्डटी) विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना **फसल कटाई उपरांत तकनीकी एवं प्रबंधन**

विवरण	फसल कटाई पश्च तकनीकियों तथा प्रबंधन का उपयोग करते हुए ससह उत्पाद प्रबंधन, कम्पोस्ट आदि के लिए इकाइयों की स्थापना।
-------	---

सहायता का स्वरूप	मशीनरी और फुटकर खर्च के लिए 100% अनुदान।
कौन आवेदन कर सकता है	किसान, सहकारी संगठन, स्व-सहायता समूह, उपभोक्ता समूह।
आवेदन कैसे करें	संयुक्त सचिव, मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण (एमएण्डटी) विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना

भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विदेशों में जैविक उत्पादों का पंजीकरण करने के लिए क्षमता निर्माण

विवरण

किसानों / कृषि संगठनों को वस्तुओं के बारे विशिष्ट जानकारी का कम्प्यूटरीकरण करने, मानकों, सफा-सफाई आदि में देश का विशिष्ट डेटाबेस बनाने और व्यापार, जैविक उत्पाद पंजीकरण आदि को प्रभावित करने के उपायों के बारे में किसानों को सहायता करना।

सहायता का स्वरूप

अन्य संगठनों के साथ लागत की साझेदारी

कौन आवेदन कर सकते हैं

किसान, गैर सरकारी संगठन आदि, जो परियोजना लागत का कम से कम 30 प्रतिशत निवेश कर सकता हो।

आवेदन कैसे करें

संयुक्त सचिव (व्यापार), कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

संबंधित योजना

डेयरी उद्यमिता विकास

विवरण

ग्रामीण स्व-रोजगार का सृजन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दुग्ध व्यापार (डेयरी) एवं संबद्ध व्यवसाय की शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता।

सहायता का स्वरूप

लागत के 25% की सीमा तक पश्चपूर्ती पूंजी निवेश अनुदान।

शीत भंडारण : 30 लाख।

उद्यमी का योगदान कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

बैंक की साझेदारी कम से कम 40%

कौन आवेदन कर सकता है

किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, स्व-सहायता समूह, कंपनियाँ।

आवेदन कैसे करें

वाणिज्यिक बैंकों राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास आवेदन करें।

संबंधित योजना

चारा और पशुखाद्य विकास

विवरण

चारा और चारा विकास में राज्यों के प्रयासों के लिए अनुपूरक मुहैया किये जाते हैं।

सहायता का स्वरूप

चारा बनाने के खंड इकाइयों की स्थापना के लिए 50% तक अनुदान। चरागाह के विकास के लिए 5 से 10 हेक्टेयर भूमि आवश्यक।

कौन आवेदन कर सकता है

किसान, डेयरी सहकारी समितियाँ, गैर सरकारी संगठन, बेरोज़गार युवा

आवेदन कैसे करें

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग, भारत सरकार।



रसायन और उर्वरक मंत्रालय



पेट्रो-रसायन योजना विभाग

संबंधित योजनाएँ

पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र

विवरण

उपकरणों के लिए समर्थन, मशीनरी, आधारभूत ढांचे, शोध दल आदि

सहायता का स्वरूप

तीन साल तक 6 लाख रुपये की अंतिम सीमा तक परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान दिया जाता है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

क्षेत्र को सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली स्वायत्त संस्थाएँ

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय की वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संबंधित योजना

प्लास्टिक पार्कों की स्थापना

विवरण

अपेक्षित आद्यतन बुनियादी ढाँचे और क्षेत्र की सहायता के लिए सामान्य सुविधाओं का मज़बूतीकरण किया जाता है।

सहायता का स्वरूप

प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की अंतिम सीमा तक परियोजना लागत की 50% वित्तीय सहायता कराना। हालाँकि अन्य एजेंसियों से लिये गये ऋण में राज्य सरकार के स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीवी) की कम से कम 26 प्रतिशत नकद हिस्सेदारी होनी चाहिए।

कौन आवेदन कर सकते हैं

उद्यम के साथ राज्य की एसपीवी एजेंसी

आवेदन कैसे करें

विभाग के अह्वान पर राज्य द्वारा प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए।

उर्वरक विभाग की योजना

संबंधित योजना

पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस)

विवरण

अनुदानित दरों पर किसानों को विशिष्टतम उर्वरकों की आपूर्ति, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए दायम तथा लघु

पोषक तत्वों के साथ अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

सहायता का स्वरूप

उर्वरकों के लिए अनुदान

कौन आवेदन कर सकते हैं

विनिर्माता/विपणक/फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के आयातक

आवेदन कैसे करें

उर्वरक योजना विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाने के अनुसार।

औषधि विभाग (डीओपी) की योजना

संबंधित योजना

औषधि (भेषज) विभाग के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम

विवरण

बुनियादी ढाँचे और आम सुविधाओं के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से एक बारगी अनुदान।

सहायता का स्वरूप

अधिकतम 20 करोड़ रुपये या परियोजना लागत के 70% तक अनुदान में से जो भी कम हो।

कौन आवेदन कर सकते हैं

कोई भी एसपीवी

आवेदन कैसे करें

औषधि विभाग के पास



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय



एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजनाएँ

निर्यातक ऋण बीमा

संबंधित योजनाएँ i) छोटे निर्यातकों के लिए नीति (एसईपी)

विवरण 5 करोड़ रुपये से प्रत्याशित निर्यात कारोबार करने वाले निर्यातकों के लिए एक वर्ष तक, कुछ सुधारों के साथ मानक नीति।

सहायता का स्वरूप छोटे निर्यातकों के लिए एक 12 माह की बीमा पॉलिसी

कौन आवेदन कर सकते हैं 5 करोड़ रुपये के कम कारोबार करने वाले निर्यातक

आवेदन कैसे करें भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) शाखा कार्यालय

संबंधित योजना ii) लघु और मध्यम निर्यातकों के लिए नीति

विवरण लघु एवं मध्यम निर्यातकों को सुगमता और सुविधा प्रदान करना

सहायता का स्वरूप छोटे और मध्यम निर्यातकों के लिए 10 लाख रुपये तक के घाटे की सीमा के साथ 90% व्याप्ति युक्त 12 माह की बीमा पॉलिसी

कौन आवेदन कर सकते हैं सू.ल.म.उ. विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करने वाले माल तथा सेवाओं के निर्यातक

आवेदन कैसे करें भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) शाखा कार्यालय।

औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन योजना विभाग

भारतीय चर्मोद्योग विकास कार्यक्रम

संबंधित योजना

अ) बृहद् चर्मोद्योग क्लस्टर

विवरण

चर्मोद्योग की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

सहायता का स्वरूप

क्लस्टरों के ज़मीनी क्षेत्र के आधार पर सीमाओं के साथ परियोजना लागत के तक 50% तक आर्थिक सहायता।

कौन आवेदन कर सकते हैं

सभी चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन इकाइयाँ

आवेदन कैसे करें

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को।

संबंधित योजना

मार्केट एक्सेस (बाजार पहुंच) पहल (एमएआई)

विवरण

भारतीय निर्यात के विस्तार में तेज़ी लाने के लिए प्रयास

सहायता का स्वरूप

100 लाख रुपये की सीमा तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में पट्टा / किराए के क्रमशः 75%, 50% और 33% तक सहायता।

कौन आवेदन कर सकते हैं

निर्यात/ व्यापार संवर्धन संगठन/ अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय/ प्रयोगशालाएं, निर्यातक

आवेदन कैसे करें

वाणिज्य मंत्रालय के ईएंडएमडीए प्रभाग में

चाय बोर्ड की योजनाएं

संबंधित योजना

चाय बोर्ड के साथ विदेशों में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में सहभागिता

विवरण

भारतीय टी बोर्ड के साथ विदेशों में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता

सहायता का स्वरूप सीमाओं के अधीन भारत से एक प्रतिनिधि के लिए सामान्य वर्ग विमान किराया।

कौन आवेदन कर सकते हैं वैध निर्यात लाइसेंस रखने वाले सभी निर्यातक

आवेदन कैसे करें चाय बोर्ड के पास आवेदन करें

संबंधित योजना भारतीय मूल के पैकेज्ड चाय को प्रोत्साहन

विवरण भारतीय चाय निर्यातकों के लिए एक ब्रांड समर्थन योजना

सहायता का स्वरूप प्रतिवर्ष 12 लाख की एक सीमा के साथ प्रदर्शन क्षेत्र के पट्टे / किराए की प्रथम वर्ष 75%, द्वितीय वर्ष 50% व तृतीय वर्ष 25% सहायता प्रतिपूर्ति

कौन आवेदन कर सकते हैं सभी पंजीकृत एवं वैध लाइसेंस के साथ गुणवत्तापूर्ण चाय की मार्केटिंग करने वाले निर्यातक

आवेदन कैसे करें पत्र के साथ टी बोर्ड (चाय बोर्ड) के पास आवेदन करें

मसाला बोर्ड योजनाएँ

मसालों का निर्यात, विकास और संवर्धन

संबंधित योजना अ) विदेशों में भारतीय मसालों को प्रोत्साहन

विवरण पारंपरिक भारतीयों की पहुंच से परे विदेशी बाजारों के परिष्कृत और समृद्ध क्षेत्रों पर लक्षित करना

सहायता का स्वरूप सीमाओं के अधीन उत्पाद विकास पर 50% तथा स्लॉट शुल्क के लिए 100% ब्याज मुक्त ऋण सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं सभी मसाले निर्यातक जिनके ब्रांड मसाला बोर्ड के साथ पंजीकृत हों।

आवेदन कैसे करें निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

आ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मसालों का प्रसंस्करण

संगठित मार्केटिंग के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए।

प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपए की सीमा के साथ 33% सहायक अनुदान; किसानों के लिए प्रति लाभार्थी 35 लाख रुपये के साथ लागत का 50%

मसाला उत्पादक, सहकारी समितियां, किसानों के संगठन, गैर सरकारी संगठन, उद्यमी

मसाला बोर्ड को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

इ) अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/बैठकें

निर्यातकों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा व्यापार मेलों, बैठकों में भागीदारी।

व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए शर्तों के अनुसार सीमा के साथ 50% विमान किराया की सहायता प्रतिपूर्ति; प्रतिनिधिमंडलों, प्रति निर्यातक प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ 50% प्रतिपूर्ति।

सभी पंजीकृत निर्यातक और संघों के प्रतिनिधि

मसाला बोर्ड को



संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

अनुसंधान एवं विकास अनुदान

अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी सहयोग आदि के लिए संस्थाओं, संगठनों को अनुदान

परियोजना की कुल लागत के आधार पर सहायता अनुदान की प्रकृति भिन्न होती है

कम से कम 2 साल के लिए निगमित कोई भी संस्था / फर्म

डीईआईटी वार्ड के पास

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास (टीआईडीई)

आईसीटी सेक्टर में स्वदेशी उत्पादों और संकुल के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केन्द्रों की स्थापना/ मजबूती प्रदान करने के लिए वित्तीय और नीतिगत समर्थन

155 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान, किशतों में देय

संस्थान

डीईआईटी वार्ड के पास

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

गुणक अनुदान (मल्टीप्लायर ग्रांटस)

उद्योगों और संघों को अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को विकसित करने के लिए, जिसका संस्थाओं के सहयोग से वाणिज्यीकरण किया जा सके

दो करोड़ रुपये की सीमा के साथ दो साल से कम अवधि की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान

उद्योग और शैक्षणिक संस्थान

डीईआईटी वार्ड के पास

संबंधित योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (एसआईपी-ईआईटी) अंतरराष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए सहयोग

विवरण

अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए स्टार्ट-अप इकाइयों को प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता

सहायता का स्वरूप

15 लाख रुपये की सीमा के साथ कुल पेटेंट लागत की 50% प्रतिपूर्ति

कौन आवेदन कर सकते हैं

कोई भी पंजीकृत एमएसएमई या टीआईसी

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

ई-गवर्नेंस

संबंधित योजना

अ) सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीएससी)

विवरण

आईसीटी द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, आदि में ग्राम स्तर पर अग्रिम व अंतिम वितरण बिंदु सेवाओं को सक्षम बनाना

सहायता का स्वरूप

पीपीपी मोड

कौन आवेदन कर सकते हैं

एससीए द्वारा नियुक्त ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई)

आवेदन कैसे करें

ई-प्रशासन (डीईआईटी वाई) को निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

आ) क्षमता निर्माण

विवरण

संस्थागत ढांचे के निर्माण और एक केंद्रीय क्षमता के लिए प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करना, जिससे निष्पक्षता के साथ प्रशिक्षण दिया जा सके।

सहायता का स्वरूप

राज्य सरकारों को सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं

एसडीसी/सीएससी

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

इ) स्टेट डाटा सेंटर

एसडीसी का समेकित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए, ताकि एसडब्ल्यूएन, एससीएस सेवाओं आदि के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी गांव स्तर तक पहुंचाई जा सके।

5 वर्ष की अवधि में 1,623.20 करोड़ रुपये का सहायता परिव्यय

एसडीसी / सीएससी

निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

ई) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

राज्य-व्यापी ऑडियो और वीडियो संचार और के लिए अन्तर्राज्य संचार के लिए निकनेट को प्रवेश द्वार प्रदान करने के लिए

पीपीपी मोड

सभी राज्य सरकारों को सहायता

निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)

सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए

कर और शुल्क में छूट

सॉफ्टवेयर कंपनियाँ

www.stpi.in के साथ पंजीकरण के माध्यम से

संबंधित योजना

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

विवरण

विश्वोन्मुखी व्यवसायों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, व्यावहारिकताएं और सुविधाएं जुटाने के लिए।

सहायता का स्वरूप

विविध परिभाषाओं के अंतर्गत कर और शुल्क में छूट; एकल खिड़की मंजूरी

कौन आवेदन कर सकते हैं

मध्यम और बड़े उद्योग

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)

विवरण

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत

सहायता का स्वरूप

100% एफडीआई, शुल्क मुक्त आयात 100% कर में छूट, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी)

विवरण

मुक्त विदेशी मुद्रा प्राप्ति के बदले में निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के लिए डीटीए को आईटीए-1 वस्तुओं की आपूर्ति और पुर्जों तथा नवीनीकरण/ मरम्मत किए गए कैपिटल गुड्स के आयात की अनुमति

सहायता का स्वरूप

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यातकों को शून्य शुल्क, सॉफ्टवेयर सिस्टम सहित पूर्व और बाद के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर 3% रियायत

कौन आवेदन कर सकते हैं

निर्माता निर्यातक, व्यापारी निर्यातक, प्रमाणित सेवा प्रदाता

आवेदन कैसे करें

डीजीएफटी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ

संबंधित योजना

शुल्क छूट और माफी

विवरण

निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक आदानों का शुल्क मुक्त आयात सक्षम बनाने को

सहायता का स्वरूप

अग्रिम लाइसेंस जारी करना, शुल्क मुक्त आदानों की आपूर्ति एवं दोषपूर्ण आयात पर परिवर्तन की अनुमति

कौन आवेदन कर सकते हैं

सभी लाइसेंस प्राप्त निर्यातक

आवेदन कैसे करें

डीजीएफटी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ

संबंधित योजना

अनुमानित निर्यात

विवरण

माल के लिए प्राप्त भुगतान भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में

सहायता का स्वरूप

आईसीबी के बदले टर्मिनल उत्पाद शुल्क की छूट, या वापसी

कौन आवेदन कर सकते हैं

सभी लाइसेंस प्राप्त निर्यातक

आवेदन कैसे करें

डीजीएफटी के पास जरूरी दस्तावेजों के साथ

संबंधित योजना

निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास

विवरण

उच्च मानक अनुभवी परामर्शदाताओं, संकाय, कुशल स्नातकों को बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा, टीओटी आदि के वर्चुअलाइजेशन माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में

सहायता का स्वरूप

देश भर के चुने गए संस्थानों में अत्याधुनिक सुविधाओं का स्वरूप तैयार करने की।

कौन आवेदन कर सकते हैं

आईटी में स्नातक, इंजीनियर, पेशेवर, अनुभवी परामर्शदाता/शिक्षक

आवेदन कैसे करें

डीईआईटी वार्ड के मानव संसाधन विकास प्रभाग में

संबंधित योजना

आईएसईए परियोजना के तहत निजी संस्थानों की भागीदारी

विवरण

5 वर्ष की परियोजना सूचना सुरक्षा (आईएस) के प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षमताओं के विकास के लिए

सहायता का स्वरूप

पेशेवर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचना सुरक्षा पाठ्यक्रम का परिचय, राज्य और केंद्रीय अधिकारियों का आईएस संबंधित मुद्दों और आईएस रचना के प्रति जागरूकता प्रशिक्षण

कौन आवेदन कर सकते हैं

एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा मंजूरी प्राप्त संस्थान, गैर - सरकारी संगठन

आवेदन कैसे करें

डीईआईटी वाई के मानव संसाधन विकास प्रभाग में



कार्पोरेट कार्य मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

दस्तावेजों को जमा करने (ई-फाइलिंग) की सुविधा के लिए पेशेवर योग्य लोगों / निकायों द्वारा संचालित किये जाने वाले प्रमाणित फाइलिंग केंद्र

डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के आधार पर सीएफसी की ई-फाइलिंग की गति में सुधार, और वितरण में पारदर्शिता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में ई-फाइलिंग सुविधा के लिए सीएफसी स्थापित करने के लिए

आईसीएसआई, सीए और भारत के लागत एवं प्रबंध लेखाकार, व्यावसायिक संस्थान

एमसीए के आर्थिक सलाहकार को

ईईएस फाइलिंग और सूचना

काम नहीं कर रही कंपनियों को बाहर निकालने के लिए

ऋण आवेदन पत्र दाखिल करने और सुरक्षा / गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सहायता

प्रशिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संगठन, और विकास एजेंसियां

एमसीए के आर्थिक सलाहकार को

निकासी का फास्ट ट्रैक मोड

असंचालित कंपनियों के लिए बाहर निकलने की आसान सुविधा के लिए

एनएसआईसी सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं कंपनियां, जो संचालन नहीं कर रहीं या किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर रहीं, जिनकी संपत्ति और देनदारी नहीं के बराबर है

आवेदन कैसे करें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की निकटतम शाखा को



संस्कृति मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों को फैलोशिप

प्रदर्शन, साहित्यिक और कला, और भारतीय विद्या, एपिग्राफी और सांस्कृतिक अर्थशास्त्र जैसे नए क्षेत्रों में में फैलोशिप

दो वर्ष के लिए सीनियर और जूनियर फैलोशिप के माध्यम से उन्नत प्रशिक्षण, व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास के लिए बुनियादी वित्तीय समर्थन

स्नातक जिन्होंने पहले कभी यह फेलोशिप नहीं पाई और पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे

फैलोशिप के लिए वार्षिक विज्ञापन का जवाब दें

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

संग्रहालय पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

गहन प्रशिक्षण के लिए उनके पेशेवरों को नियुक्त करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए

वित्तीय अनुदान के रूप में 30 लाख रुपये की सीमा के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल लागत की अधिकतम 80% सहायता

सभी राज्य और केंद्रीय संग्रहालय

डीपीआर के साथ निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

स्टूडियो थियेटरों सहित निर्माण के लिए अनुदान

कलाकारों के लिए उचित रूप से सुसज्जित प्रशिक्षण, रिहर्सल और प्रदर्शन स्थल के निर्माण का मदद

परिवर्ती सीमाओं के साथ गैर आवर्ती अनुदान

कला और संस्कृति क्षेत्र में सार्थक काम कर रहे पंजीकृत संगठन

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक को



वित्त मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

मुद्रा का प्राथमिक उत्पाद सूक्ष्म व्यापारिक एव इकाइयों को पुनःवित्त के तौर पर उधार देना है। 2015 के बजट में 20,000 करोड़ रुपये कॉर्पस एवं 3,000 करोड़ रुपये क्रेडिट कॉर्पस के साथ सूक्ष्म इकाई विकास पुनःवित्त एजेन्सी (मुद्रा) बैंक का सृजन किया गया है।

सहायता का प्रकार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन मुद्रा का प्राथमिक उत्पाद सूक्ष्म व्यापारिक / इकाइयों को पुनःवित्त के तौर पर उधार देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभिक उत्पाद और योजना का पहले ही सृजन किया गया है और इसकी वृद्धि / विकास और लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/ उद्यमियों की आवश्यकता और उनके वृद्धि के स्तर का चरणबद्ध तरीके से उल्लेखित करने के लिए इसे 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' और 'तरुण' नाम दिया गया है:

- **शिशु**: 50000 रुपये तक का ऋण शामिल है।
- **किशोर**: 50,000/- से लेकर 5 लाख रुपये तक का ऋण शामिल है।
- **तरुण**: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण शामिल है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले स्वामित्व /साझेदारी फर्म जो लघु निर्माण इकाई, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, बाल काटने का सैलून, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टरों, ट्रक परिचालकों, हॉकरों, सहकारी या व्यक्तिगत निकायों, खाद्य सेवा इकाइयों, रिपेयर की दुकानों, मशीन परिचालकों, लघु उद्योगों, कामागारों, खाद्य प्रसंस्करण, स्वयं सहायता समूहों, पेशेवर और सेवा प्रदाताओं आदि को इस व्यापारिक/उद्यमी/इकाइयों में शामिल किया गया है।

इस उत्पाद को आरंभिक तौर पर इस प्रकार जारी किया गया है:

- क्षेत्र/विशेष गतिविधि योजना जैसे भूमि, परिवहन, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा, खाद्य उत्पाद और वस्त्र उत्पाद क्षेत्र आदि की योजना। इस योजना अन्य क्षेत्र/गतिविधियों को भी शामिल किया जायेगा।
- सूक्ष्म क्रेडिट योजना (एमसीएस)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)/शेड्यूल सहकारी बैंकों के लिए पुनःवित्त योजना
- महिला उद्यमी योजना
- व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यापारिक ऋण
- मिसिंग मिडल क्रेडिट योजना
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपकरण वित्त

समग्र लाभार्थी वर्ग के विकास में सहयोग प्रदान के लिए मुद्रा क्रेडिट प्लस की मध्यस्ता करेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव/आरंभिक कदमों के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

- साक्षरता वित्त को सहयोग
- संस्थानों को ग्रास रूट स्तर से सहयोग और प्रोन्नत करना
- 'लघु व्यापार वित्त इकाइयों' के लिए कार्य संरचना तैयार करना
- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन मिशन के साथ सेनर्जी
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सेनर्जी
- क्रेडिट ब्यूरो के साथ कार्य करना
- रेटिंग एजेंसियों के साथ कार्य करना

आवेदन कैसे करें?

योग्य व्यक्तिगत और संस्थान अपने आवेदन संबंधित क्षेत्रों के नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं। नोडल अधिकारी की विस्तृत जानकारी <http://www.mudra.org.in/Nodel-Officers-MUDRA.pdf> से प्राप्त की जा सकती है।

सिडबी की योजनाएं

संबंधित योजना

वृद्धि पूंजी और भागीदारी सहायता

विवरण

लघु उद्योगों को विपणन, ब्रांड निर्माण, वितरण नेटवर्क के निर्माण, नई जानकारीयां हासिल करने, अनुसंधान एवं विकास, आदि में निवेश करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना

सहायता का स्वरूप

द्वितीय स्तरीय / परिवर्तनीय उपकरणों, लघु ऋण और इक्विटी के रूप में सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं

एमएसएमई

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन पूछताछ

संबंधित योजना

लघु सड़क परिवहन ऑपरेटर्स (एसआरटी ओएस) के लिए पुनर्वितीयन (रीफाइनांस)

विवरण

केवल नए वाहनों के लिए चेंसिस, बॉडी की लागत, प्रारंभिक करों, बीमा, कार्यशील पूंजी

सहायता का स्वरूप

रि-फाइनेंसिंग (पुनर्वितीयन)

कौन आवेदन कर सकते हैं

लघु सड़क परिवहन ऑपरेटर्स

आवेदन कैसे करें

एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना

सामान्य पुनर्वितीयन (जनरल रीफाइनांस)

विवरण

एमएसई की स्थापना, या विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, आदि

सहायता का स्वरूप वित्तीय सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं एमएसई के सभी रूप
आवेदन कैसे करें एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष के तहत (आरटीयूएफ) वस्त्र उद्योग के लिए पुनर्वित्तीयन

विवरण एक नई इकाई में मशीनरी की स्थापना, या मौजूदा मशीनरी को बदलना, या विस्तार के लिए

सहायता का स्वरूप रि-फाइनेंसिंग
कौन आवेदन कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज
आवेदन कैसे करें एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना एमएसई इकाइयों द्वारा आईएसओ श्रृंखला प्रमाणन की प्राप्ति

विवरण प्रक्रियात्मक खर्च और उपकरणों की आवश्यकता के आधार पर ऋण निर्धारित किया जाता है

सहायता का स्वरूप आईएसओ प्रमाणपत्र के लिए वित्तीय सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं दो साल के प्रदर्शन के साथ एमएसई, जो डिफाल्टर नहीं हों
आवेदन कैसे करें एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना संयुक्त ऋण

विवरण उपकरण और / या वर्क शेड के लिए कार्यशील पूंजी के लिए सहायता

सहायता का स्वरूप ऋण, 25 लाख रुपये से अधिक नहीं
कौन आवेदन कर सकते हैं कारीगर, सूक्ष्म इकाइयां, गांव और कुटीर उद्योग
आवेदन कैसे करें एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

एकल खिड़की

कार्यशील पूंजी के लिए अचल संपत्तियों पर अवधि के ऋण प्रदान करता है

अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण

एमएसई क्षेत्र की नई परियोजनाएं

एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास

बीमार इकाइयों के लिए सहायता प्रदान करता है

संभावित रूप से व्यवहार्य बीमार एमएसई के पुनर्वास के लिए सहायता

संभावित रूप से व्यवहार्य एमएसई, कुटीर और गांव इकाइयां

एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

एमएसएमई क्षेत्र के लिए औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास

औद्योगिक सम्पदा / औद्योगिक क्षेत्रों के विकास सहित केवीआईसी मॉडल के तहत पात्र पाई गई परियोजनाओं की स्थापना

औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता

औद्योगिक बुनियादी ढांचे के प्रवर्तक

एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को आवेदन

संबंधित योजना

विवरण

एकीकृत संरचनात्मक विकास (आईआईडी)

एमएसई के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार

सहायता का स्वरूप परियोजना लागत पर 500 लाख रुपये की सीमा निर्धारण के साथ 500 लाख रुपये से अधिक की लागत राज्य / संघ राज्य सरकार द्वारा उठाई जा सकती है

कौन आवेदन कर सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के निगम, एनजीओ

आवेदन कैसे करें एसएफसी, एसआईडीसी, बैंकों को आवेदन

संबंधित योजना

उपकरणों के बिलों पर पुनः छूट

विवरण नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए स्थगित भुगतान; विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन, उपकरण संतुलन आदि के लिए

सहायता का स्वरूप बिलों की मुद्दत; आम तौर पर 2-5 वर्ष

कौन आवेदन कर सकते हैं निर्माता - विक्रेता / क्रेता - स्वदेशी मशीनरी / पूंजीगत उपकरणों के उपयोगकर्ता, - जिनमें से एक लघु उद्योग क्षेत्र में होना चाहिए

आवेदन कैसे करें सिडबी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में

संबंधित योजना

उपकरण बिलों में पुनः छूट (अंतर्देशीय आपूर्ति बिल)

विवरण एमएसएमई की आपूर्ति पर पहले से ही क्रेता / विक्रेता द्वारा दी गई रियायत के साथ सिडबी की ओर से फिर से रियायत

सहायता का स्वरूप असमाप्त मुद्दत - 90 दिन से अधिक नहीं

कौन आवेदन कर सकते हैं एमएसएमई आपूर्तिकर्ता

आवेदन कैसे करें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवेदन

नाबार्ड की योजनाएँ

संबंधित योजना

उत्पादक संगठन विकास कोष (पीओडीएफ)

विवरण उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, आदि के लिए ऋण सुविधाएं

सहायता का स्वरूप क्षमता निर्माण और बाजार से जुड़े संगठनों का क्रेडिट समर्थन करने के लिए सहायता कोष

कौन आवेदन कर सकते हैं विपणन संघ/निगम/सहकारी समितियां

आवेदन कैसे करें बैंकों को आवेदन करें

संबंधित योजना डेयरी वेंचर कैपिटल फंड

विवरण दुधारू पशुओं के लिए

सहायता का स्वरूप ब्याज मुक्त रूप में परिव्यय का 50% ऋण

कौन आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से

आवेदन कैसे करें बैंकों को आवेदन करें

संबंधित योजना ग्रामीण पिछवाड़े के आंगन में मुर्गी पालन के लिए कुक्कुट संपदा (पोल्ट्री एस्टेट्स) और मातृ इकाइयों की स्थापना

विवरण कुक्कुट विकास के लिए प्रत्येक फार्म को सहायता

सहायता का स्वरूप प्रति बैच 1,500 चिक्स की इकाई के लिए 1.36 लाख रुपये

कौन आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से

आवेदन कैसे करें बैंकों को आवेदन करें

संबंधित योजना ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना / आधुनिकीकरण

विवरण ग्रामीण बूचड़खानों के लिए सब्सिडी आधारित क्रेडिट लिंक

सहायता का स्वरूप पूंजीगत सब्सिडी के रूप में कुल वित्तीय परिव्यय की 50% की सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं संगठन, साझेदारी फर्म, गैर सरकारी संगठन और उद्यमी
आवेदन कैसे करें बैंकों को आवेदन करें

संबंधित योजना **जैविक आदानों (ऑर्गेनिक इनपुट) की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयाँ**

विवरण सब्जी बाजार अपशिष्ट आधारित खाद, उर्वरक और कीटनाशकों के उत्पादन के लिए

सहायता का स्वरूप परियोजना की पूंजी लागत की 25% सब्सिडी

कौन आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से

आवेदन कैसे करें बैंकों को आवेदन करें

संबंधित योजना **पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड**

विवरण गैर पारंपरिक राज्यों में मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने, और पिछड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए

सहायता का स्वरूप पूंजी परिव्यय की वापसी के रूप में 25% सब्सिडी, 10% मार्जिन, बाकी बैंक ऋण

कौन आवेदन कर सकते हैं किसान, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, आदि

आवेदन कैसे करें डीएचडी वेबसाइट पर जाएं

संबंधित योजनाएँ **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी**

विवरण यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के तकनीकी उन्नतिकरण के लिए है।

सहायता का प्रकार किसी विशेष उत्पाद/ उप-क्षेत्रों की अच्छी स्थापना के लिए एमएसई के तकनीकी उन्नतिकरण और उन्नत तकनीकी की अनुमति इस योजना में दी जाती है, जिसमें पूंजी रियायत सरकार द्वारा विस्तारित की जाती है।

कौन आवेदन कर सकते हैं एसएमई

आवेदन कैसे करें

सहकारी बैंकों, आरआरबी और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

संबंधित योजनाएँ

स्व-रोज़गार क्रेडिट कार्ड

विवरण

इस योजना में बिना किसी बाधा के स्वच्छंद और प्रवाभी ढंग से लचीली बैंक प्रणाली के माध्यम से आवश्यक खपत और /या ब्लॉक की क्रेडिट आवश्यकतानुसार समय पर पर्याप्त कार्यकारी पूंजी को क्रेडिट तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना को ग्रामीण बैंकों के माध्यम से चलाया जाता है।

सहायता का प्रकार

कार्यकारी पूंजी में खपत और /या ब्लॉक पूंजी की आवश्यकता शामिल है।

कौन आवेदन कर सकते हैं

लघु कामगार, हैंडलूम बुनकर और अन्य स्व-रोज़गार व्यक्ति जिसमें सूक्ष्म उद्यमी, एसएचजी आदि भी शामिल हैं।

आवेदन कैसे करें

नजदीकी ग्रामीण बैंकों से सम्पर्क करें

संबंधित योजनाएँ

नाबार्ड भाण्डारण योजना

विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नाबार्ड में गोदाम (वेयर हाउस) इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (डब्ल्यूआईएफ) के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डब्ल्यूआईएफ के संचालन के दृष्टिकोण से नाबार्ड ने एक योजना तैयार की है, जो नाबार्ड भांडारण योजना (एनडब्ल्यूएस) के नाम से जानी जाती है, जिसके ज़रिये गोदामों, साइलो, शीतगृहों तथा अन्य शीत श्रृंखला के निर्माण के लिए ऋण सहायता मुहैया की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के साथ देशभर में कृषि उत्पादों के भाण्डार के लिए सुविधा मुहैया करने और

भाण्डारण की बढ़ती माँग की पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है।

सहायता का स्वरूप

ऋण सुविधा कृषि उत्पादों के साथ ही कृषि सम्बद्ध उत्पादों के भाण्डारण के लिए साइलो और कोल्ड स्टोरेजों के कम से कम 5000 मीट्रिक टन की एक न्यूनतम क्षमता वाले भंडारण बुनियादी ढाँचे के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए मुहैया की जाएगी।

प्राथमिकता पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की प्रस्तावित परियोजनाओं और खाद्यान्न की कमी महसूस करने वाले राज्यों की प्रस्तावित परियोजनाओं को दिया जाएगा।

कौन आवेदन कर सकता है

राज्य/ केन्द्र सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, सहकारी समितियाँ (और उनके महासंघों), उत्पादक कृषक संगठन (एफपीओ) द्वारा प्रायोजित स्वामित्व एजेंसियाँ, किसान सामुदाय, एपेक्स मार्केटिंग बोर्ड, निजी कंपनियाँ, व्यक्तिगत उद्यमी।

आवेदन कैसे करें

ऋण सुविधा मात्र उन्हीं शीत परियोजनाओं के लिए मुहैया की जाएगी, जो सिर्फ भाण्डारण विभाग और नियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) की ओर से तैयार किये गये मानदंडों की पुष्टि करते हैं, बल्कि उसके बुनियादी ढाँचे की पूर्ति के बाद उसके बारे में मान्यता / पंजीकरण प्राप्त करने का डब्ल्यूडीआरए को वचन भी देते हैं।



खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

मेगा फूड पार्क

तंत्र, कृषि उत्पादन और बाजार को जोड़ने के लिए, मूल्य संवर्धन को अधिकतम करने, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए

50 करोड़ रुपये की एक सीमा के साथ परियोजना लागत का एक बार 50% पूंजी अनुदान

किसान, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह

निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

शीतगृह शृंखला (कोल्ड चेन)

फार्म गेट से उपभोक्ता तक तोड़े बिना मूल्यवर्धन और संरक्षण का बुनियादी ढांचा प्रदान करना

संयंत्र की कुल लागत और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों का 50%

उद्यमी, क्लस्टर्स, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि

मंत्रालय के विज्ञापन का जवाब दें

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

मांस की दुकानों के ई-बुनियादी ढांचे की स्केलिंग और आधुनिकीकरण शामिल

संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 50%

स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी उपक्रम, सरकार बोर्ड

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स और प्रचार गतिविधियां

विवरण

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए

सहायता का स्वरूप

प्रयोगशाला उपकरण लागत का पूरा खर्च, घर उपकरणों के लिए तकनीकी सिविल कार्य का 25% सहायता अनुदान

कौन आवेदन कर सकते हैं

केन्द्र / राज्य सरकार और उनके संगठन, विश्वविद्यालय, आदि

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण अभियान (एनएमएफपी)

विवरण

केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अन्य सभी योजनाओं को शामिल किया गया है ताकि मंत्रालय की योजना, निगरानी, आदि में पहुंच में सुधार लाया जा सके

सहायता का स्वरूप

सभी राज्यों में भारत सरकार और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में, एनईआर में 90:10 अनुपात में और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% अनुदान

कौन आवेदन कर सकते हैं

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में



शहरी गरीबी उन्मूलन और आवास मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

राजीव आवास योजना (आरएवाई)

शहरी गरीबों के लिए क्रेडिट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने के लिए, नागरिक बुनियादी ढांचे और मलिन बस्तियों में सामाजिक सुविधाओं की समस्याओं के समाधान के लिए

सहायता का स्वरूप

मलिन बस्तियों में आवास एवं नागरिक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसियों को अमल में लाने के लिए वित्तीय सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं

शहरों/शहरी समूहों (यूएएस) में चयनित लाभार्थी

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

विवरण

राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी खंडों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के माध्यम से ब्याज सब्सिडी

सहायता का स्वरूप

निश्चित समूहों के लिए मकानों के निर्माण/विस्तार करने के लिए लिये गए ऋणों पर 50% ब्याज सब्सिडी

कौन आवेदन कर सकते हैं

बीपीएल, ईडब्ल्यूएस या निम्न आय वर्ग श्रेणियों के लाभार्थी

आवेदन कैसे करें

बैंकों/ आवास वित्त निगमों को संपर्क करें

संबंधित योजना

विवरण

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी गरीबों को स्थानीय कौशल, शिल्प, और मांग के आधार पर विनिर्माण और लघु उद्यमों को सर्विसिंग देने का लघु व्यवसाय शुरू करने को प्रोत्साहित करने के लिए

सहायता का स्वरूप

समय पर भुगतान के आधार पर बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी

कौन आवेदन कर सकते हैं	शहरी गरीबों के समूह या व्यक्तिगत रूप से
आवेदन कैसे करें	बुनियादी विवरण के साथ संबंधित यूएलबी को
संबंधित योजना	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
विवरण	शहरी गरीबों के लिए सुविधाओं के साथ आवास सहित, बुनियादी सेवाओं का एकीकृत विकास
सहायता का स्वरूप	बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं	यूएलबी और पैरा स्टेटल एजेंसियां
आवेदन कैसे करें	निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति को



ग्रामीण विकास मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम

विवरणआजीविका कौशल विकास कार्यक्रम, गरीब समुदायों के युवाओं को उनके कौशल उन्नत करने और अर्थव्यवस्था के वृद्धिशील क्षेत्रों में कौशलपूर्ण कार्यबल में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। कौशल प्रशिक्षण और स्थापन (प्लेसमेंट) परियोजनाओं का संचालन सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी और / या सामुदायिक संगठनों की साझेदारी के साथ मिलकर किया जा सकता है। आजीविका द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रोज़गार बढ़ाने के लिए देश के सभी ज़िलों में ग्रामीण विकास स्वरोज़गार संस्थान (आरयूडीएसटीआई) की तर्ज पर स्वरोज़गार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआईएस) की स्थापना करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास में आरयूडीएसटीआई की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआईएस) को सहायता की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उम्मीदवारों को स्वरोज़गार के बारे में प्रशिक्षण देकर स्वरोज़गार शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (एनआरएलएम) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण शुल्क मुहैया किया जा रहा है।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने गये युवाओं को व्यापार की लम्बी श्रृंखला का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें सूचना-प्रौद्योगिकी तथा अन्य व्यवहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल होते हैं। प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के बाद गृह ज़िले से बाहर प्लेसमेंट होने पर निवास स्थान की तलाश, बैंक खाता खोलने के लिए सहायता की जाती है तथा कार्यस्थल पर परामर्श किया जाता है।

कैसे आवेदन करें

योग्य उद्यमी उनकी पसंद के अनुसार एएसडीपी द्वारा चीह्नित नजदीक की लाभकारी अथवा गैर लाभकारी संस्थाओं और चुने गये युवाओं को नियुक्त करने के लिए अपनी नजदीकी पंजीकृत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) से सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित योजना

विवरण

मनरेगा कार्यक्रम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम का अधिदेश वित्तवर्ष में उन ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का वित्तीय रोजगार सुनिश्चित रूप से मुहैया करना है, जिसके वयस्क सदस्य कौशल रहित काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों।

मनरेगा का मुख्य रूप से गैर शहरी विकास गतिविधियों पर केंद्रित है, जिनमें जल संरक्षण और वृद्धि, वनीकरण, गैर शहरी सम्पर्क, अत्यधिक जलबहाव का नियंत्रण और सुरक्षा जैसे तटबंधों की वृद्धि और सुस्थिरता जैसे विशिष्ट गैर शहरी विकास, आदि क्रियाओं पर केंद्रित है। इस तरह के अत्यावश्यक क्षेत्रों में सुधार कर भारत सरकार देश को एक विकसित देश बनाना चाहती है। नये तालाबों/पोखरों, अंतःस्रवण जल जीवालयों की तलाश और लोगों की द्वारा की जाने वाली छोटी जाँच ने भी इसे प्रतिष्ठा प्रदान की है।

सहायता का स्वरूप

मनरेगा के मुख्य कार्य प्रारूप के अनुसार ग्रामीण लोगों को एक बेहतर जीवन मुहैया कराना है, जिसका उद्देश्य

- ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष के 365 दिनों में कम से कम 100 दिन गैर कौशल रहित रोजगार उपलब्ध कर उन्हें उस कार्य के लिए कम से कम 120 रुपये प्रति दिन के अनुसार वेतन मुहैया कराना है।

इसके साथ ही इसका लक्ष्य अत्यंत मूलभूत प्राकृतिक संसाधन भूमि और जल संबंधी सुधार और विकास साध्य करना है। इस प्रकार यह ग्रामीण इलाकों में स्थायी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं ग्रामीणों की क्रयशक्ति बढ़ाने में परोक्ष रूप से मददगार है।

इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष के 365 दिनों में से कम से कम 100 दिन तक वैतनिक प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित रोज़गार मुहैया कर ग्रामीण देशवासियों को बेहतर जीवनशैली उपलब्ध कराना है। मनरेगा का मुख्य लक्ष्य अत्यंत मूलभूत प्राकृतिक संसाधन भूमि और जल संबंधी सुधार और विकास साध्य करना है। मनरेगा के लाभ गरीब ग्रामीणों के लिए बेहतर सम्पर्क व्यवस्था और मूलभूत जीविकार्जन के संसाधन आधार विकसित कर संपदा का सृजन करना है।

मनरेगा ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम 120 रुपये प्रति दिन के वेतन पर कौशल रहित कार्य करने का अवसर प्रदान करना है। इससे ग्रामीणों के लिए ग्रामीण परिसर में ही स्थायी आधारभूत सुविधाओं का विकास कर उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने में की जा सकेगी। मनरेगा विश्वभर में मानव विकास अनुसूची (एचडीआई) में सुधार के लिए चलाई जा रही सबसे बड़ी योजना के रूप में विश्लेषित किया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है गरीब किसान परिवारों के बेरोज़गार (और कैशल शून्य) सदस्य और ग्रामीण लोग जॉब कार्ड एवं रोज़गार के लिए ग्राम पंचायत से सम्पर्क कर सकते हैं।

कैसे आवेदन करें गैर शहरी क्षेत्रों के वयस्क बेरोज़गार सदस्य अपने नाम, आयु एवं चित्र के साथ संबंधि अधिकारी अथवा स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा, जिसमें उनके चित्र के साथ संबंधित तथ्यों की जानकारी शामिल रहेगी।

ग्राम पंचायत की ओर से पूछताछ तथा उनकी समस्याओं की जानकारी लेने के बाद मकानों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे और उन्हें जॉब कार्ड मुहैया किये जाएंगे। तथ्यों से युक्त जॉब कार्ड में प्राधिकृत प्रौढ़ सहभागी तथा उसके चित्र शामिल रहेगा।

पंजीकृत व्यक्ति पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत (जारी कार्यों पर कम से कम सप्ताह में दो बार) काम कर सकता है।

पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी कार्यक्रम और कार्यक्रम की समस्या के पुराने चालान को वैध बनाने पर सहमत होंगे, कार्यक्रम के बारे में पत्रा संबंधित उम्मीदवार को भेजने के साथ ही पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है। पंजीकृत ग्रामीणों के लिए काम उनके आवास स्थान से पाँच किलोमीटर के भीतर ही मुहैया किया जाएगा और यदि कार्य पाँच किलोमीटर से अधिक दूरी पर हों, तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर आवेदक को काम नहीं दिया गया, तो उन्हें दैनिक बेरोज़गारी भत्ता मुहैया किया जाएगा। सहभागियों को बेरोज़गारी भत्ते का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से जमा किये गये आवेदन की रसीद संभालकर रखनी होगी।

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

इंदिरा आवास योजना

ग्रामीण आवास में प्रभावी लागत, आपदा प्रतिरोधी, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के जरिए ग्रामीण आवास स्तर में सुधार के लिए

पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों के लिए सब्सिडी के साथ क्रेडिट के रूप में 45,000 रुपये से 48,500 रुपये तक यूनिट सहायता

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोग, बीपीएल अल्पसंख्यक, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर

आवेदन कैसे करें

जिला परिषद या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास करें
आवेदन

संबंधित योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

विवरण

ग्रामीण इलाकों को सभी मौसम में सड़क सम्पर्क मुहैया कराना

सहायता का स्वरूप

नये सम्पर्क के लिए 80% और उन्नयन के लिए 20 प्रतिशत

कौन आवेदन कर सकता है सम्पर्क अभाव वाले सभी जिले

कैसे आवेदन करें

निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय

संबंधित योजना

प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास साथी (पीएमआरडीएफ)

विवरण

तीन साल का समग्र कार्यक्रम, जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षण, ऋण, तकनीकी और विपणन सहायता उपलब्ध कराता है

सहायता का स्वरूप

पूर्व उन्मुखीकरण के दौरान प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये मासिक वजीफा , और प्रशिक्षण के दौरान 75,000 रुपये मासिक

कौन आवेदन कर सकते हैं

व्यावसायिक / तकनीकी विषयों जैसे कानून और चिकित्सा में स्नातक

आवेदन कैसे करें

जिला परिषद या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास करें
आवेदन

संबंधित योजना

ग्रामीण क्षेत्रों (पीयूआरए) को शहरी सुविधाओं का प्रावधान

विवरण

शहरी सुविधाओं और अवसरों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाने और शहरी-ग्रामीण खाई पाटने के लिए

सहायता का स्वरूप	किसी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित परियोजना के लिए पीपीपी मोड
कौन आवेदन कर सकते हैं	ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए निजी डेवलपर्स
आवेदन कैसे करें	जिला परिषद या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास करें आवेदन

संबंधित योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

विवरण	एक 3 साल का समग्र कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के गरीबी रेखा से ऊपर उत्थान के लिए
सहायता का स्वरूप	7,500 रुपये की सीमा के साथ व्यक्तियों के लिए परियोजना लागत का 30% ; 1.25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ समूहों के लिए 50%
कौन आवेदन कर सकते हैं	स्वयं सहायता समूहों और बीपीएल व्यक्ति
आवेदन कैसे करें	खंड विकास अधिकारी अथवा डीआरडीए के पास



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (आईएसटीसी)

सरकारों, संस्थानों, उद्योगों, आदि के बीच बातचीत को मजबूत और सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या क्षेत्रीय सहयोग प्रणाली

विनिमय यात्रा के एक हिस्से के रूप में स्थानीय आतिथ्य

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, आदि में नियमित रूप से कार्यरत वैज्ञानिक/संकाय सदस्य

विशिष्ट प्रारूप में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद (एसईआरसी)

विज्ञान और इंजीनियरिंग के उभरते और अग्रिम क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है

वेतन, उपकरण, यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

वैज्ञानिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और

प्रस्ताव के तीस प्रतियां निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकता है

कैसे आवेदन करें

राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम (एसएसटीपी)

विज्ञान के प्रोजेक्ट / मॉडल के लिए प्रत्येक मध्यम एवं उन्नत पाठशाला के दो विद्यार्थियों को 5,000 रुपये तक का प्रोत्साहन पुरस्कार

प्रतियोगिता पर होने वाले कुल खर्च के लिए मूलभूत अनुदान सहायता

सभी मध्यम एवं उन्नत स्कूलों के 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी

मंत्रालय को

संबंधित योजना

ग्रामीण विकास (स्टार्ट) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आवेदन

विवरण

ग्रामीण उन्मुख अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के लिए

सहायता का स्वरूप

कोर कर्मियों, उपकरण, वेतन, यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि के लिए दीर्घकालिक समर्थन

कौन आवेदन कर सकते हैं

मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी संगठन, आदि

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

कमजोर वर्गों (एसटीएडब्ल्यूएस) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विवरण

कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा

सहायता का स्वरूप

उपकरण, वेतन, उपभोग्य सामग्री, आंतरिक यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और विश्वविद्यालय

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

युवा वैज्ञानिकों (वाईएस)

विवरण

नवीन अनुसंधान विचारों की खोज के लिए युवा वैज्ञानिकों की सुविधाएं

सहायता का स्वरूप

उपकरण, वेतन, उपभोग्य सामग्री, यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और विश्वविद्यालय

आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना

विवरण

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

नई तकनीकों के माध्यम से परंपरागत कौशल के उन्नयन और संरक्षण के साथ वैकल्पिक रोजगार के रास्ते खोजना जिससे विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके

सहायता का स्वरूप

उपकरण, वेतन, उपभोग्य सामग्री, यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और विश्वविद्यालय

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

विवरण

जटिल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (सीटीपी)

जटिल और व्यापक रूप से उपयोगी उत्पादों / प्रक्रियाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा

सहायता का स्वरूप

उपकरण, वेतन, उपभोग्य सामग्री, यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

व्यक्ति, शैक्षणिक समूह, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और इकाइयां

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

विवरण

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ग्रामीण महिलाओं के जीवन और कार्य की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है

सहायता का स्वरूप

उपकरण, वेतन, उपभोग्य सामग्री, आंतरिक यात्रा, अतिरिक्त खर्च, आदि

कौन आवेदन कर सकते हैं

गैर सरकारी संगठन, स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आदि

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीईबी)

विवरण

ज्ञान संचालित प्रौद्योगिकी गहन उद्यमों को बढ़ावा देने का एक तंत्र जिससे नौकरी चाहने वाले नौकरी देने वालों में बदल सकें

संबंधित योजना

अ) नवाचार और उद्यमिता विकास केंद्र (आईईडीसी)

विवरण

एस एंड टी शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता संस्कृति का प्रसार और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा

सहायता का स्वरूप

उपयुक्त शिक्षण संस्थानों में आईईडीसी को स्थापित करने के लिए

कौन आवेदन कर सकते हैं

एस एंड टी शैक्षणिक संस्थान

आवेदन कैसे करें

एनएसटीईडीबी प्रमुख को

संबंधित योजना

आ) उद्यमिता विकास सेल (ईडीसी)

विवरण

संभावित एस एंड टी उद्यमियों के लिए उद्यम के निर्माण से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए

सहायता का स्वरूप

ईडीसी की स्थापना और बैठक आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं

विश्वविद्यालय, कॉलेज, विज्ञान और प्रबंधन पाठ्यक्रम पेश करने वाले संस्थान

आवेदन कैसे करें

मंत्रालय को

संबंधित योजना

इ) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

विवरण

एस एंड टी स्नातकों के लिए उद्यम निर्माण में 6-8 सप्ताह का प्रशिक्षण

सहायता का स्वरूप 2 लाख रुपये की सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास संस्थान
आवेदन कैसे करें एनएसटीईडीबी प्रमुख को

संबंधित योजना ई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास (एसटीईडी)

विवरण एसएंडटी के हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

सहायता का स्वरूप अवसरों की पहचान
कौन आवेदन कर सकते हैं टीसीओ, गैर सरकारी संगठन, उद्यमिता विकास में सिद्धहस्त संगठन
आवेदन कैसे करें एनएसटीईडीबी प्रमुख को

संबंधित योजना उ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों / उद्यमिता पार्क (स्टेप)

विवरण नवाचार और उद्यमिता के दृष्टिकोण से उन्मुख नई दिशा की ओर, शुरूआती कंपनियों को नए रास्ते खोलने के लिए

सहायता का स्वरूप बुनियादी ढांचा सुख-साधन / सुविधाओं की पेशकश
कौन आवेदन कर सकते हैं शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान
आवेदन कैसे करें एनएसटीईडीबी प्रमुख को

संबंधित योजना ऊ) प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई)

विवरण एसएमई के लिए विशेष सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है

सहायता का स्वरूप पाँच वर्ष के लिए वित्तीय सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान
आवेदन कैसे करें एनएसटीईडीबी प्रमुख को

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की योजनाएँ

संबंधित योजना

जैव प्रौद्योगिकी

विवरण	जैव इंजीनियरिंग, जैव सूचना विज्ञान, पर्यावरण, चिकित्सा, नैनो साइंस, आदि में योजनाओं की एक शृंखला
सहायता का स्वरूप	योजना के अनुसार अनुदान और ऋण
कौन आवेदन कर सकते हैं	संबंधित उद्यमी और अन्य
आवेदन कैसे करें	वेबसाइट पर जाएं

संबंधित योजना

जैव प्रौद्योगिकी (बीटी) चरण-1

विवरण	उच्च जोखिम, नवीन विचारों के व्यावसायीकरण के लिए प्रारंभिक चरण में ही वित्तपोषण
सहायता का स्वरूप	1 करोड़ रुपये तक : 50 लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष सुलभ ऋण के रूप में
कौन आवेदन कर सकते हैं	जैव तकनीक उद्यमी
आवेदन कैसे करें	कार्यकारी निदेशक, बायो-टेक कंसोर्टियम ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास

संबंधित योजना

पशु / कृषि / समुद्री जैव प्रौद्योगिकी / जैव संसाधन कार्यक्रम

विवरण	विभिन्न क्षेत्रों में जैसे भोजन, मानव संसाधन विकास, चिकित्सा, आदि में विविध योजनाएं
सहायता का स्वरूप	जलीय कृषि और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान
कौन आवेदन कर सकते हैं	व्यक्ति/ संस्थाएं
आवेदन कैसे करें	वेबसाइट पर जाएं

संबंधित योजना

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग पार्टनरशिप कार्यक्रम (बीआईपीपी)

विवरण	परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी /प्रक्रिया विकास के उच्च जोखिम के लिए
सहायता का स्वरूप	अनुदान और नरम ऋण 1 करोड़ रुपये तक
कौन आवेदन कर सकते हैं	अनुसंधान एवं विकास उन्मुख एसएमई
आवेदन कैसे करें	वेबसाइट पर जाएं

संबंधित योजना

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग शोध सहायता कार्यक्रम (बीआईआरएपी)

विवरण	प्रौद्योगिकी सत्यापन के लिए अनुबंध अनुसंधान सेवाओं के माध्यम से
सहायता का स्वरूप	मामले की योग्यता के आधार पर निर्भर
कौन आवेदन कर सकते हैं	शिक्षा जगत और मिलकर रचना करने वाली कंपनियां
आवेदन कैसे करें	वेबसाइट पर जाएं

संबंधित योजना

जैव प्रौद्योगिकी प्रज्वलन अनुदान (बीआईजी)

विवरण	अतिरिक्त उत्पाद निर्माण को सक्षम करने के लिए
सहायता का स्वरूप	50 लाख रुपये तक
कौन आवेदन कर सकते हैं	अपरिपक्व/ मान्यता प्राप्त जैव तकनीक स्टार्ट अप्स
आवेदन कैसे करें	वेबसाइट पर जाएं



सामाजिक न्याय मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (आरजीएनएफ)

विकलांगों द्वारा पीजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए

यूजीसी के बराबर जेआरएफ और एसआरएफ फैलोशिप

विकलांग श्रेणी के विद्वान जिन्होंने एम.फिल और पीएच.डी. के लिए प्रवेश लिया हो

मंत्रालय को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

अनुसूचित जाति कल्याण

अनुसूचित जाति के छात्रों के उन्नयन के लिए नि: शुल्क कॉचिंग

प्रति वर्ष प्रति छात्र 25,000 रुपये

अनुसूचित जाति के स्कूली छात्र

राज्य सरकार को

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

अनुसूचित जाति संगठनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन

स्वैच्छिक निकायों को मजबूत बनाने और अनुसूचित जाति समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार में उन्हें शामिल करने के लिए

मामले की योग्यता के आधार पर निर्धारित अनुमोदित व्यय का 90%,

पंजीकृत वीओ, धर्मार्थ कंपनियाँ, आदि

अधिकृत कार्यकारिणी के माध्यम से, मंत्रालय को

संबंधित योजनाएँ

विवरण

अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजना

देश की अनुसूचित जाति के समुदायों में उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में

यह योजना लागू की गयी। साथ ही उन सदस्यों (एससी) को भी प्रोत्साहित किया जाता है, जो सृजन और तकनीकी के विकसित करने के लिए इच्छुक हों।

सहायता के प्रकार

अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तीय रियायत सहायता दी जाती है, जो सम्पत्ति का सृजन कर समाज को योगदान दें और साथ ही व्यापार को भी लाभकारी बना सके। फलतः सृजन की जाने वाली सम्पदा को आगे/पीछे लिंकेज किया जा सके। साथ ही साथ स्थानीय श्रृंखला को भी प्रभावित कर सके।

आवेदन कौन कर सकते हैं

एससी उद्यमियों, महिला एससी उद्यमियों का चयन करते समय आवश्यक है की कम्पनी का कम से कम 60 % स्टोक होल्डिंग गत 12 माह से अनुसूचित जाति उद्यमियों के पास प्रबंधकीय नियंत्रण के साथ होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

प्रस्ताव को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचारित करने के लिए विज्ञापन के माध्यम से भेजे जायेंगे। आवेदक के सभी प्रस्ताव ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा मंजूर किये गये जायेंगे और आवेदन की जांच प्रणाली एफआईसीआई द्वारा लागू की जाएगी।



कपड़ा मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए परिधान विनिर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान

विवरण	कपड़ा इकाइयों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए
सहायता का स्वरूप	प्रति पार्क 10 करोड़ रुपये सीमा के साथ प्रस्तावित परियोजना लागत की 40% सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं	उद्योग संगठन/ उद्यमी समूह
आवेदन कैसे करें	जांच समिति के समक्ष परियोजना को पेश करना

संबंधित योजना

परियोजना मोड में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)

विवरण	कच्चे रेशम के उत्पादन, गुणवत्ता, और उत्पादकता में सुधार के लिए परिपूरक स्थिति प्रयास
सहायता का स्वरूप	छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए कार्यशील एजेंसियों के माध्यम से परियोजना आधारित अनुदान
कौन आवेदन कर सकते हैं	सहकारी और परा-स्थिति निकाय
आवेदन कैसे करें	केन्द्रीय रेशम बोर्ड को

विकास आयुक्त (हथकरघा) योजनाएँ

संबंधित योजना

व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास (सीएचसीडी) - बृहद् हथकरघा क्लस्टर (12 वीं योजना)

विवरण	पूर्व करघा और बाद करघा आपरेशनों में बुनियादी ढांचे, भंडारण की स्थिति और तकनीकी सुधार के लिए
सहायता का स्वरूप	मूल और तकनीकी आम बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं क्लस्टर के उद्देश्य से स्थापित एसपीवी

आवेदन कैसे करें मंत्रालय को

संबंधित योजना **व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडी)**

विवरण हथकरघों और बुनकरों के एकीकृत और समग्र विकास के लिए जरूरत के आधार पर सहायता प्रदान करता है

सहायता का स्वरूप क्लस्टर में हथकरघों की संख्या के आधार पर

कौन आवेदन कर सकते हैं हथकरघों के साथ शामिल राज्य / केन्द्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि

आवेदन कैसे करें मंत्रालय को

संबंधित योजना **यार्न की आपूर्ति**

विवरण यार्न आपूर्ति : (1) चक्की गेट कीमत पर (2) 10% कीमत सब्सिडी पर

सहायता का स्वरूप यार्न की आपूर्ति करने वाली मोबाइल वैन में पुनर्निवेश, प्रतिदिन 1,500 रुपये पर

कौन आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

आवेदन कैसे करें एनएचडीसी को

संबंधित योजना **पश्मीना ऊन विकास**

विवरण पश्मीना (कश्मीरी) ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद

सहायता का स्वरूप पश्मीना हिरण उपलब्ध कराना/ आदान प्रदान करना, पनाहगार, चारा चराई का इंतजाम, चारा लाना और उसे साफ करना, बालों को अलग करना, काटना और प्रशिक्षण प्रदान करना

कौन आवेदन कर सकते हैं परियोजना क्षेत्र में पश्मीना ऊन उत्पादक

आवेदन कैसे करें एलएचडीसी/ लेह द्वारा

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की योजनाएँ

संबंधित योजना

डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

विवरण

जागरूकता पैदा करने, कौशल विकास, डिजाइन और प्रौद्योगिकी, कलपुर्जों और उपकरणों, बाजार बुद्धिमत्ता, योग्यता पुरस्कार, प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए निर्यातकों और उद्यमियों को सहायता

सहायता का स्वरूप

100% अनुदान सहायता प्रशिक्षण में प्रत्येक गतिविधि के लिए; कलपुर्जों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति किट 10,000 रुपये की सीमा के साथ 100%

कौन आवेदन कर सकते हैं
आवेदन कैसे करें

राज्य/केन्द्र हस्तशिल्प निगम, सुप्रीम सहकारी समितियां
क्षेत्रीय निदेशक / सहायक निदेशक डीसी (एचसी) के पास

संबंधित योजना

बाबासाहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

विवरण

संभावित हस्तकला क्लस्टर के समन्वित विकास के लिए शिल्प - व्यक्तियों की भागीदारी के साथ कार्यान्वयन के सभी चरणों में जरूरत के आधार पर सहायता

सहायता का स्वरूप

सामाजिक, तकनीकी, विपणन, वित्तीय और क्लस्टर के विशिष्ट बुनियादी ढांचे से संबंधित हस्तक्षेप के माध्यम से हस्तशिल्प के लिए सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं
आवेदन कैसे करें

सर्वोच्च सहकारी समितियां, निगम, राज्य/केंद्रीय एजेंसियां
क्षेत्रीय निदेशक / सहायक निदेशक डीसी (एचसी) के पास

संबंधित योजना

मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

विवरण

योग्य प्रशिक्षकों के एक आधार का निर्माण करने : जो कौशल प्रशिक्षण, टीओटी, अनुभवी परामर्शदाता डिजाइन और प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करे

सहायता का स्वरूप	पूंजी अनुदान और प्रशिक्षण अनुदान, 1.45 करोड़ रुपये की एक सीमा के साथ, पांच साल के लिए - 100% अनुदान सहायता
कौन आवेदन कर सकते हैं	मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आदि
आवेदन कैसे करें	क्षेत्रीय निदेशक / सहायक निदेशक डीसी (एचसी) के पास



पर्यटन मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

टाइम शेयर रिसॉर्ट्स (टीएसआर)

5, 4 और 3 स्टार श्रेणियों में पूरी तरह चालू टीएसआर के स्टार वर्गीकरण के लिए स्वैच्छिक योजना

मान्यता

टाइम शेयर रिसॉर्ट्स

पर्यटन मंत्रालय की होटल और रेस्तरां डिवीजन के पास

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

तंबूनुमा निवास सुविधा (टैन्टेड एकोमोडेशन)

तंबूनुमा निवास सुविधा (टैन्टेड एकोमोडेशन) की परियोजना की मंजूरी और वर्गीकरण के लिए स्वैच्छिक योजना

वर्गीकरण के बाद रियायत और सुविधाएं

टैन्टेड आवास के मालिक

एचआरएसीसी के पास, पर्यटन मंत्रालय की होटल और रेस्तरां डिवीजन

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

अ) मोटेल आवास

मोटलों द्वारा पेश सुविधाओं और सेवाओं के मानकों के लिए मापदण्ड स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक योजना

निरीक्षण के बाद मोटेल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति

मोटल आवास के मालिक

एचआरएसीसी के पास, पर्यटन मंत्रालय की होटल और रेस्तरां डिवीजन

संबंधित योजना

विवरण

आ) होटल निवास सुविधा

छह श्रेणियों में होटल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति: 1-सितारा से 5-स्टार डीलक्स, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता के आधार पर

सहायता का स्वरूप मान्यता
 कौन आवेदन कर सकते हैं निवास के लिए होटल
 आवेदन कैसे करें एचआरएसीसी के पास, पर्यटन मंत्रालय की होटल और रेस्तरां डिवीजन

संबंधित योजना यात्रा व्यवसाय

विवरण यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं के लिए ई-मान्यता
 सहायता का स्वरूप स्वीकृति

कौन आवेदन कर सकते हैं ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स
 आवेदन कैसे करें पर्यटन मंत्रालय की यात्रा व्यवसाय डिवीजन के पास

संबंधित योजना सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (संस्थान)

विवरण पर्यटकों के साथ संपर्क में आने वाले सेवा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के व्यवहार और सेवा के स्तर में सुधार
 सहायता का स्वरूप क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं प्रशिक्षण संस्थान
 आवेदन कैसे करें मंत्रालय को

संबंधित योजना विपणन विकास सहायता (एमडीए)

विवरण विदेशों में पर्यटन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता
 सहायता का स्वरूप चिकित्सा / स्वास्थ्य मेलों, आदि में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता

कौन आवेदन कर सकते हैं चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाता
 आवेदन कैसे करें पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पर्यटन) के पास

संबंधित योजना प्रचार और विपणन

विवरण विभिन्न मीडिया के माध्यम से तैयारी और प्रचार तथा विज्ञापन सामग्री जारी करने के लिए

सहायता का स्वरूप विपणन/प्रचार गतिविधियों के लिए समर्थन
कौन आवेदन कर सकते हैं पर्यटन और संबंधित इवेंट्स आयोजन करने वाले व्यापार और उद्योग

आवेदन कैसे करें पर्यटन मंत्रालय में प्रचार, इवेंट्स और आईटी विभाग में

संबंधित योजना **क्षेत्रीय स्तरीय गाइड्स के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

विवरण गाइड करने के लिए 12 दिनों का प्रशिक्षण

सहायता का स्वरूप प्रशिक्षण

कौन आवेदन कर सकते हैं गाइड्स

आवेदन कैसे करें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के पास

संबंधित योजना **राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना**

विवरण हिन्दी भाषा में पर्यटन से संबंधित विषयों पर लिखी गई असाधारण पुस्तकों के लिए पुरस्कार

सहायता का स्वरूप वेबसाइट से परामर्श

कौन आवेदन कर सकते हैं कोई भी भारतीय नागरिक

आवेदन कैसे करें निर्धारित प्रारूप में

संबंधित योजना **स्टैण्ड अलोन रेस्टोरेंट्स**

विवरण विश्व स्तर की सेवाओं के मानक सुनिश्चित करने के लिए रेस्तरां को स्वीकृति

सहायता का स्वरूप 30 से अधिक सीटों वाले स्वतंत्र रेस्तरां के लिए

कौन आवेदन कर सकते हैं एसएमई जो परिचालन में हों

आवेदन कैसे करें क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय पर्यटन कार्यालय, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के पास

संबंधित योजना

हुनर-से-रोजगार तक सेना के सहयोग से (रोजगार परक कौशल विकास के लिए)

विवरण

होटल मैनेजमेंट संस्थानों के साथ सेना की इकाइयों के परिसर बाह्य सहयोगात्मक प्रयास जिससे खाद्य और पेय पदार्थ, और खाद्य उत्पादन में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासन को सुनिश्चित किया जा सके

सहायता का स्वरूप

लागत मुक्त आवेदन, निवास सुविधा, बोर्डिंग, वर्दी और वजीफा

कौन आवेदन कर सकते हैं

18 से 28 वर्ष के न्यूनतम 8 वीं पास युवा

आवेदन कैसे करें

मानव संसाधन विकास प्रभाग, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के पास



आदिवासी कल्याण मंत्रालय



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं

संबंधित योजनाएँ

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए रियायती योजना

योजना की लागत का 90% सावधि ऋण रियायती दरों पर

अनुसूचित जनजाति की महिलाएं

एनएसटीएफडीसी की राज्य माध्यमिक एजेंसी के पास

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

वनवासी जनजातियों का सशक्तिकरण

विपणन संबंध में रियायती अनुदान के साथ आदिवासी वनवासियों में जागरूकता पैदा करने और जमीन के सही उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने में मदद

इस योजना की लागत के 90% तक रियायती ऋण

परंपरागत वनवासी और अनुसूचित जनजातियां

एनएसटीएफडीसी की राज्य माध्यमिक एजेंसी के पास

संबंधित योजना

विवरण

सहायता का स्वरूप

कौन आवेदन कर सकते हैं

आवेदन कैसे करें

स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम(एमसीएस)

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्व-रोजगार के उपक्रम स्थापित करने के लिए लाभ कमाने वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही लघु ऋण

प्रति स्वयं सहायता समूह 5 लाख रुपये की सीमा के साथ प्रत्येक सदस्य को 35,000 रुपये तक का ऋण

परंपरागत वनवासी और अनुसूचित जनजातियां

एनएसटीएफडीसी की राज्य माध्यमिक एजेंसी के पास



शहरी विकास मंत्रालय



संबंधित योजनाएँ

विवरण

राष्ट्रीय शहरी सूचना तंत्र (एनयूआईएस)

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए

सहायता का स्वरूप

48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, तीन किशतों में देय

कौन आवेदन कर सकते हैं

अधिसूचित यूए और कस्बे

आवेदन कैसे करें

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को आवेदन पैकेज विकसित करने के लिए

संबंधित योजना

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)

शहरी उत्पादकता और जीवन को बढ़ाने के लिए सुधार का बुनियादी ढांचे और सेवाएं प्रदान करता है

सहायता का स्वरूप

तीन चरणों में 90% अनुदान, 10% ऋण

कौन आवेदन कर सकते हैं

पांच पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें

आवेदन कैसे करें

शहरी विकास मंत्रालय के शहरी विकास विभाग को

संबंधित योजना

विवरण

साझा वित्त विकास निधि

शहरी स्थानीय निकायों को क्रेडिट वृद्धि सुविधा बाजार उधारी तक पहुंच बनाने के लिए

सहायता का स्वरूप

75% : 25% केंद्रीय : राज्य के वित्त पोषण, राज्य जमा वित्त इकाई (एसपीएफई)

कौन आवेदन कर सकते हैं

उधार लेने वाले राज्य के एसपीएफई

आवेदन कैसे करें

केंद्र सरकार के पास



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय



महिलाओं से संबंधित योजनाएं

संबंधित योजनाएँ

लिंगानुपात बजट निर्माण (जीबी)

विवरण

जेंडर बजटिंग में महिलाओं से संबंधित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के लिए सहायता, लिंग आधारित प्रभावों आदि के विश्लेषण का आयोजन, जीबी में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद

सहायता का स्वरूप

प्रशिक्षण के लिए अनुदान : एक बार और निरंतर

कौन आवेदन कर सकते हैं

महिला एवं बाल कल्याण विभाग, महिलाओं के विकास निगम, महिला आयोग, शहरी स्थानीय निकाय, आदि

संबंधित योजना

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप) को मदद

विवरण

आय सृजन गतिविधियों को सक्षम बनाता है, कौशल प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच आदि प्रदान करता है

सहायता का स्वरूप

परियोजना लागत का 100%, 50%, 30%, वर्षवार

कौन आवेदन कर सकते हैं

डीआरडीए, महासंघ, स्वैच्छिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि।



सत्यमेव जयते

उद्यमी हेल्प लाइन

1800 - 180 - 6763 [टोल फ्री]
1800 - 180 - सूलमउ [टोल फ्री]

जानकारी इस बारे में

विपणन सहायता

साख समर्थन

क्लस्टर विकास

प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण

नैपुण्य विकास

उद्यम स्थापना

सूलमउ मंत्रालय की योजनाएँ

उद्यमी हेल्पलाइन वर्तमान के साथ ही संभावित उद्यमियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों तथा सुविधाओं के बारे में सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए है।

उद्यमी हेल्पलाइन 1800-180-6763 (टोल फ्री)

समय : सायं 6.00 से 10.00 बजे तक हिन्दी / अंग्रेज़ी में
हम सभी उद्यमियों का इस सुविधा के उपयोग के लिए स्वागत करते हैं



MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार



भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
 (एक आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित संगठन)



SCHEMES

प्रमुख प्रणालियाँ • योजनाएँ

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता के लिए अनेक योजनाएँ और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, जिसमें कर्ज से प्राप्त करों का छूट भी शामिल है। इनके अलावा, कई अन्य कार्यक्रमों की भी श्रृंखलाएँ हैं, जिनमें से कुछ को सूक्ष्म उद्यमों के लिए बनाया गया है। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: कर्ज छूट, कर्ज की सुरक्षा और नवीनीकरण की सुविधाएँ, एक-से-एक के अंतर्गत के कर्ज के लिए

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

ESDP

उद्यम प्रणालियों - उद्यमों में विकास के लिए

सहायता के लिए उद्यमों के विकास के लिए एक कार्यक्रम है, जो उद्यमों के लिए एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

NEWS & EVENTS

अनूनाचार एवं घटनाक्रम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

PMEGP

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

DEVELOPMENT

विकास • उद्यमों के विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

KHADI

कॉटन • कच्ची और कच्ची

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

COIR

कोयल • कोयल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

NSIC

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

NIMSME

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

MGRI

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

VIRTUAL CLUSTERS

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)

EM

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों और घटनाक्रमों का एक श्रृंखला है। यह उद्यमों को प्रोत्साहित करता है और उद्यमों को प्रोत्साहित करता है।

और पढ़ें: [विषय सूची](#)